[2019] 3 एस. सी. आर. *28*

जीओवीटी। दिल्ली के एन. सी. टी.

वी.

भारत का संघ

(2017 की सिविल अपील संख्या *2357)*

14 फरवरी, *2019*

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.*]*

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची, सूची *II*, प्रविष्टि *41-21* मई, *2015* की अधिसूचना द्वारा एन. सी. टी. डी. के विधायी और कार्यकारी क्षेत्र से सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* से संबंधित सेवाओं का बहिष्करण-'सेवाओं' के संबंध में उक्त अधिसूचना में संघ के बारे में उल्लेख किया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा कार्मिकों से युक्त क्षेत्र कैडर-अधिसूचना में डैनिक्स और डैनिप्स को भी संदर्भित किया गया है-ये सभी सेवाएं गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हैं-जहां तक

इन सेवाओं से संबंधित कर्मियों के आवंटन का संबंध है, यह गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार है जिसे आवश्यक आदेश पारित करने होते हैं-इसी तरह, केंद्र सरकार

ऐसे कर्मियों को एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करने का अधिकार-जी. एन. सी. टी. डी. का दावा है कि इन कर्मियों पर उसका नियंत्रण है

एन. सी. टी. डी. को आवंटित किए जाने के बाद-हालाँकि, भारत संघ का दावा है कि यह एन. सी. टी. डी. की विवेकाधीन शक्तियों के भीतर आता है।

उपराज्यपाल *(*एल. जी.*)* विषय वस्तु के रूप में सूची *II* की प्रविष्टि *41* में शामिल नहीं हैं-आयोजितः *(* प्रति ए. के. सीकरी, जे.*)*-सूची *II* की प्रविष्टि *41* 'राज्य लोक सेवा' और 'राज्य लोक सेवा' से संबंधित है।

आयोग '-यह निर्विवाद है कि एन. सी. टी. डी. में राज्य लोक सेवा आयोग का अस्तित्व नहीं है-अखिल भारतीय सेवाओं और डी. ए. एन. आई. सी. एस. सेवाओं आदि के साथ काम करते समय, इसका उल्लेख करना भी संदिग्ध है क्योंकि राज्य लोक सेवा जी. एन. सी. टी. डी. ने सूची *II* की प्रविष्टि *41* पर भरोसा करके' सेवाओं 'के संबंध में कार्यकारी शक्ति ग्रहण करने का प्रयास किया है, जो संदिग्ध हो सकता है-वह स्थिति एल. जी. को विवेकाधीन शक्तियां दे सकती है दूसरी ओर, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एक बार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जी. एन. सी. टी. डी. को मानव शक्ति आवंटित करने के बाद, जी. एन. सी. टी. डी. ऐसे कर्मचारियों से निपटने की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए-ऐसे परिदृश्य में, और एक ओर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद के बीच शक्तियों के प्रयोग के किसी भी टकराव से बचने के लिए।

दूसरी ओर, मंत्री के रूप में, प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए, न्यायसंगत और निष्पक्ष तंत्र बनाया जाना चाहिए-सचिवों, एचओडी और अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण और नियुक्ति।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर की फाइल उपराज्यपाल द्वारा की जा सकती है और उन्हें सीधे प्रस्तुत की जा सकती है-दानिक्स अधिकारियों सहित अन्य स्तरों के लिए, फाइलों को मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के पास भेजा जा सकता है-मतभेद की स्थिति में

एल. जी. और मुख्यमंत्री के बीच, एल. जी. का विचार प्रबल होगा और गृह मंत्रालय इस संबंध में एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करेगा-हालांकि, ग्रेड *IV, III, II* और *I* डी. ए. एस. एस. अधिकारियों के लिए, शक्तियों का एक मौजूदा प्रत्यायोजन है जहां ग्रेड *IV* और *III* के लिए, सभी स्थानांतरण और नियुक्ति एल. जी. द्वारा की जाती है।

सचिव *(*सेवा*);* ग्रेड *II* और *I* के लिए, स्थानांतरण और नियुक्ति मुख्य सचिव द्वारा की जाती है-अधिक पारदर्शिता के लिए, एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया जा सकता है जिसका नेतृत्व चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए सचिव *(*सेवा*)* कर सकते हैं।

ग्रेड *II* और *I* स्तर के अधिकारियों के लिए-बोर्ड इन डी. ए. एस. एस. संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर निर्णय ले सकता है-समान बोर्ड

दानिक्स अधिकारियों के लिए भी गठन किया जा सकता है-सुशासन और सुचारू सरकारी कार्य के हित में, प्रयास किए जाने चाहिए

मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण कार्य संबंध के लिए बनाया गया-*(*अशोक भूषण, जे।*) (*आंशिक रूप से असहमति*)*

--

सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* के लिए उपलब्ध नहीं है

जी. एन. सी. टी. डी. की विधान सभा-ऐसा होने के बाद, कोई नहीं है

जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा सेवाओं के संबंध में किसी भी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर, क्योंकि *Art.239AA (4)* के अनुसार जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति उन मामलों के संबंध में फैली हुई है जिनके संबंध में विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति है -

"सेवाओं का जी. एन. सी. टी. डी. केवल उन कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत उसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या वह उन कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो उसे सौंपी गई हैं-भारत का संविधान-भारतीय प्रशासनिक सेवा *(*संवर्ग*)* नियम, *1954* - आर. *2 (*सी*)*।

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची, सूची *II*, प्रविष्टि *2* -

क्या भ्रष्टाचार-रोधी के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार

एन. सी. टी. डी. की शाखा *(*ए. सी. बी.*)* केंद्रीय अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की जांच करेगी।

सरकार और ए. सी. बी. के अधिकार क्षेत्र को कर्मचारियों तक सीमित करना *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अकेले जी. एन. सी. टी. डी. कानूनी है-आयोजितः ए. सी. बी. को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं है-ऐसी जांच सी. बी. आई. द्वारा की जाती है-इसलिए, यह दोहरेपन और अधिकार क्षेत्र के टकराव को भी दूर करता है-दिनांकित अधिसूचना *23.7.2014* के अनुसार और

21.5.2015 , ए. सी. बी. का अधिकार क्षेत्र केवल जी. एन. सी. टी. डी. के कर्मचारियों तक सीमित है-दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* - धारा *2 (*ओं*)*-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1947*।

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची, सूची *II*, प्रविष्टि *2*-उसमें होने वाला शब्द 'पुलिस'-जिसका अर्थ हैः यह एक तय सिद्धांत है कि विधायी प्रविष्टियों की व्याख्या व्यापक और उदार तरीके से की जानी चाहिए जो उनके लिए व्यापक आयाम को लागू करने और सभी सहायक और सहायक मामलों को शामिल करने के साथ सुसंगत है-इसलिए, सूची *II* की प्रविष्टि *2* में होने वाले 'पुलिस' शब्द का दायरा कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित या केवल सीमित नहीं किया जा सकता है।

पुलिस बल का गठन, लेकिन इस प्रकार गठित पुलिस के कामकाज पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने की विधायी *(*और इसलिए, कार्यकारी*)* शक्ति को अपने दायरे में ले लेगा, पुलिस की विभिन्न शाखाओं/धाराओं की शक्तियों, कार्यों और अधिकार क्षेत्र को निरूपित करने वाले कार्यकारी निर्देश जारी करने के माध्यम से-प्रविष्टि *2* सूची *2* में पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति और दायरे के बारे में निर्धारण भी शामिल होगा इसलिए, ए. सी. बी. को एक पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित करते समय, ए. सी. बी. के जांच क्षेत्र को सीमित और सीमित करने की अनुमति होगी।

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची, सूची *II*, प्रविष्टि *1*-अधिसूचना दिनांक *23.7.2014* और *21.5.2015*-इन अधिसूचनाओं द्वारा, ए. सी. बी. का अधिकार क्षेत्र इन अधिसूचनाओं की जी. एन. सी. टी. डी. वैधता के कर्मचारियों तक सीमित था। *2 (* एस*)* राज्य सरकार को एक पुलिस स्टेशन को अधिसूचित करने का अधिकार देता है और विवादित अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी और *69* वें संशोधन के बाद, केंद्र सरकार राज्य नहीं है एस के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सरकार। *2 (* एस*)*-आयोजितः कोई शक नहीं, *Cr.P.C* की धारा *2 (*ओं*).* राज्य सरकार द्वारा पुलिस स्टेशन की स्थापना पर विचार करती है, हालांकि, *Cr.P.C.* गिरफ्तारी करने, जांच करने और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी निर्धारित करती है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह निर्धारित करता है कि किन अपराधों की जांच किस पुलिस बल द्वारा की जाएगी-ये सरकार।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

प्रावधानों में यह नहीं बताया गया है कि दो पुलिस थानों के समानांतर अधिकार क्षेत्र का सीमांकन कैसे किया जाना चाहिए-वास्तव में, जांच करने के लिए समानांतर अधिकार क्षेत्र पर *Cr.P.C* द्वारा विचार नहीं किया गया

है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अराजकता और अराजकता पैदा होगी और इसके उद्देश्य को ही विफल कर देगा।

जांच-इसलिए, जिस सरकार के पास प्रविष्टि *2* सूची *2* पर क्षमता है, उसके पास दो पुलिस बलों के बीच जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र को अलग करने और सीमांकन करने की शक्ति होगी-इस प्रकार, विवादित अधिसूचनाएं मान्य हैं-यह निष्कर्ष निकलता है जब दिल्ली पुलिस अधिनियम, *1978* और अन्य संज्ञानात्मक अधिनियमों के साथ पढ़ा जाता है-सूची *II* की प्रविष्टि *1*, विषय वस्तु जिसका विषय 'सार्वजनिक व्यवस्था' है, भी जी. एन. सी. टी. डी. के दायरे से बाहर है और संसद/केंद्रीय कार्यपालिका का अनन्य क्षेत्र है-'सार्वजनिक व्यवस्था' शब्द में अपराधों का संज्ञान, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी शामिल है, जिसके बाद अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

(एफ. आई. आर. एस.*)*, जांच, अभियोजन, मुकदमा और

दोषसिद्धि, सजा का निष्पादन भी-इन सभी पहलुओं का अर्थ संयुक्त रूप से लगाया जाना है-दंड प्रक्रिया संहिता, *1973*। *2 (* एस*)*

क़ानूनों की व्याख्या।

जाँच आयोग अधिनियम, *1952* - एस. *2 (ए)* क्या जी. एन. सी. टी. डी. आयोग के तहत एक उपयुक्त सरकार है

जाँच अधिनियम, *1952*-आयोजितः सामान्य खंड *(*जी. सी.*)* अधिनियम की धारा *3 (8)* केंद्र सरकार को परिभाषित करती है - दूसरी ओर जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* राज्य सरकार को परिभाषित करती है-जी. सी. अधिनियम भी परिभाषित करता है। 'सरकार ',' राज्य 'और' केंद्र शासित प्रदेश '-इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस में निहित राज्य की परिभाषा। *3 (58)* केंद्र शासित प्रदेश शामिल है-केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, राज्य सरकार का अर्थ होगा केंद्रीय

सरकार-एस में होने वाली अभिव्यक्ति राज्य सरकार। *2 (* क*)* सी. ओ. आई. अधिनियम, जो 'उपयुक्त सरकार' को परिभाषित करता है, का अर्थ जी. एन. सी. टी. डी., एक केंद्र शासित प्रदेश-सामान्य खंड अधिनियम नहीं होगा।

एसएस। *3 (8)* और *3 (60)*।

विद्युत अधिनियम, *2003* - *s.108*-चाहे *s* के तहत हो। *108* विद्युत अधिनियम, *2003* और एस के तहत। *12* दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, *2000* के अनुसार, राज्य आयोग को निर्देश जारी करने की शक्ति जी. एन. सी. टी. डी. के पास हैः एस के तहत। *2 (5) (* ख*)* विद्युत अधिनियम, *2003* उपयुक्त सरकार वह राज्य सरकार है जो इस अधिनियम के तहत उन सभी मामलों में अधिकार क्षेत्र रखती है जो 'केंद्र सरकार' के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं जहां तक एन. सी. टी. डी. का संबंध है,

इसका अपना आयोग, अर्थात् डी. ई. आर. सी.-डी. ई. आर. अधिनियम भी *[2019] 3* एस. सी. आर. की शक्तियों को निर्धारित करता है।

उसके भाग *IV* में सरकार की-सामान्य शक्तियाँ सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक हित से जुड़ी नीति के मामलों में डी. ई. आर. सी. को निर्देश देना शामिल करती है, जैसा कि सरकार समय-समय पर जारी कर सकती है-ये शक्तियां दी गई शक्तियों के समान हैं।

एस के तहत। *108* विद्युत अधिनियम, *2003*-जहां तक डी. ई. आर. अधिनियम का संबंध है, यह एन. सी. टी. डी. की विधान सभा द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है यह एन. सी. टी. डी. के भीतर काम करता है-इस अधिनियम के तहत, दिल्ली

सरकार के पास सार्वजनिक हित से जुड़ी नीतियों के मामलों में डी. ई. आर. सी. को निर्देश जारी करने की शक्ति है-जब ऐसी शक्तियां हैं

डी. ई. आर. अधिनियम के तहत विशेष रूप से दिल्ली सरकार को प्रदत्त, यह नहीं कहा जा सकता है कि जहां तक एस। *108* विद्युत अधिनियम, *2003* का संबंध है, 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा केंद्र सरकार-दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, *2000* - एस. *12.* स्टाम्प अधिनियम, *1899*-क्या जी. एन. सी. टी. डी. के पास स्टाम्प अधिनियम, *1899* के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि *(*सर्कल दरों*)* की न्यूनतम दरों को संशोधित करने की शक्ति थी-जी. एन. सी. टी. डी. ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, *1899* और दिल्ली स्टाम्प *(*उपकरणों के कम मूल्यांकन की रोकथाम*)* नियम, *2007* के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि *(*सर्कल दरों*)* की दरों को संशोधित करते हुए *4* अगस्त, *2015* को अधिसूचना जारी की-इस अधिसूचना को जारी करने से पहले, इस मामले को उपराज्यपाल के समक्ष उनके विचारों या सहमति के लिए नहीं रखा गया था-आयोजितः कृषि भूमि *(*सर्कल दर*)* की दरों में संशोधन करने वाली *4* अगस्त, *2015* की अधिसूचना सूची *II* की प्रविष्टि *63* में पाई जा सकती है और सूची *II* की प्रविष्टि *18* में नहीं-उक्त अधिसूचना *1899* अधिनियम और *2007* के नियमों के प्रावधानों के तहत जारी की गई है-सर्कल दरें टिकट के भुगतान के उद्देश्य से तय की गई हैं।

शुल्क-इसलिए, वे 'भूमि' अर्थात् भूमि, भूमि कार्यकाल आदि में या उस पर अधिकार या कृषि भूमि के हस्तांतरण आदि से संबंधित नहीं हैं-स्टाम्प शुल्क साधन पर शुल्क नहीं है, बल्कि यह वास्तव में संपत्ति के हस्तांतरण पर एक कर्तव्य है-इस अर्थ में, स्टाम्प शुल्क लगाने का अवसर वह दस्तावेज है जिसे दस्तावेज में सन्निहित लेनदेन से अलग निष्पादित किया जाता है-हालाँकि, जब दिल्ली सरकार की कार्यकारी शाखा निर्णय लेती है, तब भी उपराज्यपाल को किसी भी मामले पर अपनी राय बनाने का अधिकार होता है, जो उनके मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय से अलग हो सकता है।

केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए अंतर इतना मौलिक है कि इसे राष्ट्रपति तक बढ़ाया जाना चाहिए-इसलिए, एलजी जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

परिषद के निर्णय के साथ नियमित रूप से भिन्न होने की उम्मीद नहीं है

मंत्री-साथ ही, परंतुक यह मानता है कि ऐसी आकस्मिकताएं हो सकती हैं जहां उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों में मतभेद हो सकते हैं-ऐसी परिस्थितियों में, उपराज्यपाल को मामले को राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए-इसका मतलब है कि उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद के मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का है-ऐसी योजनाओं में स्पष्ट रूप से विचार किया गया है कि मंत्रिपरिषद -

एल. जी. को बनाने में सक्षम बनाने के लिए एल. जी. को अपने निर्णयों से अवगत कराना चाहिए

भारत का संविधान-*Art.239AA,* खंड *(4)* और इसके परंतुक-एल. जी., की भूमिका-आम तौर पर, और आम तौर पर, एल. जी. से मंत्रिपरिषद के विवेक का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है-उनसे फाइलों को शीघ्रता से मंजूरी देने की भी उम्मीद की जाती है और उनसे इस पर अनावश्यक रूप से बैठने की अपेक्षा नहीं की जाती है-उनका कर्तव्य है कि वे जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा लिए गए निर्णयों की विषय वस्तु की शीघ्रता और तात्कालिकता को ध्यान में रखें, जहां भी स्थिति की मांग हो वह वास्तव में सुशासन का पहलू है - इसी तरह, कार्यपालिका से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह संवैधानिक योजना में उपराज्यपाल को सौंपी गई भूमिका की अनूठी प्रकृति को उचित सम्मान दे। कुल मिलाकर, यह दोनों अंगों के बीच आपसी सम्मान की मांग करता है-दोनों को यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें एन. सी. टी. डी. के लोगों की सेवा करनी है-इस प्रकार, प्रणाली के प्रभावी कामकाज के लिए आपसी सहयोग आवश्यक हो जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* - धारा *24*-विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति-चाहे वह उपराज्यपाल हो या जी. एन. सी. टी. डी. जिसके पास एस के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति है। *24 , Cr.PC.*-आयोजितः विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति तदनुसार की जाती है।

एस के प्रावधान। *24 (8) Cr.P.C.* जो इस प्रभाव से है कि विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति दोनों को प्रदान की जाती है

केंद्र सरकार और राज्य सरकार-जहाँ तक एन. सी. टी. डी. का संबंध है, राज्य सरकार का अर्थ है इन उद्देश्यों के लिए उपराज्यपाल। एस. *24 (8)* सूची *III* की प्रविष्टियाँ *1* और *2* के संबंध में, *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. एन. सी. टी. डी. के पास कला के तहत विधायी क्षमता है। *239* संविधान के एए और यह कि एलजी संविधान के *Art.239AA (4)* के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा।

भारत का संविधान-*Art.239AA*।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

प्रति ए. के. सीकरी, जे.

1 : क्या सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* से संबंधित 'सेवाओं' का अपवर्जन विधायी और एन. सी. टी. डी. का कार्यकारी क्षेत्र, दिनांक *21* मई, *2015* की अधिसूचना के अनुसार, असंवैधानिक और अवैध है*? [* पैरा *70] [113*-जी-एच*]*

1.1 यह निर्विवाद है कि मामला संबंधित है

एन. सी. टी. डी. में आयोग मौजूद नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं और *DHANICS* सेवाओं आदि के साथ काम करते समय, इसे राज्य लोक सेवा के रूप में उल्लेख करना भी संदिग्ध है। हालाँकि, मुद्दा यह देखना है कि क्या संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण द्वारा एन. सी. टी. डी. को आवंटित किए जाने के बाद ऐसे अधिकारियों को विशेष विभागों में नियुक्त करना जी. एन. सी. टी. डी. की शक्तियों के भीतर है। भारतीय प्रशासनिक सेवा *(संवर्ग)* नियम, *1954* के नियम *2 (सी)* के अनुसार, राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। नियम *7* नियुक्ति से संबंधित है और, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करता है कि संयुक्त संवर्ग के मामले में नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। जीओवीटी के अनुच्छेद *312* के संदर्भ में।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

संविधान, इस न्यायालय ने प्रेम कुमार जैन मामले में अभिनिर्धारित किया है कि केंद्र शासित प्रदेश उक्त अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए राज्य हैं। *[* पारस *86,87] [126-*डी-जी*]*

प्रेम कुमार जैन और अन्य *(1976) 3* एस. सी. सी. *743: [1976]*

पूरक। एस. सी. आर. *166-*निर्भर।

1.3 डैनिक्स के संबंध में भी यही स्थिति है। दानिक्स नियम, *2003* का नियम *11* के प्रशासक को अधिकार देता है

इन नियुक्तियों को करने के लिए संबंधित प्रशासन यानी केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी ओर, एन. सी. टी. डी. के संदर्भ में, प्रशासक, अर्थात् एल. जी. को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर इस संबंध में कार्य करना चाहिए। इसलिए, यह समान रूप से संदिग्ध हो जाता है कि क्या यह इसके अंतर्गत आता है

एल. जी. की विवेकाधीन शक्तियाँ एक बहुत ही विचित्र स्थिति की ओर ले जाती हैं। अपीलार्थी ने यह मानने का प्रयास किया है कि

सूची *II* की प्रविष्टि *41* पर भरोसा करके 'सेवाओं' के संबंध में कार्यकारी शक्ति, जो संदिग्ध हो सकती है। यह स्थिति एल. जी. को विवेकाधीन शक्तियां दे सकती है। दूसरी ओर, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एक बार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को श्रमशक्ति आवंटित हो जाने के बाद, जी. एन. सी. टी. डी. के पास ऐसे कर्मचारियों से निपटने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे परिदृश्य में, और एक ओर उपराज्यपाल *(*केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में*)* और परिषद के बीच शक्तियों के प्रयोग के किसी भी संघर्ष से बचने के लिए

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रियों को व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए एक न्यायसंगत और निष्पक्ष तंत्र तैयार करना आवश्यक है। संयुक्त सचिव के पैमाने पर सचिवों, एच. ओ. डी. और अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण और नियुक्ति

भारत सरकार और उससे ऊपर का कार्य उपराज्यपाल द्वारा किया जा सकता है और फाइल सीधे उन्हें प्रस्तुत की जा सकती है। दानिक्स अधिकारियों सहित अन्य स्तरों के लिए, फाइलों को मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के पास भेजा जा सकता है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल का विचार प्रबल होना चाहिए और

गृह मंत्रालय इसमें एक उपयुक्त अधिसूचना जारी कर सकता है।

ध्यान दें। हालांकि, ग्रेड *IV, III, II* और *I* डी. ए. एस. एस. अधिकारियों के लिए, शक्तियों का एक मौजूदा प्रत्यायोजन है जहां ग्रेड *IV* और *III* के लिए, सभी स्थानांतरण और पोस्टिंग सचिव *(*सेवा*)* द्वारा की जाती हैं; ग्रेड *II* और *I* के लिए, स्थानांतरण और पोस्टिंग मुख्य सचिव द्वारा की जाती हैं। अधिक पारदर्शिता के लिए सिविल सेवा बोर्ड *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसका गठन किया जा सकता है जिसका नेतृत्व चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए सचिव *(*सेवा*)* कर सकते हैं; द्वितीय और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए मुख्य सचिव द्वारा। *[* पारस *88-90] [126-G-H; 127-A-G]*

1.4 जहाँ तक अनुशासनात्मक अधिकारियों का संबंध है, वे पहले से ही सी. सी. ए. *(*सी. सी. एस.*)* नियमों के अनुसार निर्धारित हैं और

शासन और सुचारू सरकारी कार्य, प्रयास किए जाने चाहिए मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों द्वारा सामंजस्यपूर्ण कार्य संबंध बनाए जाने चाहिए। *[* पारस *91,92] [128-*बी-सी*]*

2. क्या केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की जांच के लिए एन. सी. टी. डी. की भ्रष्टाचार रोधी शाखा *(*ए. सी. बी.*)* के अधिकार क्षेत्र को बाहर करना और ए. सी. बी. के अधिकार क्षेत्र को केवल जी. एन. सी. टी. डी. के कर्मचारियों तक सीमित करना कानूनी है*? [* पैरा *92] [128-*डी*]*

आई. पी. सी. और आई. पी. सी. की रोकथाम के तहत कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के उद्देश्य से *Cr.P.C* की धारा *2 (*ओं*)* के तहत मामला दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार अधिनियम, *1947*। इस अधिसूचना के अनुसार, ए. सी. बी. का "पूरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में अधिकार क्षेत्र" था। नवंबर की अधिसूचना द्वारा इस अधिसूचना के स्थान पर

08 , 1993 , जी. एन. सी. टी. डी. ने उपराज्यपाल के माध्यम से पुराने सचिवालय में एन. सी. टी. डी. के ए. सी. बी. को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* के तहत अपराधों के लिए आई. डी. *1* की धारा *2 (*ओं*)* के तहत एक पुलिस स्टेशन घोषित किया। इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा *23* जुलाई, *2014* और *21* मई, *2015* की दो अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिसके अनुसार ए. सी. बी. का अधिकार क्षेत्र केवल जी. एन. सी. टी. डी. के कर्मचारियों तक ही सीमित है। मुद्दा सीमित है, अर्थात। , क्या ए. सी. बी. को केंद्र के संबंध में मामले दर्ज करने का अधिकार है

सरकारी कर्मचारी भी*?* इन अधिसूचनाओं के लिए अपीलार्थी द्वारा रखी गई चुनौती सूची की प्रविष्टि *2* पर आधारित है। *II.* दिल्ली को अर्ध-राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद भी

(जो हालांकि संवैधानिक अवधि में केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है*),* अनुच्छेद *239* एए *(*जो ऐसा दर्जा देता है*)* स्वयं प्रविष्टि *2* जीओवीटी को बाहर करता है।

एन. सी. टी. डी. के क्षेत्र से। इस प्रकार, 'पुलिस' के संबंध में, एन. सी. टी. डी. के पास विधायी या कार्यकारी शक्ति नहीं है। *[* पारस *93,*

106 , 107] [128 - ई-जी*; 138-*डी-एफ*]*

ऊखा कोल्हे बनाम। महाराष्ट्र राज्य *[1964] 1* एससीआर *926*

संदर्भित किया गया।

2.2 यह एक तय सिद्धांत है कि विधायी प्रविष्टियों की व्याख्या व्यापक और उदार तरीके से की जानी चाहिए।

पुलिस की विभिन्न शाखाओं/धाराओं की शक्तियों, कार्यों और अधिकार क्षेत्र को निरूपित करने वाले कार्यकारी निर्देश जारी करने सहित, इस प्रकार गठित पुलिस के कामकाज पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करना। संक्षेप में, विवादित अधिसूचनाएं, जिस हद तक वे पुलिस को प्रशासनिक निर्देशों की प्रकृति में हैं, सीधे तौर पर सूची *II* की प्रविष्टि *2* से संबंधित हैं और इस तरह से भारत सरकार के सक्षम के भीतर हैं। यहां तक कि जिस हद तक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, पुलिस पुलिस के कार्यों के अनुरूप हो सकती है *Cr.P.C* में निर्धारित, शक्ति की प्रकृति इस कारण से सूची *III* की प्रविष्टि *2* में परिवर्तित या संबंधित नहीं होगी। यह सूची *II* से सूची *III* तक का रूपक नहीं है। वास्तव में, पुलिस को एक प्रशासनिक/कार्यकारी निर्देश जारी करना पुलिस से संबंधित विधायी प्रवेश से संबंधित कार्यकारी शक्ति का एक प्रयोग है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस अधिनियम, *1978* के विभिन्न प्रावधान यह भी दर्शाते हैं कि नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्ति प्रशासक के पास निहित है। इसमें पुलिस स्टेशन की सीमा और विस्तार को परिभाषित करना और पुलिस पर प्रशासनिक नियंत्रण शामिल है।

ए. सी. बी. का जाँच क्षेत्र। *[* पारस *108,109] [138-*जी-एच*; 139-*ए-ई*]* *2.3* इसमें कोई संदेह नहीं है कि *Cr.P.C* की धारा *2 (*ओं*)* राज्य सरकार द्वारा पुलिस स्टेशन की स्थापना पर विचार करती है।

[2019] 3 एस सी आर।

हालाँकि, *Cr.P.C.* बनाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है।

गिरफ्तारी, जाँच करना और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि कौन से अपराध हैं। किस पुलिस बल द्वारा जाँच की जाएगी। *Cr.P.C* की धारा *156.* केवल यह प्रदान करती है कि पुलिस स्टेशन के अधिकारी करेंगे

जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र को दो पुलिस बलों के बीच अलग करने और सीमांकन करने की शक्ति होगी। अतः आक्षेप किया गया अधिसूचनाएँ मान्य हैं। यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है जब *Cr.P.C* को दिल्ली पुलिस अधिनियम, *1978* और अन्य संबंधित कानूनों के साथ पढ़ा जाता है।

अधिनियम। *[* पैरा *110] [139-*एफ-एच*; 140-*ए*]*

2.4 सूची *II* की प्रविष्टि *1*, विषय वस्तु जिसका विषय 'सार्वजनिक व्यवस्था' है, को भी जी. एन. सी. टी. डी. के दायरे से बाहर रखा गया है और यह संसद/केंद्रीय कार्यपालिका का अनन्य क्षेत्र है। 'सार्वजनिक व्यवस्था' शब्द में अपराधों का संज्ञान, तलाशी,

जब्ती और गिरफ्तारी, जिसके बाद अपराधों *(*एफ. आई. आर.*)*, जांच, अभियोजन, मुकदमे की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और

दोषसिद्धि, सजा का निष्पादन भी। ये सभी पहलू इसका अर्थ संयुक्त रूप से लगाया जाना चाहिए। वास्तव में, एक विशिष्ट था

सूची *II* की प्रविष्टियाँ *1,2* और *18* को सूची से बाहर करने का तर्क

एन. सी. टी. डी. सरकार का अधिकार क्षेत्र। बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट जिसमें इन प्रविष्टियों को हटाने की सिफारिश की गई थी *(*और रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा संविधान के अनुच्छेद *239* एए में विशेष रूप से प्रदान करके स्वीकार किया गया है*)* का विचार था कि पुलिस से संबंधित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और

सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव पूरी तरह से केंद्र में निहित होना चाहिए सरकार ताकि कोई भ्रम या ओवरलैप न हो

नियंत्रण और समन्वय के केंद्र बिंदु के संबंध में अधिकार क्षेत्र '।

राष्ट्र की राजधानी के रूप में एन. सी. टी. डी. की विशिष्ट स्थिति और केंद्र सरकार की सीट। *[* पारस *111,112] [140-*बी-ई*]* जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

स्टेनिस्लॉस वी। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

(1977) 1 एससीसी *677: [1977] 2* एस. सी. आर. *611;* ज़मीर अहमद

लतीफुर रहमान शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य और

अन्य *(2010) 5* एस. सी. सी. *246: [2010] 4* एससीआर *1042-*निर्भर पर।

2.5 जहां तक *08* नवंबर, *1993* की अधिसूचना का संबंध है, जिसमें पुराने सचिवालय में एन. सी. टी. डी. के ए. सी. बी. को पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्टेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बनाया गया था, इसे चुनौती नहीं दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी। तथ्य यह है कि इस अधिसूचना ने उसके बाद भी इस क्षेत्र को संभाला है। विवादित अधिसूचनाएं केवल *08* नवंबर, *1993* की उपरोक्त अधिसूचना में एक सीमित सीमा तक संशोधन हैं, जिसके तहत यह स्पष्ट किया जाता है कि यह पूर्व अधिसूचना राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी।

केवल वह सरकार *(*जी. एन. सी. टी. डी.*)* '। इस प्रकार, इसका एकमात्र प्रभाव यह है कि ए. सी. बी. को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए, यह जाँच सी. बी. आई. द्वारा की जाती है। इसलिए, यह दोहरेपन और अधिकार क्षेत्र के टकराव को भी दूर करता है। इस प्रकार, *23* जुलाई, *2014* और *21* मई, *2015* की अधिसूचनाओं की वैधता बरकरार है। *[* पारस *114,115] [141-*डी-एफ*]*

3. क्या जी. एन. सी. टी. डी. सी. ओ. आई. अधिनियम के तहत एक 'उपयुक्त सरकार' है*? [[* पैरा *115] [141-*जी-एच*]* सामान्य खंड *(*जी. सी.*)* अधिनियम की धारा *3 (8)* केंद्र सरकार को परिभाषित करती है। दूसरी ओर, जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* राज्य सरकार को परिभाषित करती है। जी. सी. अधिनियम भी परिभाषित करता है

'सरकार ',' राज्य 'और' केंद्र शासित प्रदेश '। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा *3 (58)* में निहित राज्य की परिभाषा में केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* में, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, राज्य सरकार का अर्थ केंद्र सरकार होगा। सी. ओ. आई. अधिनियम की धारा *2 (*ए*)* में आने वाली 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति का अर्थ जी. एन. सी. टी. डी. नहीं होगा,

एक केंद्र शासित प्रदेश। *[* पारस *129-132,135] [147-H; 148-A, D, F; 149 B; 156-D]*

गोवा नमूना कर्मचारी संघ बनाम। जनरल

भारत की अधीक्षण कंपनी *(1985) 1* एस. सी. सी. *206*

: [1985] 2 एस. सी. आर. *373* पर भरोसा किया।

[2019] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*) v.* नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु *(2005) 11* एससीसी *600: [2005] 2* पूरक। एस. सी. आर. *79;* नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम। उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा और अन्य। *(2016) 8* एससीसी *1:*

[2016] 6 एस. सी. आर. *1-*संदर्भित।

4. क्या विद्युत अधिनियम, *2003* की धारा *108* और दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, *2000* की धारा *12* के तहत,

4.1 विद्युत अधिनियम, *2003* धारा *2 (5)* में 'उपयुक्त सरकार' को परिभाषित करता है। जैसा कि खंड *(*ख*)* से देखा जा सकता है, उपयुक्त सरकार उन सभी मामलों में इस अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र वाली राज्य सरकार है जो 'केंद्र सरकार' के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। विद्युत अधिनियम की धारा *2 (5)* में निहित यह परिभाषा विद्युत अधिनियम की परिभाषा से भौतिक रूप से अलग है।

सी. ओ. आई. अधिनियम की धारा *2 (*ए*)* में उपयुक्त सरकार। एक अन्य महत्वपूर्ण और विशिष्ट पहलू यह है कि दिल्ली के संबंध में डी. ई. आर. अधिनियम भी राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है। एन. सी. टी. दिल्ली की विधानसभा जिसे राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। इस अधिनियम के तहत, दिल्ली

विद्युत नियामक आयोग *(*डी. ई. आर. सी.*)* की स्थापना की गई है ताकि उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सके और उक्त अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए कार्यों को किया जा सके।

एक्ट करें। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है जो डी. ई. आर. अधिनियम की धारा *10* से स्पष्ट है। धारा *11* विभिन्न कार्यों को निर्धारित करती है जो डी. ई. आर. सी. को करने हैं जिनमें बिजली, थोक, थोक, ग्रिड या खुदरा के लिए शुल्क का निर्धारण शामिल है, और पारेषण सुविधा आदि के उपयोग के लिए देय शुल्क का निर्धारण करना शामिल है। संक्षेप में, ऐसी शक्तियाँ लगभग वही शक्तियाँ हैं जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग *(*सी. ई. आर. सी.*)* को दी गई हैं। इस प्रकार, जहां तक एन. सी. टी. डी. का संबंध है, इसका अपना आयोग है, जिसका नाम डी. ई. आर. सी. है। सरकार की सामान्य शक्तियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक हित से जुड़ी नीति के मामलों में डी. ई. आर. सी. को निर्देश देना शामिल है, क्योंकि सरकार

समय-समय पर जारी किया जा सकता है। ये शक्तियाँ विद्युत अधिनियम की धारा *108* के तहत दी गई शक्तियों के समान हैं। *[*पैरा *143,*

144] [159 - बी, ई-एच*; 160-*ए, बी*]*

4.2 डी. ई. आर. अधिनियम विधायी द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है।

एन. सी. टी. डी. की सभा यह एन. सी. टी. डी. के भीतर काम करता है। यहाँ सरकार का अर्थ है जी. एन. सी. टी. डी. अर्थात एल. जी. जिसे सहायता जी. ओ. वी. टी. पर कार्य करना है।

और मंत्रिपरिषद की सलाह। इस अधिनियम के तहत, दिल्ली सरकार के पास जनहित से जुड़ी नीतियों के मामलों में डी. ई. आर. सी. को निर्देश जारी करने की शक्ति है। जब ऐसी शक्तियाँ डी. ई. आर. अधिनियम के तहत विशेष रूप से दिल्ली सरकार को प्रदत्त, यह नहीं कहा जा सकता है कि जहां तक विद्युत अधिनियम की धारा *108* का संबंध है,

2003 यदि संबंधित है, तो उसमें 'राज्य सरकार' शब्द का अर्थ होगा केंद्र सरकार। यदि इस तरह की व्याख्या दी जाती है, तो स्पष्ट रूप से बिजली अधिनियम/डी. ई. आर. अधिनियम के काम करने के संबंध में एन. सी. टी. डी. में अधिकार क्षेत्र का टकराव होगा।

चिंतित हैं। नतीजतन, इस पहलू पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। यह जी. एन. सी. टी. डी. के अधिकार क्षेत्र में था। *12* जून, *2015* को अधिसूचना जारी करने के लिए। *[*पैरा *146] [160-*डी-जी*]*

5. क्या जी. एन. सी. टी. डी. के राजस्व विभाग के पास भारतीय स्टाम्प अधिनियम, *1899* के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि *(*सर्कल दरों*)* की न्यूनतम दरों को संशोधित करने की शक्ति थी*? [*पैरा *146] [160-*एच*]*

5.1 जी. एन. सी. टी. डी. ने अगस्त में अधिसूचना जारी की थी

4 , 2015 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, *1899* और दिल्ली स्टाम्प *(*उपकरणों के कम मूल्यांकन की रोकथाम*)* नियम, *2007* के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि *(*सर्कल दरों*)* की दरों में संशोधन। इस अधिसूचना को जारी करने से पहले, मामले को उपराज्यपाल के समक्ष उनके विचारों या सहमति के लिए नहीं रखा गया था। जहाँ

तक सूची *I* की प्रविष्टि *91* का संबंध है, उसका विषय केंद्र/संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। यह स्टाम्प शुल्क की दरों से संबंधित है। विनिमय की वसीयतों, चेकों, वचन पत्रों, लेडिंग बिलों, क्रेडिट पत्रों, बीमा पॉलिसियों, शेयरों, डिबेंचरों, प्रॉक्सी और प्राप्तियों के हस्तांतरण के संबंध में। यह इस प्रकार है कि जहां तक सूची *I* की प्रविष्टि *91* में उल्लिखित उपकरणों का संबंध है, ऐसे दस्तावेजों के स्टाम्प शुल्क की दरें संघ के अनन्य क्षेत्र के भीतर हैं। अन्य साधनों के संबंध में, यह राज्य है जिसके पास स्टाम्प शुल्क की दरों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र है। *[* पैरा *147,157] [161-*ए-बी; *165-*सी-डी*]*

गुजरात राज्य और अन्य। वी. अखिल गुजरात प्रवासी वी. एस. महामंडल और अन्य। *(2004) 5* एससीसी *155: [2004] 3* एस. सी. आर. *956* संदर्भित है।

5.2 कृषि भूमि *(*चक्र दर*)* की दरों में संशोधन करने वाली *4* अगस्त, *2015* की अधिसूचना का पता सूची-*2* की प्रविष्टि *63* से लगाया जा सकता है।

और सूची *II* की प्रविष्टि *18* पर नहीं। मुद्रांक शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से वृत्त दरें तय की जाती हैं। इसलिए, वे 'भूमि' *[2019] 3* एस. सी. आर. से संबंधित नहीं हैं।

अर्थात् भूमि, भूमि कार्यकाल आदि में या उस पर अधिकार या कृषि भूमि के अलगाव का हस्तांतरण आदि। मुद्रांक शुल्क उपकरण पर शुल्क नहीं है, बल्कि यह वास्तव में संपत्ति के हस्तांतरण पर एक शुल्क है। इस अर्थ में, स्टाम्प शुल्क लगाने का अवसर वह दस्तावेज़ है जिसे दस्तावेज़ में सन्निहित लेन-देन से अलग निष्पादित किया जाता है। जी. एन. सी. टी. डी. की उक्त याचिका को स्वीकार करने के बाद भी, उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि मंत्रिपरिषद का यह निर्णय उपराज्यपाल के विचार/सहमति के बिना था। *[* पारस *158,159] [165-*ई-एच*; 166-*ए*]*

5.3 अनुच्छेद *239* एए के खंड *(4)* के परंतुक से यह स्पष्ट हो जाता है कि तब भी जब दिल्ली सरकार की कार्यकारी शाखा एल. जी. को 'किसी भी मामले' पर अपनी राय बनाने का भी अधिकार है जो उनके मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय से अलग हो सकता है। किसी भी मामले का मतलब 'प्रत्येक मामला' या 'प्रत्येक तुच्छ मामला' नहीं है, बल्कि केवल वे दुर्लभ और असाधारण मामले हैं जहां अंतर केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए इतना मौलिक है कि वह इसके योग्य है।

राष्ट्रपति तक पहुंचे। इसलिए, उपराज्यपाल के मंत्री परिषद के फैसले से नियमित रूप से भिन्न होने की उम्मीद नहीं है। अंतर ठोस और मजबूत कारणों पर होना चाहिए। हालाँकि, यह सीमा एल. जी. के शक्ति के प्रयोग से संबंधित है। साथ ही, परंतुक यह मानता है कि ऐसी आकस्मिकताएँ हो सकती हैं जहाँ उपराज्यपाल और उनके मंत्री भिन्न हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, उपराज्यपाल को मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए। हालांकि,

एनसीटीडी। इस प्रकार, प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए आपसी सहयोग आवश्यक हो जाता है। *[* पैरा *163] [159-*बी, ई-एच*; 160-*ए बी*]* *6 :* चाहे वह उपराज्यपाल हो या जी. एन. सी. टी. डी. जिसके पास विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति है।

Cr.PC की धारा *24* के तहत। *[*पैरा *163] [172-*सी*]* जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

Cr.P.C की धारा *24 (8)* के प्रावधानों के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति दोनों को प्रदान की जाती है

केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि *Cr.P.C* की धारा *24 (8)* के तहत, राज्य सरकार को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार है। हालाँकि, चूंकि एन. सी. टी. डी. एक केंद्र शासित प्रदेश है, जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* के आधार पर, यह केंद्र सरकार है जो राज्य होनी चाहिए।

सरकार। इसके अलावा, *20* मार्च, *1974* की अधिसूचना के बाद से, प्रशासक को शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है और

अभिव्यक्ति 'राज्य सरकार' का अर्थ एल. जी. होगा। साथ ही, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति सूची *III* की प्रविष्टियों *1* और *2* से संबंधित है, जिसके संबंध में जी. एन. सी. टी. डी. को विधायी क्षमता प्राप्त है। इसलिए, उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करना चाहिए। जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (8), 3 (58)* और *3 (60)* के अनुसार, एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रयोजनों के लिए 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति का अर्थ राष्ट्रपति है और इसमें शामिल हैं -

संविधान के अनुच्छेद *239* ए के संदर्भ में प्रशासक। जहाँ तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संबंध है, 'राज्य सरकार' का अर्थ है *Cr.P.C* की धारा *24 (8)* के प्रयोजनों के लिए उपराज्यपाल। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि इन प्रविष्टियों के संबंध में, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद *239* एए के तहत विधायी क्षमता है और संविधान के अनुच्छेद *239* एए *(4)* के तहत उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे। एल. जी. ने विशेष की नियुक्ति करते हुए

लोक अभियोजक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना है। *[* पैरा *164,166,170,172] [172-*डी*; 173-*ई*-*एफ*; 176-*सी*-*ई*]*

समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य *(1974) 2* एससीसी *831: [1975] 1* एससीआर *814;* एन. डी. एम. सी. बनाम. पंजाब राज्य *(1997) 7* एस. सी. सी. *339 [1996] 10* पूरक। एससीआर *472;* राय साहिब राम जवाया कपूर और अन्य। वी. पंजाब राज्य ए. आई. आर. *1995* एस. सी. *549;* बीर सिंह बनाम। दिल्ली जल बोर्ड और अन्य *(2018)*

10 एस. सी. सी. *312*-संदर्भित।

अशोक भूषण के अनुसार जे. *(*आंशिक रूप से असहमत*)*

1. अनुच्छेद *239* एए को संविधान *69* वें संशोधन, *1991* द्वारा *1* फरवरी, *1992* से प्रभावी किया गया है।

केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधान सभा को विधायी शक्तियाँ *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

69 वें संविधान से पहले भी एक स्वीकृत सिद्धांत था *(* संशोधन*)* अधिनियम। केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, *1963* को संसद द्वारा संविधान *14* वें संशोधन, *1962* द्वारा लाए गए अनुच्छेद *239* ए के संदर्भ में अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद *239* ए ने संसद को कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय बनाने का अधिकार दिया। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश

ऐसा मामला केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है "एक ज्ञात अवधारणा है जो *1963* के अधिनियम की धारा *18* में भी हो रही थी। *[* पारस *26,27,28] [190*-ई-एफ*]* *2.* केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए, भारत सरकार ने एक

बालाकृष्णन समिति नामक समिति, जिसने गृह मंत्रालय को *14.12.1989* पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट *69* वें संविधान संशोधन को लागू करने का आधार थी। *69* वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट को विशेष रूप से संदर्भित किया गया था और उस पर भरोसा किया गया था

बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का विस्तार करते हुए

अभिव्यक्ति "जहां तक ऐसे मामले केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होते हैं" ने देखा कि प्रविष्टियों के अलावा विशेष रूप से इसके अलावा, अन्य प्रविष्टियाँ थीं, जो वास्तव में दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर थीं। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* विशेष रूप से थी

बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट में विचार किया गया और

रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त प्रविष्टि केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासन के संबंध में सेवाएं मंत्रिपरिषद के साथ एक विधान सभा की स्थापना के बाद भी केंद्र की सेवाओं का हिस्सा होंगी। द. बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट, जिसके कारण *69* वां संविधान *(*संशोधन*)* अधिनियम पारित हुआ, ने स्पष्ट रूप से इस स्थिति को स्वीकार किया कि सूची *II* की प्रविष्टि *41* दिल्ली विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर नहीं होगी, जो निष्कर्ष प्रशंसनीय था, क्योंकि दिल्ली विधान सभा की विधायी शक्ति "जहां तक ऐसी कोई बात है तो जीओवीटी" अभिव्यक्ति द्वारा सीमित थी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है जैसा कि अनुच्छेद *239* एए *(3)* में होता है। बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट में, समिति ने उन सेवाओं के अस्तित्व पर ध्यान दिया, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मौजूद थीं। संघ द्वारा गठित कई केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामान्य सेवाएँ थीं। आई. डी. *1* पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद *309* को प्रोविसो द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं की शर्तों के नाम से नियम बनाए।

कर्मचारी नियम, *1959*। *[* पैरा *30,33,34,35,36] [191*-जी-एच*; 193* एफ*; 194*-बी, जी-एच*; 195*-डी-ई*]*

3. दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ मंत्री /

भारत के संविधान के अनुच्छेद *309* द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी सेवा नियम, *1967* भी बनाए गए थे। नियम *2 (*डी*)* में प्रावधान किया गया है कि "आयोग" का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद के नियम हैं

केंद्र शासित प्रदेशों के तहत सेवाओं के लिए तैयार किया गया। विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में संयुक्त सेवाओं के लिए भी नियम हैं। संसद उस समय अच्छी तरह से जानती थी जब संविधान *69* वां *(*संशोधन*)* अधिनियम लागू किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेशों में "सेवाएँ" शब्द संघ सेवाएँ हैं और कोई राज्य सेवाएँ नहीं हैं और सेवा आयोग का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग। *[* पैरा *37] [195-*एफ-एच*]*

4. राज्य और संसद की विधायी शक्तियों का वितरण संविधान के अनुच्छेद *245* और *246* के तहत प्रदान किया गया है।

संविधान। अनुच्छेद *246* खंड *(3)* जो ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है, "सातवीं अनुसूची में सूची *II* में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। लेख में प्रयुक्त अभिव्यक्ति

239 ए. ए. *(3) (*ए*)* अर्थात "जहाँ तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" अलग अभिव्यक्ति को दर्शाता है। वहाँ एक है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधायी शक्तियों के बीच अंतर, जो विभिन्न के उपयोग से स्पष्ट है

संविधान में अभिव्यक्तियाँ। संविधान में अनुच्छेद *239* एए को शामिल करते समय, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के कामकाज और संविधान द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली शक्तियों के विस्तार और नियंत्रण के बारे में अच्छी तरह से जानती थी

संशोधन। *[* पारस *40,41] [198-*सी, एच*; 199-*ए-बी*] [2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. की सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41*

दिल्ली विधानसभा के लिए संविधान उपलब्ध नहीं है।

विधायी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विधानसभा, सिवाय इसके कि जब कोई प्रविष्टि निहितार्थ या किसी स्पष्ट प्रावधान द्वारा बाहर रखी गई हो। यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* की विधान सभा के लिए उपलब्ध नहीं है जी. एन. सी. टी. डी., जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा "सेवाओं" के संबंध में किसी भी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद *239* ए. ए. *(4)* के अनुसार जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति उन मामलों के संबंध में फैली हुई है जिनके संबंध में विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है। "सेवाओं" के संबंध में जी. एन. सी. टी. डी. केवल उन कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिनका उपयोग वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत कर सकता है या वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

कार्यकारी शक्तियाँ, जो इसे सौंपी गई हैं। *[* पारस *2,24* और *42] [178-*बी*; 190-*सी*; 199-*सी-डी*]*

बीर सिंह बनाम। दिल्ली जल बोर्ड और अन्य *(2018) 10* एससीसी

312 - पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

ए. के. सीकरी के निर्णय में, जे. *[1975] 1* एससीआर *814*

संदर्भित किया गया है

पैरा *15*

[1996] 10 पूरक। एससीआर *472*

संदर्भित किया गया है

पैरा *16*

संदर्भित किया गया है

पैरा *31*

आकाशवाणी *1995* एससी *549*

(2018) 10 एस. सी. सी. *312*

पैरा *81*

संदर्भित किया गया है

[1976] पूरक। एससीआर *166*

उस पर भरोसा करें

पैरा *83*

[1964] 1 एससीआर *926*

पैरा *97*

संदर्भित किया गया है

[1977] 2 एससीआर *611*

उस पर भरोसा करें

पैरा *111*

[2010] 4 एससीआर *1042*

उस पर भरोसा करें

पैरा *111*

[2005] 2 पूरक। एससीआर *79*

पैरा *125*

संदर्भित किया गया है

[1985] 2 एससीआर *373*

उस पर भरोसा करें

पैरा *133*

[2016] 6 एससीआर *1*

पैरा *141*

संदर्भित किया गया है

[2004] 3 एससीआर *956*

संदर्भित किया गया है

पैरा *155* जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

अशोक भूषण के फैसले में, जे.

(2018) 10 एस. सी. सी. *312*

उस पर भरोसा करें

पैरा *37*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। *2357*

2017 से।

उच्च न्यायालय के *04.08.2016* दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *5888* में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय।

के साथ

अंत में। रिट याचिका *(*आपराधिक*)* सं. में *2016* की याचिका *(*सी*)* सं. *175*।

539 1986 की सिविल अपील सं। *2360 , 2359 , 2363 , 2362 , 2358 , 2361 , 2364 2017* की और *2017* की आपराधिक अपील संख्या *277*।

कॉलिन गोंजाल्विस, श्रीमती इंदिरा जयसिंह, पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल,

शेखर नाफड़े, मनिंदर सिंह, राकेश द्विवेदी, सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री सीता नायर पाल, सत्य मित्रा, सुश्री देविका रामचंद्रन, चिराग एम. श्रॉफ, नवीन आर. नाथ, बी. कृष्ण प्रसाद, शादन फरासत, प्रतीक के. चड्ढा, सुश्री नित्या रामकृष्णन, राहुल मेहरा, अश्वथ सीतारमन, निजाम पाशा, सुश्री अनुषा रमेश, सुश्री नेहमत कौर, अभिकल्प, सिद्धार्थ, सुश्री रुद्राक्षी देव, सुश्री श्रुति नारायण, पर्व गुप्ता, आर. बालासुब्रमण्यम, श्रीमती बीनू टम्टा, श्रीमती माधवी दीवान, रितेश कुमार, प्रभास बजाज, सुश्री कनिका सरन, पी. पांडे, सुश्री ए. चावला, एस. दास गुप्ता, बी. वी. बलरामदास, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री एस. पाठक, एकलवाया द्विवेदी, श्रीमती अनिल कटियार, राघव शंकर, के. आर. शशिप्रभु, अभिषेक डी., विष्णु शर्मा, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, अर्जुन सिंह, गौतम, श्रीमती गार्गी खन्ना, निखिल नय्यर, डॉ. मोनिका जी। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे.

प्रस्तावना

1. ये सभी अपीलें *04* अगस्त के फैसले से उत्पन्न होती हैं।

2016 भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत दायर रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत। हम उन रिट याचिकाओं के विषय का उल्लेख करेंगे और जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने उचित स्तर पर उनसे निपटा और निर्णय लिया। हालांकि,

यह इंगित करना उचित होगा कि उक्त विवादित निर्णय में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली *(*एन. सी. टी. डी.*)* की स्थिति से संबंधित मुख्य मुद्दा और विशेष रूप से, एन. सी. टी. डी. के प्रशासन के बारे में, शक्तियां *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. टी. डी. की निर्वाचित सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य और उसके कार्य *(* जी. एन. सी. टी. डी.*)* बनाम केंद्र सरकार *(*या अधिक सटीक रूप से कहें तो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित जी. एन. सी. टी. डी. के उपराज्यपाल *(*एल. जी.*)* के साथ*)*। यह मुद्दा उस व्याख्या के इर्द-गिर्द केंद्रित था जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद *239* एए को दिए जाने की आवश्यकता थी।

2. निस्संदेह, एन. सी. टी. डी. केंद्र शासित प्रदेश था और बना हुआ है और संविधान के भाग *VIII* द्वारा शासित है जो 'केंद्र शासित प्रदेशों' से संबंधित है। अनुच्छेद *239*, जिसने मूल अनुच्छेद को संविधान *(*सातवां संशोधन*)*

अधिनियम, *1956*, डब्ल्यू. ई. एफ., *1* नवंबर, *1956* द्वारा प्रतिस्थापित किया, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। जैसा कि नामकरण से ही पता चलता है, ऐसे क्षेत्र 'संघ' यानी भारत संघ के हैं। यही कारण है कि अनुच्छेद *239* में कहा गया है कि प्रत्येक संघ

क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, उस हद तक, जो वह उचित समझता है, एक प्रशासक के माध्यम से किया जाना है, जिसे उसके द्वारा उस पदनाम के साथ नियुक्त किया जाना है जिसे वह निर्दिष्ट करे। हालांकि, अनुच्छेद *239* के शुरुआती शब्द 'कानून द्वारा संसद द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर' हैं, जो यह मापते हैं कि संसद कानून द्वारा विभिन्न योजनाओं का प्रावधान कर सकती है।

ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासन, यानी अनुच्छेद *239* में बताए गए प्रशासन से अलग। वर्ष *1962* में, अनुच्छेद *239* ए को जोड़ा गया था, जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संबंध में अनुच्छेद *239* में निहित प्रशासन की योजना से थोड़ा अलग है। इसी तरह संविधान *(*उनसठवां संशोधन*)* अधिनियम, *1991* द्वारा दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल किया गया। यह अनुच्छेद, अन्य बातों के साथ-साथ, एन. सी. टी. डी., विधान सभा के लिए एक विधान सभा का प्रावधान करता है जो इसमें ऐसे सदस्य शामिल होते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब है कि एन. सी. टी. डी. के मतदाता विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

3. रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मूल मुद्दा द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से संबंधित है ऐसी निर्वाचित सरकार और जिस तरीके से एन. सी. टी. डी. होना है

प्रशासक की नियुक्ति उसके द्वारा उचित पदनाम के साथ की जानी चाहिए। इस तरह का पदनाम आम तौर पर प्रशासक या उपराज्यपाल का होता है। दिल्ली के संबंध में, उपराज्यपाल का पदनाम दिया जाता है। अनुच्छेद *239* एए को शामिल करके और विधानसभा के लिए प्रावधान करके उपरोक्त विशेष प्रावधान के साथ, यह सवाल उठा कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार की दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ क्या शक्तियां हैं।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

4. संक्षेप में और सटीक तरीके से बताने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि एन. सी. टी. डी. एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, इसलिए यह राष्ट्रपति है।

जो एन. सी. टी. डी. के साथ-साथ संघ के क्षेत्र का प्रशासन करना जारी रखता है, अर्थात, केंद्र सरकार और उसके मनोनीत, अर्थात्, उपराज्यपाल को अतिव्यापी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब ये अपीलें इस न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष आईं, तो खंड पीठ ने पाया कि उठाए गए मुद्दे मौलिक संवैधानिक महत्व के हैं और संविधान के अनुच्छेद *143* के खंड *5 (5)* में निहित प्रावधानों के संदर्भ में उन्हें संविधान पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है। मामले थे,

तदनुसार, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए संविधान पीठ को संदर्भित किया गया, अर्थात्, उपराज्यपाल के साथ जी. एन. सी. टी. डी. की शक्तियों की सीमा और दायरा। संविधान पीठ ने *04* जुलाई, *2018* के अपने फैसले में कांटेदार और पेचीदा मुद्दों की विभिन्न बारीकियों के जवाब दिए हैं। तीन मत हैं। बहुमत की राय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा लिखी गई है *(*जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था*)* जिस पर न्यायमूर्ति खानविलकर और हम में से एक *(*न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी*)* ने सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दो अन्य अलग-अलग राय दी गई हैं और

हममें से एक *(*न्यायमूर्ति अशोक भूषण*)*। उत्पन्न होने वाले विवादास्पद प्रश्नों के उत्तर देने के बाद, इन सभी अपीलों को इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत मुद्दों और विवादों पर निर्णय लेने के लिए नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार इन अपीलों में से प्रत्येक की विषय वस्तु के आधार पर, अपने गुण-दोष के आधार पर मामलों की सुनवाई की गई।

बेंच। हम इन विवादों को वर्तमान निर्णय के माध्यम से हल करने का प्रस्ताव करते हैं।

मुद्देः

5. इस मोड़ पर, हम इन अपीलों के सटीक विषय को संक्षेप में बताना चाहेंगेः

6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, *2017* की सिविल अपील संख्या *2357* उच्च न्यायालय द्वारा पारित *04* अगस्त, *2016* के सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती है।

रिट याचिकाओं के एक समूह में न्यायालय। इन रिट याचिकाओं में, भारत सरकार या जीएनसीटीडी द्वारा पारित अधिसूचनाओं की संख्या पर रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा सवाल उठाए गए थे। कुछ रिट याचिकाएं जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा दायर की गई थीं; एक भारत संघ द्वारा और कुछ अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन आदेशों और/या कार्यों की वैधता पर सवाल उठाया गया था, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में ही सारणीबद्ध रूप में कहा गया है। यह *[2019] 3* एस. सी. आर. के लिए सुविधाजनक होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसी तरह का उत्पादन करें जो विषय वस्तु के सार को पकड़ता है

प्रत्येक रिट याचिका में लिखा जाता है।

मुझे आदेश/कार्रवाई भेजी गई है

एस. नं.

पार्टियाँ

केस नं.

डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं। जीएनसीटीडी

अधिसूचना दिनांक *21.05.2015*

1 .

5888/2015 बनाम यू. ओ. आई

और *23.07.2014* द्वारा जारी किया गया

सरकार. भारत का गृह मंत्रालय

मामले

लेफ्टिनेंट को सशक्त बनाना।

राज्यपाल शक्तियों का प्रयोग करेंगे

संबंधित मामलों के संबंध में

ए. सी. बी. पुलिस स्टेशन नहीं लेगा

इनके विरुद्ध अपराधों का संज्ञान

केंद्र सरकार के अधिकारी।

डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं। राजेंद्र

अधिसूचना दिनांक *11.08.2015*

2 .

प्रसाद बनाम निदेशालय द्वारा जारी किया गया

7887/2015

जीएनसीटीडी और सतर्कता, जीएनसीटीडी

जाँच आयोग अधिनियम, *1952*

ओआरएस।

सामने रखे बिना

उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर

विचार/सहमति।

डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं। नरेश

अधिसूचना दिनांकित

04.08.2015

3 .

द.

7934/2015 कुमार बनाम पर मुकदमा चलाया गया है।

द्वारा

राजस्व

जी. एन. सी. टी. डी. और विभाग, जी. एन. सी. टी. डी.

कृषि की न्यूनतम दरें

ओआरएस।

भूमि *(*वृत्त दर*)* के तहत

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान,

1899 और दिल्ली डाक टिकट *(*रोकथाम*)*

उपकरण के अवमूल्यन का*)*

सामने रखे बिना नियम

उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर

विचार/सहमति।

डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं। विभाग द्वारा पारित संदीप आदेश

4 .

8190/2015 तिवारी बनाम बिजली, दिल्ली के अंतर्गत जी. एन. सी. टी. डी.

जी. एन. सी. टी. डी. और विद्युत सुधार अधिनियम, *2000*

दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी के साथ पढ़ें

ओआरएस।

लेफ्टिनेंट के सामने रखना

राज्यपाल

के लिए

उसका

विचार/सहमति।

डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं। एम. ए

अधिसूचना दिनांक *11.08.2015*

5 .

8382/2015 उस्मानी बनाम.

निदेशालय द्वारा जारी किया गया

यू. ओ. आई. और एन. आर.

सतर्कता, जीएनसीटीडी के तहत

जाँच आयोग अधिनियम, *1952*

उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर

विचार/सहमति।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं। यूओआई बनाम। अधिसूचना दिनांक *11.08.2015*

6 .

8867/2015 निदेशालय द्वारा जारी जी. एन. सी. टी. डी.

सतर्कता, जीएनसीटीडी के तहत

& एन. आर.

जाँच आयोग अधिनियम,

5

1952 सामने रखे बिना

उनके लिए उपराज्यपाल

विचार/सहमति।

नीति निर्देश दिनांकित

7. डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं। संदीप

एस.

डी

9164/2015

तिवारी बनाम।

12.06.2015 द्वारा जारी किया गया

विद्युत विभाग, जीएनसीटीडी

जीएनसीटीडी

बिजली की धारा *108* के तहत

& ओआरएस

टी

पूर्व में रखे बिना अधिनियम,

2003
लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके लिए

5

विचार/सहमति।

एफ.

रमाकांत

अधिसूचना दिनांक

22.12.2015

8. डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* नहीं।

348/2016

निदेशालय द्वारा जारी किया

गया

कुमार बनाम.

सतर्कता, जीएनसीटीडी के तहत

जीएनसीटीडी

जाँच आयोग अधिनियम,

एस.

1952 का गठन

बिना जांच आयोग

5

लेफ्टिनेंट के सामने रखना

गोवेमोर

विचार/सहमति।

9. डब्ल्यू. पी. *(*सीआरएल।*)*

जीएनसीटीडी

लेफ्टिनेंट द्वारा पारित आदेश।

गोवमोर, एन. सी. टी. दिल्ली

वीएस. नितिन

नहीं।

Cr.P.C की धारा *24.* नियुक्ति

2099/2015

मनावत

एक विशेष लोक अभियोजक को

ई.

एफ. आई. आर. में मुकदमा

चलाएँ

एस.

विशेष न्यायालय में

No.21/2012
पी. सी. अधिनियम के तहत

टीआई।

7. उपरोक्त से यह पता लगाया जा सकता है कि निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं

विचार के लिए:

(i) 'सेवाओं' से जुड़े मामलों के संबंध में उपराज्यपाल की तुलना में जी. एन. सी. टी. डी. की शक्तियाँ। इसका उल्लेख किया जा सकता है,

टीटी

इस मोड़ पर कि दिल्ली में कोई लोक सेवा नहीं है

एस.

आयोग। चूंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए श्रमशक्ति/जनता

दिल्ली को सौंपे गए सेवक या तो वे हैं जो संबंधित हैं।

5

अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय

4

पुलिस सेवा आदि या जिन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भर्ती किया जाता है,
आम तौर पर दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है,

ई.

लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली सिविल

सेवा *(*धानिक्स*)*। मान लीजिए कि ये अधिकारी/लोक सेवक विशेष रूप से या उस मामले में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित नहीं हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा एन. सी. टी. डी. के निपटान में रखा जाता है। इस हद तक कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, विवाद की जड़ उनकी गतिशीलता के बारे में है, यानी दिल्ली के भीतर ही एक स्थान/विभाग से दूसरे स्थान पर उनकी पोस्टिंग। इसे अन्यथा रखने के लिए, मुद्दा यह है कि क्या इस तरह के नियुक्ति आदेश भारत के राष्ट्रपति *(*या उस मामले के लिए उपराज्यपाल*)* द्वारा पारित किए जाने हैं या यह एन. सी. टी. डी. की सरकार है जो प्रयोग करने में सक्षम है।

ऐसी शक्ति एक बार जब उसे श्रमशक्ति सौंपी जाती है।

((ii) अन्य मुद्दा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस स्टेशन *(*ए. सी. बी. पुलिस स्टेशन*)* की स्थापना से संबंधित है। *21* मई, *2015* और *23* जुलाई, *2014* की अधिसूचनाओं के माध्यम से भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को प्रयोग करने का अधिकार दिया

ऐसी शक्ति और ए. सी. बी. पुलिस स्टेशन को न लेने का निर्देश दिया

केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान। इन अधिसूचनाओं को जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ए. सी. बी. पुलिस स्टेशनों को इसका संज्ञान लेने का अधिकार है।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी अपराध, जब तक कि वे दिल्ली में तैनात हैं। *(iii)* जी. एन. सी. टी. डी. और केंद्र सरकार के बीच एक और विवाद

सरकार जांच आयोग अधिनियम, *1952 (*सी. ओ. आई. अधिनियम*)* से उत्पन्न होती है। यह हैः क्या जी. एन. सी. टी. डी. को अपने स्वयं के उक्त अधिनियम के तहत और मामले को उपराज्यपाल के समक्ष उनके विचारों/सहमति के लिए रखे बिना जांच आयोग स्थापित करने का अधिकार है।

(iv) दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, *2011* अधिनियमित किया गया है जो राज्य विधायी है। दिल्ली विद्युत सुधार *(*हस्तांतरण योजना*)* नियम, *2001* भी इस अधिनियम के तहत बनाए गए हैं। जी. एन. सी. टी. डी. ने उपराज्यपाल के समक्ष मामले को रखे बिना उक्त अधिनियम और नियमों के तहत बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए। विचार/सहमति। इस तरह के कार्यकारी आदेश को पारित करने के लिए जी. एन. सी. टी. डी. की क्षमता विवाद का एक और विषय है।

(v) संघर्ष का एक अन्य क्षेत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *24* के तहत लोक अभियोजकों की नियुक्ति के बारे में है। मुद्दा यह है कि क्या यह शक्ति जी. एन. सी. टी. डी. को हटाने के लिए उपराज्यपाल के पास है या यह जी. एन. सी. टी. डी. है जो सक्षम जी. ओ. वी. टी. है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

विशेष लोक अभियोजकों सहित लोक अभियोजकों की नियुक्ति करना

व्यक्तिगत मामलों में।

संविधान पीठ का निर्णय

8. इन मुद्दों की पकड़ में आने से पहले संविधान के अनुच्छेद *239* एए के प्रावधानों पर संक्षेप में विचार करना आवश्यक होगा, जैसा कि *04* जुलाई, *2018* के संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है।

इसके बाद सी. बी. निर्णय के रूप में संदर्भित*)*। *9.* संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद, जिन पर इस संबंध में अन्य लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं अनुच्छेद *239* और *239* एए, जो इस प्रकार हैंः

" 239. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। *(1)* कानून द्वारा संसद द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, उस हद तक, जो वह उचित समझे, एक प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, जिसे उसके द्वारा उस पदनाम के साथ नियुक्त किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट करे।

(2) भाग *VI* में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को आस-पास के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, और जहां राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, वह स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करेगा। उनकी मंत्रिपरिषद से।

संशोधन*)* अधिनियम, *1991,* केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली *(*इसके बाद इस भाग में*)* कहा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट*)* और अनुच्छेद *239* के तहत नियुक्त इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) (क*)* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधानसभा में सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। *(* ख*)* विधान सभा में सीटों की कुल संख्या,

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, का विभाजन

क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

(ऐसे विभाजन के आधार सहित*)* और *[2019]* एस. सी. आर. से संबंधित अन्य सभी मामले।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधान सभा के कार्यकरण का विनियमन संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किया जाएगा।

(ग*)* अनुच्छेद *324* से *327* और *329* के प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा के संबंध में लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके सदस्य जो किसी राज्य, राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में क्रमशः लागू होते हैं; और अनुच्छेद *326* और *329* में 'उपयुक्त विधानमंडल' के लिए कोई भी संदर्भ संसद के लिए एक संदर्भ माना जाएगा।

(3 *) (* क*)* इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, विधान सभा को संपूर्ण या किसी अन्य के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।

राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा, जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* और उस सूची की प्रविष्टियों *64,65* और *66* के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं। *(* ख*)* उपखंड *(*क*)* की कोई भी बात इस संविधान के तहत संसद की इन मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्तियों का हनन नहीं करेगी -

किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए कोई मामला।

(ग*)* यदि किसी विषय के संबंध में विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध उस विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न किसी पूर्ववर्ती विधि का, तो दोनों ही मामलों में, संसद द्वारा बनाई गई विधि या, यथास्थिति, ऐसी पूर्ववर्ती विधि प्रबल होगी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि उस विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल होगी। विधान सभा, तिरस्कार की सीमा तक, शून्य होगीः

बशर्ते कि यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि हो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उसकी सहमति प्राप्त हो गई है, ऐसा कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रबल होगाः

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय एक ही मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जिसमें विधान सभा द्वारा इस तरह बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाली कानून भी शामिल है।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

(4) विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री उन मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए होंगे जिनके संबंध में विधान सभा के पास है।

कानून बनाने की शक्ति, सिवाय इसके कि जहाँ तक वह किसी कानून द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए अपेक्षित है:

बशर्ते कि किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में,

उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति को निर्णय के लिए भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा और ऐसा निर्णय आने तक यह उपराज्यपाल के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां मामला, उनकी राय में, इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जो वह समझता है।

आवश्यक है।

(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा के दौरान पद धारण करेंगे।

(6) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

{ (ख) उपखंड *(क)* में निर्दिष्ट कोई भी विधि इन प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद *368* के बावजूद कि इसमें कोई भी प्रावधान है जो इस संविधान में संशोधन करता है या संशोधन का प्रभाव रखता है।

*[*पुडुचेरी*]* का क्षेत्र, क्रमशः प्रशासक और उसका विधानमंडल*;* और उस अनुच्छेद में 'के खंड *(1)* के लिए कोई संदर्भ अनुच्छेद *239*-ए 'को इस अनुच्छेद या अनुच्छेद *239*-एबी, जैसा भी मामला हो, का संदर्भ माना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. जैसा कि ऊपर बताया गया है, न्यायालय ने उपरोक्त संविधान पीठ के फैसले में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अनुच्छेद *239* एए को शामिल करने के साथ,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली *(*एन. सी. टी. डी.*)* के रूप में जाने जाने वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देने वाले एन. सी. टी. डी. की अपनी विधानसभा है जो एन. सी. टी. डी. के मतदाताओं द्वारा चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित निकाय है। अतः मुख्य प्रश्न यह था कि क्या इस संशोधित संवैधानिक प्रावधान ने दिल्ली की स्थिति को बदल दिया है और इसके परिणामस्वरूप विधानसभा के साथ-साथ कार्यपालिका को कितनी सीमा और शक्ति दी जानी है।

चुनाव, अर्थात एन. सी. टी. दिल्ली सरकार। बहुमत की राय में, शुरुआत में ही इस बात पर जोर दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद *239* एए की व्याख्या की प्रक्रिया में प्रवेश करते समय, न्यायालय

माना जाता है कि नए उपकरणों की सहायता लेनी चाहिए जैसे कि संवैधानिक व्यावहारिकता जिसमें वस्तुनिष्ठता की पवित्रता के लिए उचित सम्मान है, हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक संरचना की पवित्रता के बारे में सभी को लगातार याद दिलाकर सही अर्थों में उद्देश्य को प्राप्त करना, संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के उपदेशों का उन्नयन, और न्याय के गंभीर विचार।

शक्ति का केंद्रीकरण। निर्णय में समझ की इस विधि को 'संविधान के विचार और भावना का संगम' के रूप में वर्णित किया गया है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद *239* एए की व्याख्या एक विशेष डिब्बे में नहीं की जानी है, बल्कि जिस संदर्भ में इसे प्रस्तुत किया गया है और संविधान के अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों की वैचारिक संरचना को भी ध्यान में रखते हुए।

11. इस प्रक्रिया में, न्यायालय ने दिल्ली के संक्षिप्त इतिहास को दोहराया

वर्ष *1911* में भारत की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना से लेकर संविधान में अनुच्छेद *239* एए को शामिल करने के चरण तक, जो बालकृष्णन समिति द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट का परिणाम था। फैसले में यह वर्णन इस प्रकार हैः

"15. 12-12-1911 पर, दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। दिल्ली तहसील और महरौली ठाणे को पंजाब से अलग कर दिया गया और एक आयुक्त के नेतृत्व में दिल्ली में मिला दिया गया और इसे मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में जाना जाने लगा। *1912* में दिल्ली कानून अधिनियम, *1912 1-10-1912* से लागू हुआ। पंजाब में प्रचलित कुछ कानूनों को दिल्ली में लागू करना। दिल्ली विधि अधिनियम, *1915* ने दिल्ली के मुख्य आयुक्त को भारत के राजपत्र में उचित अधिसूचना जारी करके कानूनों के अनुप्रयोग को निर्धारित करने का अधिकार दिया। भारत सरकार अधिनियम, *1919* और भारत सरकार अधिनियम, *1935* ने दिल्ली को जीओवीटी के रूप में बरकरार रखा।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

केंद्र प्रशासित क्षेत्र। लागू होने पर

26-1-1950 पर भारत का संविधान, दिल्ली एक भाग सी राज्य बन गया। वर्ष *1951* में, भाग सी राज्यों की सरकार अधिनियम, *1951* लागू किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली में एक विधान सभा का प्रावधान किया गया था। *1951* के अधिनियम की धारा *21 (1)* ने विधानसभा को *(i)* सार्वजनिक व्यवस्था; *(ii)* पुलिस *(*रेलवे पुलिस सहित*); (iii)* नगर निगमों के गठन और शक्तियों को छोड़कर संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *II* के सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया।

और स्थानीय अधिकारी आदि। - सार्वजनिक उपयोगिता प्राधिकरण; *(iv)* दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित संघ में/उसके कब्जे में निहित भूमि और भवन; *(v) (i)* से *(iv)* में उल्लिखित विषयों के बारे में कानूनों के खिलाफ अपराध; और *(vi)* उपरोक्त मामलों और उन पर न्यायालय शुल्क के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता।

16. भारतीय संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम, *1956* को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, *1956* के प्रावधानों को लागू करने के लिए पारित किया गया था, जिसमें भाग ए, बी, सी और डी राज्यों को हटा दिया गया था और केवल दो श्रेणियां, अर्थात् राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने रहे और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बन गई।

प्रशासन अधिनियम, *1966* को *56* निर्वाचित सदस्यों और पांच मनोनीत सदस्यों वाली एक महानगर परिषद के माध्यम से दिल्ली के लिए सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। सदस्य। उसी वर्ष, आई. डी. *1* पर, गृह मंत्रालय ने एस. ओ. सं. *2524* जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि उपराज्यपाल/प्रशासक/मुख्य आयुक्त भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन होंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे।

केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर जांच आयोग अधिनियम, *1952*। वर्ष *1987* में, बालकृष्णन समिति का गठन दिल्ली को दिए जाने वाले दर्जे के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किया गया था और उक्त समिति ने सिफारिश की थी कि दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, लेकिन एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद होनी चाहिए जो उक्त *[2019] 3* एस. सी. आर. के लिए जिम्मेदार हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित शक्तियों के साथ संयोजन; और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, प्रदान करने के लिए उचित संवैधानिक उपाय किए जाने चाहिएराष्ट्रीय पूँजी को एक विशेष दर्जा। अलाकृष्णन समिति की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" *6.5. 5 .* पैरा *6.5* में। *2 .* और *6.5*। *3 .* हमने दिल्ली को एक घटक राज्य बनाने के पक्ष और विपक्ष में दलीलों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

संघ से। सभी तर्कों पर अत्यंत सावधानीपूर्वक विचार करने और एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दिल्ली को संघ का राज्य बनाने के खिलाफ अधिकांश तर्क बहुत ठोस, ठोस और वैध हैं और योग्य हैं।

स्वीकृति। यह विचार हमारे सामने कुछ प्रतिष्ठित और जानकार व्यक्तियों द्वारा भी व्यक्त किया गया था, जिनका हमने साक्षात्कार लिया था। चूँकि ये तर्क स्वयं-स्पष्ट हैं, इसलिए हम उनसे संबंधित तर्कों को छोड़कर उनमें विस्तार से जाना अनावश्यक समझते हैं।

उनके द्वारा कवर किए गए संवैधानिक और वित्तीय पहलू।

6.5. 6 . संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तर्क हमारे संविधान के संघीय प्रकार पर आधारित है जिसके तहत संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों का संवैधानिक विभाजन होता है। यदि दिल्ली एक पूर्ण राज्य बन जाती है, तो संप्रभु, विधायी का एक संवैधानिक विभाजन होगा।

कार्य संघ के लिए राष्ट्रीय के संबंध में अपनी विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करना लगभग असंभव बना देंगे पूँजी के साथ-साथ राष्ट्र के लिए भी। हम पहले ही एक अध्याय में राष्ट्रीय राजधानी की विशेष विशेषताओं और इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखने की आवश्यकता का संकेत दे चुके हैं। इस तरह का नियंत्रण राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है

चाहे विषय वस्तु राज्य क्षेत्र में हो या संघ क्षेत्र में। यदि राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन को राज्य क्षेत्र और संघ क्षेत्र के कठोर विभागों में विभाजित किया जाता है, तो कई महत्वपूर्ण मामलों में संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना है, विशेष रूप से

यदि दोनों सरकारें अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाती हैं। इस तरह के संघर्ष कभी-कभी राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकते हैं।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

XX

XX

XX

6.5. 9 . हम इस तर्क से भी प्रभावित हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली समग्र रूप से राष्ट्र की है और संघ का कोई भी घटक राज्य जिसका दिल्ली एक हिस्सा बन जाएगा, जल्द या बाद में अन्य राज्यों के संबंध में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा। दैनिक मामलों में संघ के हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त संवैधानिक अधिकार, चाहे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्यों न हों, संघ को उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और

जिम्मेदारियाँ।

XX

XX

XX

लियूटेनेंट गवर्नर और मंत्रियों की परिषद

6.7.19 . दिल्ली के लिए एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में कार्यपालिका की संरचना कमोबेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए पैटर्न पर होनी चाहिए।

निर्दिष्ट किया गया। उपराज्यपाल का वर्तमान पदनाम इसे जारी रखा जा सकता है और संविधान में ही मान्यता दी जा सकती है। .....

XX

XX

XX

6.7.21 . प्रशासक से स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अपने कार्यों को करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। "सहायता और सलाह देना" अभिव्यक्ति एक कुआँ है।

हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के निहितार्थ को दर्शाने के लिए कला के शब्द को समझा। इस प्रणाली के तहत, सामान्य नियम यह है कि कार्यपालिका का अभ्यास

प्रशासक द्वारा कार्य अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर होने चाहिए जिसका अर्थ है कि वस्तुतः मंत्रियों को ही ऐसे मामलों पर निर्णय लेना चाहिए। हालाँकि, दिल्ली के लिए, इस सामान्य नियम के निम्नलिखित संशोधनों को अपनाना होगाः

(i) सबसे पहले, सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता

मंत्रिपरिषद *[2019] 3* एस. सी. आर. द्वारा अभ्यास के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रशासक। कारण स्पष्ट है क्योंकि ऐसे कार्यों के संबंध में है

किसी अन्य व्यक्ति की सलाह पर कार्य करने का कोई सवाल ही नहीं है।

((ii) दूसरा, आवश्यकता केवल उन मामलों के संबंध में है जिनके संबंध में विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति उन प्रतिबंधों के अधीन होगी जिन पर रिपोर्ट में पहले ही विचार किया जा चुका है। तदनुसार, मंत्रिपरिषद के पास बाहर रखे गए मामलों से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

विधान सभा के दायरे से।

दिल्ली के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले पर मंत्री। आम तौर पर, संविधान के तहत जिम्मेदार सरकार की प्रणाली पर लागू सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रमुख प्रशासन को केवल संवैधानिक के रूप में कार्य करना चाहिए

प्रमुख व्यक्ति होंगे और उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करना होगा, सिवाय इसके कि जब मामला उनके विवेक पर छोड़ दिया जाए। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद *239* के आधार पर, दिल्ली के अच्छे प्रशासन की अंतिम जिम्मेदारी में निहित है -

किसी राज्य के राज्यपाल की तुलना में प्रशासन। इसलिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। इस संबंध में केंद्र के प्रति प्रशासक की जिम्मेदारी और विधानमंडल के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करने की आवश्यकता। करने का सबसे अच्छा तरीका

यह उपबंध करने के लिए है कि यदि प्रशासक और उसके मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद का समाधान नहीं किया जा सकता है, तो उसे प्रश्न को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए और उस पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तात्कालिकता के मामलों में, यदि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो प्रशासक राष्ट्रपति के इस तरह के निर्णय के लंबित रहने तक कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। इसी कारण से न केवल *1951* के अधिनियम में, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित *1963* के अधिनियम के साथ-साथ *1978* के विधेयक में भी इस तरह का प्रावधान किया गया था। ”

2. इसके बाद बहुमत की राय ने ई. एस. के तर्कों पर ध्यान दिया। इसके बाद निम्नलिखित जी. ओ. वी. टी. पर चर्चा हुई।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

- प्रतिनिधि शासन के आदर्श/सिद्धांत
- संवैधानिक निष्पक्षता
- संवैधानिक शासन और वैध शासन की अवधारणा

संवैधानिक न्यास

- सामूहिक उत्तरदायित्व
- संघीय कार्यात्मकता और लोकतंत्र
- सहयोगात्मक संघवाद

व्यावहारिक संघवाद

- संघीय संतुलन की अवधारणा
- संविधान की व्याख्या

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

- संवैधानिक संस्कृति और व्यावहारिकता

13. उपरोक्त साधनों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद आवश्यक रूप से संबंधित प्रावधानों के संचालन और न्यायपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता थी, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद *239,239* ए और *239* एए की व्याख्या करने का अभ्यास किया।*14.* चूँकि यह व्याख्या भौतिक है और इन अपीलों में उठाए गए मुद्दों को तय करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुमत के निर्णय के कुछ हिस्सों की व्याख्या की जाए।

लेख:

" अनुच्छेद *239* और *239*-ए की व्याख्या:

174. उपरोक्त परिच्छेदों में दो दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। पहला, यह न्यायिक रचनात्मकता की अनुमति देता है और दूसरा, यह एक के प्रति जागरूक होने का उल्लेख करता है

प्राप्त करने की स्थिति और विवाद का व्यावहारिक यथार्थवाद। इसके अलावा, व्यवहार संबंधी जरूरतों और जीवन के मानदंडों पर ध्यान देने का सुझाव है। इस प्रकार, रचनात्मकता, व्यावहारिक प्रयोज्यता और सामाजिक दृष्टिकोण से वास्तविकता की धारणा व्याख्या की प्रक्रिया के साथ खुद को संलग्न करते हुए वारंट है।

एक संवैधानिक प्रावधान।

175. इस विवाद को हल करने के लिए, यह आवश्यक है कि हम गहराई से खोज करें और अनुच्छेद *239,239-*ए, *239-*ए. ए और *239-*ए. बी. का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें, जो सभी संविधान के भाग *VIII* में आते हैं, जिसका शीर्षक है, "केंद्र शासित प्रदेश"। इस उद्देश्य के लिए, आइए हम उपरोक्त अनुच्छेदों को एक-एक करके पुनः प्रस्तुत करें और उनकी व्याख्या करने के अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करें।

176. अनुच्छेद *239* केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रावधान करता है। वह इस प्रकार हैः

" 239. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। *- (1)* के रूप में सहेजें

अन्यथा कानून द्वारा संसद द्वारा प्रदान किया गया, प्रत्येक संघ
क्षेत्र का प्रशासन कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा,

जिस हद तक वह उचित समझता है, एक प्रशासक के माध्यम से

उसके द्वारा ऐसे पदनाम के साथ नियुक्त किया जाता है जो वह निर्दिष्ट करे।

एक निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश, और जहाँ एक राज्यपाल ऐसा है
नियुक्त, वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करेगा

स्वतंत्र रूप से अपने मंत्रिपरिषद से "।

(जोर दिया गया*)*

177. उक्त अनुच्छेद को संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम, *1956* द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। अनुच्छेद *239* का खंड *(1)*, "होगा" शब्द का उपयोग करके, यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाना है, जब तक कि संसद द्वारा कानून के रूप में अन्यथा प्रावधान न किया जाए। इसके अलावा, अनुच्छेद *239* के खंड *(1)* में यह भी निर्धारित किया गया है कि उक्त प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस पदनाम के साथ की जाएगी जो वह निर्दिष्ट करे। *178.* खंड *(2)* इसके बाद, एक अबाधित खंड होने के कारण, यह निर्धारित करता है कि इसके भाग *VI* में कुछ भी निहित हो,

संविधान, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है जो उस राज्य से सटे और/या निकट है जिसके वह राज्यपाल हैं। द.

किसी राज्य का राज्यपाल, जिसे इस प्रकार किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, उक्त केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से और स्वायत्त रूप से करेगा, न कि उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार, जिसके वह राज्यपाल हैं।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

79. इस संबंध में न्यायालय ने शमशेर सिंह के मामले में

अप्रा*)*, ने इस प्रकार देखा हैः

4. संविधान के वे प्रावधान जो स्पष्ट रूप से राज्यपाल से अपने विवेक से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अपेक्षा करते हैं, उनमें ऐसे अनुच्छेद शामिल हैं जिनका संदर्भ दिया गया है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद *9 (2)* में कहा गया है कि जहां एक राज्यपाल को एक पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वह अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करेगा।

0. पुनः, न्यायालय ने संघ में अनुच्छेद *239* की व्याख्या करते हुए

दिया और अन्य वी। सुरिंदर एस. ने कहाः

" असंशोधित अनुच्छेद *239* ने प्रशासन की परिकल्पना की

पहली अनुसूची के भाग सी में निर्दिष्ट राज्य राष्ट्रपति द्वारा एक मुख्य आयुक्त या एक उपराज्यपाल के माध्यम से संविधान जिसे उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।

पड़ोसी राज्य की सरकार। यह संविधान के भाग *VIII* के अन्य प्रावधानों के अधीन था। इसके विपरीत, संशोधित अनुच्छेद *239* किसी भी कानून के अधीन इसे निर्धारित करता है।

संसद द्वारा अधिनियमित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश होगा

राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित, जो उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे। अनुच्छेद *239 (*संशोधित*)* के खंड *(2)* के संदर्भ में, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी राज्य के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है।

निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश और उनकी नियुक्ति पर, राज्यपाल

प्रशासक के रूप में अपने कार्य का प्रयोग करना आवश्यक है

अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से। में अंतर

असंशोधित और संशोधित अनुच्छेद *239* की भाषा यह स्पष्ट करती है कि *1-11-1956* से पहले, राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के माध्यम से भाग सी राज्य का प्रशासन कर सकते थे, लेकिन, संशोधन के बाद, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश

के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाना आवश्यक है

एक प्रशासक जिसे उसके द्वारा ऐसे पदनाम के साथ नियुक्त किया गया हो जो वह निर्दिष्ट करे। अनुच्छेद *239* के खंड *(2)* के संदर्भ में

(संशोधित*)*, राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है और एक बार नियुक्त होने के बाद, राज्यपाल को, प्रशासक के रूप में अपनी क्षमता में, परिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है। राज्य के मंत्री जिनके वे राज्यपाल हैं। *"[2019] 3* एस. सी. आर.

" 181. अब, आइए हम संविधान के अनुच्छेद *239*-ए को स्कैन करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो स्थानीय विधानसभाओं या परिषद के निर्माण से संबंधित है।

कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्री या दोनों। वह इस प्रकार है:

" 239 - ए. स्थानीय विधानमंडलों या परिषदों का निर्माण

कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्री या दोनों। — *(1)*

संसद कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए बना सकती है -

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसी संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ मंत्री परिषद, या दोनों, जो कानून में निर्दिष्ट किए जाएं। *(2)* खंड *(1)* में निर्दिष्ट कोई भी ऐसी विधि इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी -

अनुच्छेद *368* के उद्देश्यों के बावजूद कि इसमें कोई भी प्रावधान है जो इस संविधान में संशोधन करता है या इसका प्रभाव पड़ता है।

182. उपरोक्त अनुच्छेद द्वारा लागू किया गया था

हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और दमन और दीव के क्षेत्र। इसके बाद, *25-1-1971* पर, हिमाचल प्रदेश ने राज्य का दर्जा हासिल कर लिया और परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश को अनुच्छेद *239*-ए से हटा दिया गया। इसके बाद, *21-1-1972* पर, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का दर्जा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप मणिपुर और त्रिपुरा दोनों को अनुच्छेद *239*-ए से हटा दिया गया।

183. इसी तरह, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, *1987* के अधिनियमन के साथ, गोवा और दमन और दीव दोनों को अनुच्छेद *239*-ए से हटा दिया गया था। संसद ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, *1963* के तहत तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं का गठन किया और तदनुसार, *1987* के बाद भी, अनुच्छेद *239*-ए की प्रयोज्यता केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित है। पुडुचेरी।

184. एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, जीओवीटी के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है।

लक्षद्वीप और चंडीगढ़। हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं की जा सकती क्योंकि यह पूरी तरह से अनुच्छेद *239*-ए के प्रावधानों द्वारा शासित है।

185. अब हम संविधान के अनुच्छेद *239* ए. ए. और *239*-ए. बी. की व्याख्या का विज्ञापन करेंगे। अपीलों का वर्तमान समूह। उक्त लेखों का पता लगाने और उनकी खोज करने के लिए एक विस्तृत व्याख्या और गहन विश्लेषण की आवश्यकता है।

संविधान *(*साठ-नौवां संशोधन*)* अधिनियम, *1991* द्वारा अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अनुच्छेदों को सम्मिलित करते समय संसद का सच्चा इरादा। उक्त लेख इस प्रकार हैं:

"239 - एए। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। — *(1)* संविधान *(69* वां संशोधन*)* अधिनियम, *1991* के प्रारंभ की तारीख से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली *(*इसके बाद इस भाग में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संदर्भित*)* कहा जाएगा और अनुच्छेद *239* के तहत नियुक्त प्रशासक होगा -

लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नामित। *(2) (* क*)* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधानसभा में सीटें भरी जाएंगी।

क्षेत्रीय क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र।

(ख*)* विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या,

क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

(ऐसे विभाजन के आधार सहित*)* और विधान सभा के कार्यकरण से संबंधित अन्य सभी मामलों को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ग*)* अनुच्छेद *324* से *327* और *329* के प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा के संबंध में लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके सदस्य जो किसी राज्य के संबंध में लागू होते हैं, क्रमशः किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्य; और अनुच्छेद *326* और *329* में "उपयुक्त विधानमंडल" के लिए कोई भी संदर्भ -

संसद का संदर्भ माना जाता है।

(3) (क*)* इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, विधान सभा को संपूर्ण या किसी अन्य के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।

राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा, जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* और उस सूची की प्रविष्टियों *64,65* और *66* के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं।

(ख*)* उपखंड *(*क*)* की कोई भी बात इस संविधान के तहत संसद की इन मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्तियों का हनन नहीं करेगी -

किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए कोई मामला।

(ग*)* यदि किसी मामले के संबंध में विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान उस मामले के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाए गए

कानून से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून के अलावा किसी पूर्ववर्ती कानून का,

तब, दोनों ही मामलों में, संसद द्वारा बनाई गई विधि, या, यथास्थिति, ऐसी पूर्ववर्ती विधि प्रबल होगी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि, प्रतिकूलता की सीमा तक, शून्य होगीः

बशर्ते कि यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि हो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उसकी सहमति प्राप्त हो गई है, ऐसा कानून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रबल होगाः

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय एक ही मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जिसमें विधान सभा द्वारा इस तरह बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाली कानून भी शामिल है। *(4)* एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें सदस्यों की कुल संख्या का दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

विधान सभा के पास कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय इसके कि जैसा कि वह किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए अपेक्षित हैः

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

बशर्ते कि दोनों के बीच मतभेद की स्थिति में

उपराज्यपाल और उनके मंत्री किसी भी मामले पर,

उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति को निर्णय के लिए भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा और इस तरह के निर्णय के लंबित रहने तक यह उपराज्यपाल के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां मामला, उनकी राय में, इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।

ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना जैसा वह समझता है।

आवश्यक है।

(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करेंगे। *(6)* मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी -

विधान सभा।

(7) (क*)* संसद, विधि द्वारा, पूर्वगामी में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने या पूरक बनाने के लिए प्रावधान कर सकती है।

खंड और सभी प्रासंगिक या परिणामी मामलों के लिए।

(ख*)* ऐसी कोई विधि जो उपखंड *(*क*)* में निर्दिष्ट है, अनुच्छेद *368* के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी, इसके बावजूद कि इसमें कोई प्रावधान है जो इस संविधान में संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। *(8)* अनुच्छेद *239*-बी के प्रावधान, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र, उपराज्यपाल और विधानसभा के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, प्रशासक और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं।

239 - एबी। संवैधानिक विफलता के मामले में प्रावधान मशीनरी। यदि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, संतुष्ट हो जाता है

(क*)* ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद *239*-एए या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है; या *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख*)* राष्ट्रीय राजधानी के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करने के लिए आवश्यक या समीचीन क्षेत्र, राष्ट्रपति कर सकता है

आदेश द्वारा अनुच्छेद *239* एए के किसी भी प्रावधान या अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर दिया जाता है।

उस अनुच्छेद की ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी कानून में निर्दिष्ट की जा सकती हैं और ऐसी आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान जो उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन लग सकते हैं

अनुच्छेद *239* और अनुच्छेद *239* एए के प्रावधानों के अनुसार।

(जोर दिया गया*)*

" 186. हम संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख करना उचित समझते हैं जो इस प्रकार हैः

" 1. प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन का सवाल

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विचाराधीन है

कुछ समय के लिए सरकार से। भारत सरकार

24-12-1987 पर नियुक्त एक समिति विभिन्न में जाने के लिए

दिल्ली प्रशासन से संबंधित मुद्दे और

अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उपायों की सिफारिश करें

प्रशासनिक व्यवस्था। समिति इस मामले में गई बहुत विस्तार से और चर्चा करने के बाद मुद्दों पर विचार किया

पूर्ववर्ती समितियाँ और आयोग। इस तरह के विवरण के बाद
जाँच और जाँच, इसने सिफारिश की कि दिल्ली को

एक केंद्र शासित प्रदेश बने रहना और एक विधायी व्यवस्था प्रदान करना

विधानसभा और ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के
मामलों से निपटने के लिए उचित शक्तियों के साथ सभा

आम आदमी की चिंता। समिति ने भी अनुशंसा की कि
स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और

व्यवस्थाओं को स्थायी रूप से शामिल किया जाना चाहिए

राष्ट्रीय राजधानी को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान

केंद्र शासित प्रदेश।

2. विधेयक उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

उपरोक्त, जैसा कि हम समझते हैं, वास्तव में दिल्ली को विशेष दर्जा देने की कल्पना करता है। जब हम व्याख्यात्मक में प्रवेश करते हैं तो इस मौलिक व्याकरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
अनुच्छेद *239*-ए. ए. और अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों का विच्छेदन

187. उपरोक्त, जैसा कि हम समझते हैं, वास्तव में दिल्ली को विशेष दर्जा देने की कल्पना करता है। जब हम अनुच्छेद *239*-एए और अन्य प्रासंगिक लेखों के व्याख्यात्मक विच्छेदन में प्रवेश करते हैं तो इस मौलिक व्याकरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उक्त प्रावधान को
समझने के लिए।

15. उपरोक्त तरीके से प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद, टी ने विशेष रूप से एन. सी. टी. डी. की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रक्रिया में,

समशेर सिंह बनाम ए. बी. *1* राज्य के मामले में पहले के फैसले में गलती की गई, जिससे उसने किसी राज्य में राज्यपाल की शक्तियों को समाप्त कर दिया और राज्यपाल को 'अपने विवेक से' कार्य करने का अधिकार था। यह वेदः

"192. इसके बाद, ए. एन. रे, सी. जे. ने संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ छठी अनुसूची के कुछ पैराग्राफ पर चर्चा की, जिसमें राज्यपाल की कुछ शक्तियों के संबंध में "अपने विवेक से" शब्दों का उपयोग इस तथ्य को उजागर करने के लिए किया जाता है कि राज्यपाल अपने विवेक से तभी कार्य कर सकता है जब संविधान के प्रावधान हों।

तो अनुमति दें।

193. इस संदर्भ में, हम प्राधिकरण को लाभ के साथ संदर्भित कर सकते हैं

देवजी वल्लभभाई टंडेल बनाम। गोवा, दमन और अंडमान के प्रशासक

दीव *[*देवजी वल्लभभाई टंडेल बनाम। गोवा, दमन और दीव के प्रशासक *(1982) 2* एस. सी. सी. *222: 1982* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 403]* उक्त मामले में, विचार के लिए जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या संघ के तहत प्रशासक की भूमिका और कार्य निर्धारित किए गए थे

क्षेत्र अधिनियम, *1963* किसी राज्य के राज्यपाल के समान है और इस तरह, क्या प्रशासक को मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" पर कार्य करना है। न्यायालय ने माना कि

प्रासंगिक प्रावधानों और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, *1963* की धारा *44* की भाषा के साथ संविधान के अनुच्छेद *74* और *163* की भाषा की तुलना करने के बाद, यह पाया गया कि प्रशासक, उन मामलों में भी जहां उन्हें अधिनियम के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है या जहां वह किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

न्यायिक कार्य, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है और वही परंतुक से प्रकट होता है

धारा *44 (1)*। अदालत ने आगे कहाः *(* एससीसी पीपी। *229-30* , पैरा *14-15)*

राष्ट्रपति को निर्णय लेने और निर्णय के अनुसार कार्य करने के लिए
राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिया गया। यदि राष्ट्रपति किसी

प्रशासक की विपरीत राय से स्थिति सहमत है।

मंत्रिपरिषद की सलाह पर, प्रशासक

मंत्रिपरिषद की सलाह को ओवरराइड करने में सक्षम होगा
और परंतुक के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ में, जाहिर है

राष्ट्रपति परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।

अनुच्छेद *74* के तहत दिए गए मंत्री। वस्तुतः, इसलिए, में

परिषद के बीच मतभेद की घटना

केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री और प्रशासक,

निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित होगा

और केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद

केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से बंधे रहें।

इसके अलावा, प्रशासक को अभी भी कार्य करने के लिए कुछ और अधिकार प्राप्त हैं।

मंत्रिपरिषद की सलाह का अपमान करना।

15. धारा *44 (1)* के परंतुक का दूसरा अंग सक्षम बनाता है -

प्रशासक कि उसके और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की स्थिति में वह न केवल मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, बल्कि मध्यावधि के दौरान जहां मामला उसकी राय में इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, उसके पास ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा करने की शक्ति है।

मामले में निर्देश जो वह आवश्यक समझता है। दूसरे शब्दों में, अंतराल के दौरान वह पूरी तरह से सलाह को ओवरराइड कर सकता है

मंत्रिपरिषद और उसके प्रकाश के अनुसार कार्य करें। न तो राज्यपाल को और न ही राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त है। एक ओर राज्यपाल और राष्ट्रपति और दूसरी ओर प्रशासक की शक्तियों और पद में यह बुनियादी कार्यात्मक अंतर इतना स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है।

[समशेर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, *(1974) 2* एससीसी *831: 1974* एस. सी. सी. *(*एल. एंड. एस.*) 550]* कि प्रशासक विशुद्ध रूप से एक संवैधानिक पदाधिकारी मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है और अपने दम पर कार्य नहीं कर सकता है।

(जोर दिया गया*)*

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

16. इसके बाद, एन. डी. एम. सी. बनाम में न्यायाधीश पीठ सहित विभिन्न अन्य निर्णयों पर ध्यान दिया गया। पंजाब राज्य *2* मामला जो विशेष रूप से एन. सी. टी. डी. की स्थिति के साथ है। इस पहलू पर निम्नलिखित पैराग्राफ की आवश्यकता है

रोडकशनः

" 199. अनुच्छेद *163* के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के प्रयोग में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है, सिवाय इसके कि जहां वह संविधान द्वारा या उसके तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार, राज्यपाल अपने विवेक से तभी कार्य कर सकता है जब वह ऐसा करता है।

संविधान के एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा अनुमत। *200.* जहाँ तक दिल्ली के उपराज्यपाल का संबंध है, अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(4)* के अनुसार, वह दिल्ली के उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए बाध्य है।

विधान सभा के पास विधायी शक्तियाँ हैं। हालांकि, यह अनुच्छेद *239*-एए के खंड *(4)* में निहित परंतुक के अधीन है जो उपराज्यपाल को यह शक्ति देता है कि उनके और उनके मंत्रियों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में, वह इसे बाध्यकारी निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। खंड *(4)* के इस परंतुक ने

दिल्ली विधानसभा के विधायी क्षेत्र के भीतर आने वाले मामलों पर भी संघ की शक्तियों को बरकरार रखा है। यह ओवरराइडिंग

अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की केंद्र की शक्ति है

अनुच्छेद *246 (4)* के तहत उजागर किया गया।

17. इसके बाद न्यायालय ने विशेष रूप से दिल्ली के मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका पर ध्यान केंद्रित किया और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

यह विशेष पहलू है:

"204. के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए एक सादृश्य बनाना अनुच्छेद *239*-एए *(3) (ए)* और अनुच्छेद *239*-एए *(4)* से पता चलता है कि

दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की कार्यकारी शक्ति है -

दिल्ली की विधायी शक्ति के साथ अंतहीन विधान सभा जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद *239* में की गई है

राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषय और, इस प्रकार, अनुच्छेद *239*-एए *(4)* परिषद को कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है

उन सभी विषयों पर मंत्री जिनके लिए दिल्ली विधानमंडल विधानसभा के पास विधायी शक्ति है।

205. दिल्ली विधानमंडल को विधायी शक्ति प्रदान की गई

विधानसभा के अनुसार विधायी अधिनियमों को प्रभावी बनाना है

दिल्ली की आवश्यकताएँ और आवश्यकताएँ जबकि कार्यकारी शक्ति है कार्यपालिका को कुछ नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिए सम्मानित किया जाता है।

यह दृष्टिकोण इस तथ्य से भी मजबूत होता है कि सातवें के बाद

संविधान का संशोधन जिसके द्वारा शब्द "भाग सी"

राज्यों को "केंद्र शासित प्रदेशों" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था,

अनुच्छेद *73* के प्रावधान में "राज्य" शब्द को पढ़ा नहीं जा सकता है।

इस तरह की व्याख्या के रूप में केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होगा भाग *VIII (*संघ*)* की योजना और उद्देश्य को प्रस्तुत करना

संविधान के क्षेत्र*)* निष्फल "।

18. चर्चा का अगला पहलू अनुच्छेद *239* एए के सार पर था।

ई संविधान। निम्नलिखित पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

इस पहलू पर टिप्पणीः

" 207. शुरुआत में, हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि अनुच्छेदों का सम्मिलन *239* - एए और *239*-एबी, जो विशेष रूप से दिल्ली के एन. सी. टी. से संबंधित हैं,

यह दिल्ली को एक सुई देने के संसद के इरादे को दर्शाता है

अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों से सामान्य स्थिति

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जिसके लिए अनुच्छेद *239*-ए है

तारीख तक एकल रूप से लागू। वही आधिकारिक रूप से किया गया है

एन. डी. एम. सी. मामले में बहुमत निर्णय द्वारा आयोजित *[*एन. डी. एम. सी. बनाम। राज्य

पंजाब का, *(1997) 7* एस. सी. सी. *339]* इस प्रभाव से कि दिल्ली अपने आप में एक वर्ग है।

XX

XX

XX

215. हमने इस अंतर को रेखांकित करने के लिए उजागर किया है और

एक समूह के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिल्ली के एन. सी. टी. के मतदाताओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और इलाज करने के लिए

एक प्रतिनिधि रूप के रूप में दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार सरकार।

216. विधान सभा पूरी तरह से निर्वाचित लोगों से बनी होती है।

ऐसे प्रतिनिधि जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है और भेजा जाता है

दिल्ली के मतदाताओं द्वारा दिल्ली की विधानसभा में। इनमें से कोई नहीं।

दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को नामित किया जाता है। द.

दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रिपरिषद,

दिल्ली के मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होना चाहिए

शक्तियाँ ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कर सकें।

यह बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट जीओवीटी से भी स्पष्ट है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

जिसने सिफारिश की कि यद्यपि दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, फिर भी इसे एक विधान सभा और ऐसी विधानसभा के लिए जिम्मेदार एक मंत्रिपरिषद प्रदान की जानी चाहिए जो संबंधित मामलों से निपटने के लिए उचित शक्तियों के साथ हो।

आम आदमी।

217. अनुच्छेद *239*-ए. ए. के खंड *(3)* का उपखंड *(ए)* दिल्ली विधानसभा के लिए कानून बनाने की शक्ति स्थापित करता है। राज्य सूची और/या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* के संबंध में और उनसे संबंधित मामलों को छोड़कर।

218. खंड *(3)* के उपखंड *(*बी*)* में कहा गया है कि संसद को किसी संघ के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां हैं।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके किसी भाग और उपखंड *(ए)* सहित क्षेत्र संसद की ऐसी शक्तियों का अपमान नहीं करेगा। उप.

खंड *(3)* का खंड *(*ग*)* संसद को इसके लिए प्रबलित करने की शक्ति देता है -

219. इस प्रकार, अनुच्छेद *239*-ए. ए. के खंड *(3)* से यह स्पष्ट है कि संसद को राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए किसी भी मामले पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है और साथ ही, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए मामलों के संबंध में विधायी शक्ति भी है। उन प्रविष्टियों के संबंध में जिन्हें अनुच्छेद *239*-एए *(3) (ए)* से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

220. अब, अनुच्छेद *239*-ए. ए. के खंड *(4)* का विश्लेषण करना आवश्यक है, जो विवाद के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। खंड *(4)* दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वेस्टमिंस्टर शैली की मंत्रिमंडल प्रणाली निर्धारित करता है, जिसमें उन मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिनके संबंध में दिल्ली विधान सभा को *[2019] 3* एस. सी. आर. के मामलों को छोड़कर कानून बनाने की शक्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसके संबंध में उपराज्यपाल से अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

222. अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(3) (*ए*)* और अनुच्छेद *239* ए. ए. *(4)* के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। दिल्ली विधानसभा जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद *239* एए *(3)* में की गई है और जो राज्य सूची में तीन विषयों और समवर्ती सूची में सभी विषयों को छोड़कर सभी पर फैली हुई है और इस प्रकार, अनुच्छेद *239*-एए *(4)* मंत्रिपरिषद को उन सभी विषयों पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्ति है।

223. अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*ए*)* संसद की विधायी शक्ति को सुरक्षित रखता है।

राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर, लेकिन खंड *(4)* ऐसे मामलों के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्तियों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रखता है। इसके विपरीत, खंड *(4)* स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार को उन मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है जिनके लिए विधानसभा के पास शक्ति है।

कानून बनाने के लिए। विधायी शक्ति विधानसभा को अधिनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है, जबकि विधान की नीति को कार्यपालिका द्वारा प्रभावी किया जाना है, जिसके लिए

दिल्ली सरकार के पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां होनी चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण अवलोकन के अनुरूप है राम जवाया कपूर *[*राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. *1955* एस. सी. *549]* जिस पर फैसले के पहले भाग में विस्तार से चर्चा की गई है।

224. अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(4)* दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार को कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता है जबकि

संघ अनुच्छेद *73* से उपजा है और जी. ओ. वी. टी. के साथ सह-विस्तारित है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

संसद की विधायी शक्ति। इसके अलावा, व्यावहारिक विचार

संघवाद और सहयोगात्मक संघवाद जमीन पर गिर जाएगा यदि

हम यह कहना चाहते हैं कि संघ के पास कार्यकारी शक्तियां हैं

उन मामलों के संबंध में भी जिनके लिए दिल्ली विधानसभा

उनके पास विधायी शक्तियाँ हैं। अतः यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि

राज्य सूची के उन तीन मामलों तक सीमित जिनके लिए दिल्ली विधान सभा की विधायी शक्ति रही है

अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*ए*)* के तहत बाहर रखा गया। इस तरह की व्याख्या

केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रयास को विफल कर देगा सभी नियंत्रण को जब्त करें और व्यावहारिक संघवाद की अवधारणाओं को अनुमति दें

और दिल्ली के एन. सी. टी. को कुछ हद तक देकर संघीय संतुलन कायम रहेगा।

सीमाओं के अधीन अपने कामकाज में आवश्यक स्वतंत्रता

संविधान द्वारा लागू किया गया।

XX

XX

XX

239. अनुच्छेद *239*-एए *(4)* का प्रावधान, हम बिना किसी डर के कहते हैं।

विरोधाभास की, एक सख्त अर्थ में व्याख्या नहीं की जा सकती है केवल उन शब्दों का उपयोग किया जाता है जो उन्हें बिना भुगतान किए केवल अक्षरों के रूप में मानते हैं

जिस विचार और भावना को वे व्यक्त करना चाहते हैं, उस पर ध्यान दें।

उन्हें नसों के बिना हड्डियों और मांस के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और

न्यूरॉन्स जो नसों को कार्यात्मक बनाते हैं। हम महसूस करते हैं, यह आवश्यक है

के भाव में प्रावधान के शब्दों को पढ़ने के संदर्भ में लोकतांत्रिक राजनीति के शासन में नागरिकों की भागीदारी

यह चरित्र में गणतंत्रवादी है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि कब हम ऐसा कहते हैं, यह नहीं माना जाना चाहिए कि भत्ता है

निर्माण के लिए न्यायिक रचनात्मकता का भारी प्रवेश प्रस्तावना पर अपना आधार और मंच रखने का इरादा है और

संवैधानिक व्याख्या और उद्देश्यपूर्ण से संबंधित उदाहरण

इन्द्रिय और आत्मा की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए व्याख्या संविधान से। यह एक तरह से न्यायिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन है।

संविधान की कार्यात्मकता के लिए। और हम इसे संवैधानिक कहते हैं। व्यावहारिकता "।

19. बहुमत की राय जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम पर भी केंद्रित थी,

साथ ही जी. एन. सी. टी. डी. नियम, *1993* के व्यवसाय का लेन-देन।

उक्त अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों के विश्लेषण के कारण निम्नलिखित चर्चा हुईः

"*244. 1991* के अधिनियम की शरीर रचना की जांच करने पर, हम पाते हैं कि अधिनियम में पचास-छह धाराएँ हैं और इसे पाँच भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित है। अब, हम "उपराज्यपाल और मंत्रियों से संबंधित कुछ प्रावधान" शीर्षक वाले *1991* के अधिनियम के भाग *IV* में निहित कुछ प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं। धारा *41* उन मामलों से संबंधित है जिनमें उपराज्यपाल अपने कार्य में कार्य कर सकता है।

विवेकाधिकार और इस प्रकार पढ़ता हैः

"*41.* वे मामले जिनमें उपराज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। *(1)* उपराज्यपाल अपने कार्य में कार्य करेगा।

किसी मामले में विवेकाधिकार

((i) जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है, लेकिन जिनके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उसे शक्तियां या कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए हैं;

या *((ii)* जिसमें उसे किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने या किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में उपराज्यपाल किसी कानून द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए आवश्यक है, तो निर्णय

उस पर उपराज्यपाल की नियुक्ति अंतिम होगी।

(3) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में किसी कानून द्वारा उपराज्यपाल से किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है, तो उस पर उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। *245. 1991* के अधिनियम की धारा *41* के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि उपराज्यपाल केवल उन मामलों में अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं जो *1991* के अधिनियम की विधायी क्षमता से बाहर हैं।

दिल्ली की विधान सभा या मामलों के संबंध में

जिसके द्वारा उसे कौन सी शक्तियाँ सौंपी या प्रत्यायोजित की जाती हैं

राष्ट्रपति या जहाँ कानून द्वारा उससे अपने विवेक से कार्य करने या किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपराज्यपाल प्रत्येक मामले में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है और कुल मिलाकर, उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ तीन मामलों तक सीमित हैं।

जिस पर दिल्ली विधान सरकार की विधायी शक्ति है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

विधानसभा अनुच्छेद *239* के खंड *(3) (ए)* द्वारा बहिष्कृत है।

एए।

253. एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान *1991* के अधिनियम की धारा *49* है।

जो अधिनियम के भाग *V* के तहत आता है जिसका शीर्षक है "विविध और

संक्रमणकालीन प्रावधान "और लेफ्टिनेंट के संबंध को निर्धारित करता है

राज्यपाल और उनके मंत्री राष्ट्रपति के लिए। धारा *49* में लिखा है -

इस प्रकारः

" *49.* उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों का राष्ट्रपति से संबंध। इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, उपराज्यपाल और उनकी मंत्रिपरिषद के अधीन होंगे।

इस तरह के विशेष के सामान्य नियंत्रण और अनुपालन

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्देश, यदि कोई हो, दिए जाएँ।

" *254. 1991* के अधिनियम की धारा *49* से पता चलता है कि एन. सी. टी. में

एक ओर मुख्यमंत्री और दूसरी ओर उपराज्यपाल एक टीम है, दो लोगों के लिए बनाई गई साइकिल पर एक जोड़ी, जिसमें राष्ट्रपति सवार होते हैं, जो सामान्य नियंत्रण बनाए रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति, इस सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, के अनुसार कार्य करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह "।

20. अब हम पूर्ण रूप से उन निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे जिन पर बहुमत का निर्णय आया था। ये निम्नानुसार हैंः

" धारावाहिक में निष्कर्ष

284. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को क्रमिक रूप से दर्ज करते हैंः *284.1 .* संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, संवैधानिक न्यायालयों के लिए अपनाने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे ठोस दृष्टिकोण संविधान के शब्दों को संविधान की भावना के प्रकाश में पढ़ना है।

संविधान ताकि की सर्वोत्कृष्ट लोकतांत्रिक प्रकृति

284.2 . एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, सामूहिक जो हैं संप्रभु कानून बनाने के लिए अपने कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं *[2019] 3* एस. सी. आर.

और ऐसी नीतियों को आकार देना जो लोकप्रिय इच्छाशक्ति को दर्शाती हों। निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होने के नाते सुलभ, सुलभ होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए। इस

प्रकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवैधानिक निष्पक्षता को प्रतिनिधि शासन के एक मानक के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए जो न तो वैचारिक विखंडन को सहन करता है और न ही किसी काल्पनिक कल्पना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह संवैधानिक विचारधाराओं पर जोर देता है।

284.3. संवैधानिक नैतिकता, जिसे उचित रूप से समझा जाता है, का अर्थ है वह नैतिकता जिसमें संवैधानिक मानदंडों और संविधान की अंतरात्मा में अंतर्निहित तत्व हैं। औचित्य प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य में संवैधानिक आवेग के अनुरूप होने की क्षमता होनी चाहिए। हमारी संवैधानिक दृष्टि को साकार करने के लिए, यह अपरिहार्य है कि सभी नागरिक और विशेष रूप से उच्च पदाधिकारी संवैधानिक नैतिकता की भावना पैदा करें जो कुछ लोगों के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण के विचार को नकारती है।

प्रक्रिया तर्कसंगतता और स्वीकार्यता। इसलिए, इस तरह के निर्णय संवैधानिक निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप और संविधान की भावना के अनुरूप होने चाहिए। *284.5*. सर्वोच्च साधन होने के नाते संविधान में संवैधानिक शासन की अवधारणा की परिकल्पना की गई है, जिसके दो अंगों के रूप में, सार्वजनिक शक्ति की प्रत्ययी प्रकृति के सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है। संवैधानिक शासन, बदले में, आवश्यक संवैधानिक विश्वास को जन्म देता है जो होना चाहिए

उनके प्रदर्शन के दौरान सभी संवैधानिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित

आधिकारिक कर्तव्य। *284.6*. हमारा सरकार का एक संसदीय रूप है जो मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। कैबिनेट

किसी भी मंत्रालय में की गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए विधायिका के प्रति कर्तव्य है और प्रत्येक व्यक्तिगत मंत्री मंत्रालय के प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार है। "सहायता और सलाह" के संदर्भ में सामूहिक जिम्मेदारी का यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मंत्रिपरिषद के सुविचारित वैध निर्णय को जी. ओ. वी. टी. की ओर से भिन्न दृष्टिकोण के कारण प्रभावी नहीं किया जाता है।

लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा को नकार दिया जाएगा।

284.7. हमारा संविधान एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था, समकालीन विविधता में एक शास्त्रीय एकता और पहचान खोए बिना अंततः सामंजस्य में एक बहुलवादी परिवेश स्थापित करने के लिए संघवाद और लोकतंत्र के एक सार्थक संगठन पर विचार करता है। इन दोनों अवधारणाओं को पूर्ण प्रभाव देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए। *284.8*. संवैधानिक दृष्टि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को एक समग्र इमारत बनाने के उद्देश्य से समान रूप से प्रेरित करती है। इस प्रकार, केंद्र और राज्य सरकारों को सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और परस्पर निर्भरता प्रदर्शित करके एक सहयोगी संघीय ढांचे को अपनाना चाहिए ताकि किसी भी संभावित संवैधानिक कलह से बचा जा सके। व्यावहारिक संघवाद की स्वीकृति और संघीय संतुलन प्राप्त करना एक आवश्यकता बन गई है जिसके लिए एक व्यावहारिक अभिविन्यास का प्रदर्शन करके केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अनुशासित ज्ञान की आवश्यकता है।

284.9. संविधान ने एक संघीय संतुलन को अनिवार्य किया है जिसमें राज्य सरकारों को एक निश्चित आवश्यक डिग्री की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। केंद्रीकरण के विपरीत, एक संतुलित संघीय संरचना यह अनिवार्य करती है कि संघ सभी शक्तियों को हड़प न ले और राज्यों को उन मामलों के संबंध में केंद्र

सरकार से किसी भी अवांछित हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता प्राप्त हो जो विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

284.10 . संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके और दृष्टिकोण के संबंध में अधिकारियों की कोई कमी नहीं है।

यह मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान एक गतिशील और विषम साधन है, जिसकी व्याख्या के लिए कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिन्हें उनके अनुरूप समाधान के लिए उचित महत्व दिया जाना चाहिए। वह उद्देश्य जिसके साथ संविधान या संसद के निर्माताओं द्वारा विभिन्न प्रावधान पेश किए गए थे।

284.11 . समकालीन मुद्दों के आलोक में, उद्देश्यपूर्ण

विधि ने शाब्दिक दृष्टिकोण पर महत्व प्राप्त किया है और

संवैधानिक न्यायालयों को संविधान के सच्चे और अंतिम उद्देश्य को न केवल अक्षरों में बल्कि भावनाओं में भी साकार करने और सरलता और रचनात्मकता के साधनों से लैस होने की दृष्टि के साथ, संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रमुख कर्तव्य को निभाने से नहीं कतराना चाहिए।

एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर कार्यात्मकता। यह, एक तरह से, कार्यात्मकता के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन है संविधान जिसे हम संवैधानिक व्यावहारिकता कहते हैं। संविधान की भावना और विवेक को व्याकरण में नहीं खोना चाहिए

और लोगों की लोकप्रिय इच्छा, जिसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता है, को सरल शब्दार्थ में अपने उद्देश्य को खोने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

284.12 . एन. डी. एम. सी. में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में *[*एन. डी. एम. सी. बनाम। पंजाब राज्य, *(1997) 7* एस. सी. सी. *339]*, यह दोपहर के रूप में स्पष्ट है कि कल्पना के किसी भी विस्तार से, दिल्ली के एन. सी. टी. को हमारे वर्तमान के तहत एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। संवैधानिक योजना। दिल्ली के एन. सी. टी. की स्थिति सुई जेनरिस है।

एक वर्ग से अलग, और दिल्ली के उपराज्यपाल का दर्जा किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में, उपराज्यपाल के पदनाम के साथ काम करते हुए एक प्रशासक बने रहते हैं। *284.13 . 69* वें संशोधन के आधार पर अनुच्छेद *239*-ए. ए. को शामिल करने के साथ, संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि रूप की परिकल्पना की। उक्त प्रावधान का उद्देश्य राजधानी के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधान सभा का प्रावधान करना है, जिसके पास राज्य सूची और समवर्ती सूची के भीतर आने वाले मामलों पर विधायी शक्तियां होंगी, सिवाय उन लोगों के जिन्हें छोड़ दिया गया है, और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने का जनादेश होगा, सिवाय इसके कि जब वह मामले को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय करता है।

किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध। साथ ही, दिल्ली की विधानसभा के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो समवर्ती सूची में शामिल हैं और सभी, लेकिन राज्य सूची में तीन बहिष्कृत विषय हैं।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

284.17 . अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(4)* में प्रयुक्त "सहायता और सलाह" के अर्थ का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि दिल्ली के एन. सी. टी. के उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं और यह स्थिति सही है। जब तक उपराज्यपाल अनुच्छेद *239*-एए के खंड *(4)* के परंतुक के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र कार्य नहीं सौंपा गया है

निर्णय लेने की शक्ति। उसे या तो मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" पर कार्य करना होता है या वह इसके लिए बाध्य होता है -

284.18 . अनुच्छेद *239*-ए. ए. के खंड *(4)* के परंतुक में प्रयुक्त "कोई भी मामला" शब्दों का अर्थ "प्रत्येक मामला" नहीं लगाया जा सकता है। उक्त परंतुक के तहत उपराज्यपाल की शक्ति यह उस अपवाद का प्रतिनिधित्व करता है न कि सामान्य नियम का जिसका प्रयोग उपराज्यपाल द्वारा संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के मानकों को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है, *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सहयोगात्मक संघवाद और संवैधानिक संतुलन का सिद्धांत, संवैधानिक शासन और निष्पक्षता की अवधारणा और एक प्रतिनिधि सरकार के प्रति सम्मान का पोषित और विकसित विचार। उपराज्यपाल को एक में कार्य नहीं करना चाहिए

विवेक के उचित प्रयोग के बिना यांत्रिक तरीके से ताकि मंत्रिपरिषद के प्रत्येक निर्णय को राष्ट्रपति को भेजा जा सके।

284.19 . उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद का एक ठोस तर्क होना चाहिए और इसकी घटना की व्याख्या नहीं होनी चाहिए

एक अवरोधक लेकिन सकारात्मक निर्माणवाद और गहन दूरदर्शिता और विवेक के दर्शन का प्रतिबिंब।

284.20 . द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, *1993* अपने और अपने मंत्रियों के बीच मतभेद के मामले में उपराज्यपाल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद को किसी भी मामले को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। चर्चा और संवाद के माध्यम से अंतर का बिंदु। इस तरह की प्रक्रिया पर विचार करके, *1993* के टी. बी. आर. में सुझाव दिया गया है कि उपराज्यपाल को अपने मंत्रियों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए और हर कदम पर उनका विरोध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चर्चा द्वारा सामंजस्यपूर्ण समाधान की आवश्यकता को मान्यता दी गई है

विशेष रूप से शासन के प्रतिनिधि रूप को बनाए रखने के लिए जैसा कि अनुच्छेद *239*-एए के सम्मिलन द्वारा विचार किया गया है।

284.21 . वह योजना जिसकी अवधारणा अनुच्छेद *239*-ए. ए. और *239*-ए. बी. को शामिल करके की गई है, जिसके प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है - जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, *1991* और संबंधित *1993* टी. बी. आर. इंगित करता है कि उपराज्यपाल, प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के संबंध में सूचित किया जाएगा। "लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसकी एक प्रति भेजें", "लेफ्टिनेंट गवर्नर को अग्रेषित करें", "लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रस्तुत करें" और उक्त नियमों में नियोजित "लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रस्तुत करने का कारण" एकमात्र संभावित निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों को लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति की आवश्यकता है। उक्त संचार अनिवार्य है ताकि उसे अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(4)* और उसके प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

284.22 . सत्ता में बैठे अधिकारियों को लगातार याद दिलाना चाहिए

स्वयं यह कि वे संवैधानिक पदाधिकारी हैं और यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी है कि

प्रशासन नैतिक तरीके से लोगों का कल्याण है। चर्चा और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। जुर्माना

बारीकियों पर आपसी सम्मान के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी अधिकारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका अपमान किया गया है। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे संवैधानिक मानदंडों, मूल्यों और अवधारणाओं की सेवा कर रहे हैं।

284.23 . किसी भी चीज़ का बहिष्कार करने वाले संवैधानिक आदर्शवाद की पूर्ति

संविधान के प्रावधानों की भाषा द्वारा इसकी अनुमति नहीं है और इसकी भावना, भावना और मौन के प्रति सम्मान दिखाना संवैधानिक पुनर्जागरण है। यह याद रखना होगा कि हमारा संविधान रचनात्मक है। निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है। अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है, हालांकि एक अलग संदर्भ में, कि कोई "तर्कसंगत अराजकतावादी" हो सकता है, लेकिन उक्त शब्द का संवैधानिक शासन के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं है।

और कानून का शासन। संवैधानिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि

द्वारा संवैधानिक पुनर्जागरण की समझ विकसित करें

उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी का एहसास और ईमानदारी

संवैधानिक के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए समन की स्वीकृति

महान जीवित दस्तावेज़ की दृष्टि के प्रति पुनर्जागरण की भावना के साथ विवेक ताकि संवैधानिक आदर्शों को सही मायने में खिलाया जा सके। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस आदर्शवाद के प्रति निरंतर जीवित रहना है। *285.* संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। मामले रखे जाएं

उपयुक्त नियमित पीठ के समक्ष "।

21. न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड और हममें से एक *(*न्यायमूर्ति के. भूषण*)* की स्पष्ट और समान रूप से सुविचारित राय काफी हद तक बहुमत के समान है। हालाँकि, दृष्टिकोण और कुछ में थोड़ा अंतर है।

न्यायमूर्ति अशोक की राय में असंगत टिप्पणी व्यक्त की गई है।

हान। हम इन विचारों और साथ ही साथ के क्षेत्र का विज्ञापन करेंगे

उचित स्तर पर किराए पर लेना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय का अनुपातः

22. संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित सटीक अनुपात के साथ-साथ निर्धारित सटीक सिद्धांतों के बारे में कुछ विवाद है।

वहाँ बाहर। अपीलार्थियों के अनुसार, संविधान पीठ ने स्वीकार किया है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां लोगों द्वारा चुनाव के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है, यह वह सरकार है, जिसे मंत्रिपरिषद के माध्यम से शासन करने का अधिकार है। संविधान में निहित इस मौलिक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, संविधान पीठ ने मान्यता दी है कि एन. सी. टी. डी. के लिए विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में एन. सी. टी. डी. के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है। एकमात्र अपवर्जन जहां एन. सी. टी. डी. की विधानसभा को कानून बनाने से प्रतिबंधित किया गया है, राज्य की प्रविष्टियों *1,2* और *18* के विषय हैं।

जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति के मुद्दे को संबोधित किया। , चाहे वह विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक हो। इस हद तक, सिद्धांत जी. एन. सी. टी. डी. के मामले में भी ऐसी सह-व्यापक कार्यकारी शक्ति, जिसे केंद्र/केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए मान्यता प्राप्त है, को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार, संविधान पीठ ने यह भी स्वीकार किया है कि उपराज्यपाल को अपने सभी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना है, सिवाय उन कार्यों के जहां उपराज्यपाल को अपने स्वयं के कार्यों का प्रयोग करने की अनुमति है।

विवेकपूर्ण।

23. चूँकि यह कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है, इसलिए अपीलकर्ताओं ने हमारे सामने इस बात पर जोर दिया कि संविधान पीठ ने

स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह शक्ति राज्य सूची के तीन विषयों, अर्थात प्रविष्टि *1,2* और *18* को छोड़कर सभी विषयों पर फैली हुई है। कार्यकारी शक्ति समवर्ती सूची के सभी विषयों तक भी फैली हुई

है। अपीलकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह कार्यकारी शक्ति ऐसे मामलों के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्ति के बहिष्करण के लिए है, जिसका अर्थ है कि इस तरह की शक्ति विशेष रूप से जीएनसीटीडी के पास निहित है।

24. संविधान पीठ के फैसले को पढ़ने का उपरोक्त तरीका प्रतिवादियों द्वारा विवादित है। जहाँ तक दिल्ली विधानसभा के विधायी क्षेत्र का संबंध है, हालाँकि उत्तरदाता स्वीकार करते हैं कि विधान सभा के पास कानून बनाने की शक्ति है।

जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं, सूची *II* की प्रविष्टियां *1,2* और *18* और प्रविष्टियां *64,65* और *66* के संबंध में मामलों को छोड़कर सूची *II* में सभी प्रविष्टियों के संबंध में और विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भी।

समवर्ती सूची *(*सूची *III)* में निहित मामले। हालाँकि, उनका निवेदन है कि यह शक्ति केवल विधान सभा के लिए नहीं है

ऐसी कोई भी विषय वस्तु, यह संघ का कानून है जो संविधान के अनुच्छेद *246* के आलोक में किसी भी प्रतिकूलता के मामले में प्रबल होगा। *25.* जहाँ तक जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति का संबंध है, प्रत्यर्थियों का निवेदन है कि यद्यपि संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है, लेकिन इसने कहीं भी यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि ऐसी शक्ति विशेष रूप से प्रदान की गई है।

जी. एन. सी. टी. डी., अर्थात संघ के बहिष्करण के लिए। यहाँ भी, उत्तरदाताओं के अनुसार, संघ की शक्ति बरकरार है, जो संविधान के अनुच्छेद *239* एए की सरल भाषा से ही स्पष्ट है।

26. विस्तृत प्रस्तुतियाँ जो मेसर्स द्वारा की गई थीं। सी. ए. सुंदरम, राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील जो विभिन्न अपीलों में भारत संघ की ओर से पेश हुए, निम्नलिखित में से हैं।

प्रकृतिः

27. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से दो प्राथमिक विवाद उठाए गए थे।

न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष भी। यह तर्क दिया गया था किः

(i) एन. सी. टी. के मामले में अनुच्छेद *239* किसी भी तरह से लागू नहीं होता है।

दिल्ली का; और

((ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को एक राज्य के रूप में माना जाना चाहिए न कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्योंकि इसमें एक निर्वाचित मंत्रिपरिषद है।

किसी भी अन्य राज्य की तरह।

भारत के संविधान की *7* वीं अनुसूची की सूची *II* और सूची *III* में प्रविष्टियों के संबंध में अनन्य कार्यकारी अधिकार क्षेत्र का दावा करें *(*राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* और उस सूची की प्रविष्टियों *64,65* और *66* के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों ए, *2* और *18* से संबंधित हैं*)*। यह दावा इसके मूल तर्क पर आधारित था कि चूंकि एक एन. सी. टी. दिल्ली में निर्वाचित मंत्रिपरिषद को एक राज्य के बराबर माना जाना चाहिए। जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा उठाए गए इस तर्क के समर्थन में यह भी अनुरोध किया गया था कि एन. सी. टी. दिल्ली के मामले में अनुच्छेद *239* को लागू न किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से, इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि भारत के संविधान में योजना केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद *53* के तहत भारत के राष्ट्रपति में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद *53* के तहत कार्यकारी शक्ति के निहित होने के बाद ही अनुच्छेद *73* और अनुच्छेद *246* के बाद के प्रावधान कार्यकारी और विधायी शक्तियों के विस्तार को परिभाषित करते हैं।

संघ की *7* वीं अनुसूची की *3* सूचियों में प्रविष्टियों को विभाजित करके, एक ओर संघ और दूसरी ओर राज्यों के बीच। इसी तरह, अनुच्छेद *152* का प्रावधान *7* वीं अनुसूची की सूची *II* में उल्लिखित सभी मदों के संबंध में कार्यकारी शक्ति को किसी भी राज्य के राज्यपाल में निहित करने का वही नियम लागू करता है जिसका प्रयोग उक्त राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार और भारत सरकार दोनों की ओर से यह निवेदन किया गया था कि जब तक यह न्यायालय दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के दावे को स्वीकार नहीं करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक राज्य के रूप में माने जाने के योग्य होगा, यह दावा कि सूची *II* में सभी मदों के संबंध में अनन्य कार्यकारी क्षेत्राधिकार *(*संबंधित मामलों को छोड़कर*)*

राज्य सूची की प्रविष्टियां *1,2* और *18* और उस सूची की प्रविष्टियां *64,65* और *66* जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं, एन. सी. टी. दिल्ली में निहित होंगी-स्वीकार नहीं की जा सकती हैं और अस्वीकार किए जाने के योग्य होंगी। यह तर्क दिया जाता है कि जी. एन. सी. टी. डी. के इस दावे को कि एक 'राज्य' को संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है। *30.* इसके अलावा, एन. सी. टी. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के महत्वपूर्ण तथ्य और सभी अंतिम जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए

केंद्र सरकार के कंधों पर, भारत के राष्ट्रपति मद संख्या के संबंध में विशेष कार्यकारी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखेंगे। *1 , 2* और राज्य सूची की *18* और उस सूची की *64,65* और *66* प्रविष्टियाँ जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों ई, डब्ल्यू और *18* से संबंधित हैं और सूची *II* के साथ-साथ सातवीं अनुसूची की सूची *III* में अन्य सभी प्रविष्टियों के संबंध में गैर-अनन्य कार्यकारी अधिकार क्षेत्र के अधिकारी बने रहेंगे।

31. प्रतिवादियों ने आगे तर्क दिया कि राय साहिब राम के मामले में इस अदालत के फैसले की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं।

जवाया कपूर और ओआरएस। वी. पंजाब राज्य *3.* वे तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं:

3 एयर *1995* एससी *549* जीओवीटी।

(i) किसी भी सरकार में कार्यकारी शक्ति का एक निशान होना चाहिए।

इससे पहले कि वह उक्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का कोई दावा करे

कोई भी कानून बनाने से पहले। इसके अनुच्छेद *12* और *14*

राम जवाया कपूर के मामले में कहा गया फैसला, इस अदालत ने

राष्ट्रपति में कार्यकारी शक्ति के अवशेष को संदर्भित किया गया

भारत के संविधान का अनुच्छेद *152*। *((ii)* अवशेष के
उपर्युक्त पहलू पर विचार करने के बाद

सरकार में कार्यकारी शक्ति, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

सूची *I* में सभी प्रविष्टियों के संदर्भ में, केंद्र सरकार विशेष
कार्यकारी क्षेत्राधिकार के साथ सह-व्यापक है

विधायी शक्ति और उक्त कार्यपालिका का प्रयोग करने में सक्षम होगा

सूची *II* और सूची *III* में विषयों के संबंध में कार्यकारी शक्ति है
भारत का संविधान।

(iii) हालांकि, एक बार संसद और/या कोई राज्य विधानमंडल

किसी भी कानून को तैयार करता है, संबंधित की कार्यकारी शक्ति

कोई भी कहा गया कानून। *[* राम जवाया में निर्णय का पैरा *12* कपूर*]*

32. उपर्युक्त तीसरा प्रस्ताव, जैसा कि द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है

राम जवाया कपूर के फैसले में अदालत है, में दोहराया गया है

के निर्णय सहित इस न्यायालय के बाद के निर्णय

4 जुलाई, *2018* को वर्तमान मामले में इस अदालत की संविधान पीठयहाँ निम्नलिखित उक्ति को शामिल किया गया थाः

... ..277 ... . (xv).. हालाँकि, यदि संसद कानून बनाती है

सूची में, राज्य की कार्यकारी कार्रवाई कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
संसद द्वारा बनाया गया "।

33. उत्तरदाताओं का कहना है कि तीनों राय में

04 जुलाई, *2018* के फैसले को प्रतिस्थापित करते हुए, इस न्यायालय ने विशेष रूप से

विज्ञापन ने उपरोक्त दोनों तर्कों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया

एन. सी. टी. दिल्ली की ओर से और स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद *239*

एन. सी. टी. दिल्ली में आवेदन करने के लिए और आगे यह कि एन. सी. टी. दिल्ली एक नहीं है

खा लिया लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। इस संबंध में संदर्भ

निम्नलिखित पैरास में बनाया जाए:

" 196. इस प्रकार, एन. डी. एम. सी. *[*एन. डी. एम. सी. बनाम। पंजाब राज्य, *(1997) 7* एस. सी. सी. *339]* यह स्पष्ट करता है कि हमारी संवैधानिक योजना के तहत सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही आधार पर नहीं हैं और जहां तक दिल्ली के एन. सी. टी. का संबंध है, यह संविधान के अनुच्छेद *246* या भाग *VI* के अर्थ के भीतर एक राज्य नहीं है। यद्यपि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र *69* वें संशोधन के बाद एक अनूठा स्थान रखता है, फिर भी कुल और सार में, यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जो संविधान के अनुच्छेद *246 (4)* द्वारा शासित है और जिसके लिए

संसद ने अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" का नाम।

XX

XX

XX

201. उपरोक्त विश्लेषण और एन. डी. एम. सी. में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में *[*एन. डी. एम. सी. बनाम. पंजाब राज्य, *(1997) 7* एस. सी. सी. *339],* यह दोपहर के रूप में स्पष्ट है कि कल्पना के किसी भी विस्तार से, दिल्ली के एन. सी. टी. को हमारे अधीन राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

वर्तमान संवैधानिक योजना और लेफ्टिनेंट की स्थिति

दिल्ली का राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल नहीं होता है, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में एक प्रशासक बना रहता है, जो उपराज्यपाल के पदनाम के साथ काम करता है। डॉ. जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखितः

केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, *1963*

373. 10-5-1963 पर, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, *1963* अधिनियमित किया गया था। *1963* के अधिनियम ने धारा *2 (1) (*ए*)* में "प्रशासक" अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित कियाः

*"2. (1) ((क) "*प्रशासक*"* से अभिप्रेत है - अनुच्छेद *239* के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश*;*

" धारा *3* में विधान सभा के लिए प्रावधान किया गया है। धारा *18* ने निम्नलिखित शर्तों में विधायी शक्ति के विस्तार के लिए प्रावधान कियाः

" 18. विधायी शक्ति का विस्तार। *(1)* प्रावधानों के अधीन

इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा पूरे या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकते हैं।

राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में या सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची

संविधान जहाँ तक ऐसा कोई भी मामला संबंध में लागू होता है

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

(2) उप-धारा *(1)* की कोई भी बात संविधान द्वारा संसद को कानून बनाने की प्रदत्त शक्तियों का अवमूल्यन नहीं करेगी।

केंद्र शासित प्रदेश या किसी भाग के लिए किसी भी मामले के संबंध में

वहाँ से "।

धारा *18* की उप-धारा *(1)* भाषा में अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*ए*)* के समान थी, जिसमें प्रविष्टियाँ *1,2* और *18* और प्रविष्टियाँ *64,65* और *66* से संबंधित मामलों को शामिल नहीं किया गया था। उप-धारा *(2)* भाषा में अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*बी*)* के समान थी। धारा *21* में प्रावधान किया गया है कि यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच कोई विसंगति थी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि, संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रतिकूलता की सीमा तक प्रबल होगी *[*यह प्रावधान प्रकृति में अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*सी*)* के समान है*]*।

453. बहुमत के फैसले में यह भी कहा गया है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश समान रूप से स्थित नहीं हैं। पहली श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जिनके पास कोई विधायिका नहीं है। दूसरी श्रेणी में संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा बनाई गई विधानसभाएँ हैं।

न्यायालय ने कहा-वे विकास के विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि, स्थिति यह बनी हुई है कि एन. सी. टी. सहित ये केंद्र शासित प्रदेश अभी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, न कि राज्य। न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा लिखितः

559. द्वारा चित्रित संवैधानिक योजना की जांच करने के बाद

यह माना गया कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अपने आप में एक वर्ग में है, निश्चित रूप से एक राज्य नहीं है। संसद की विधायी शक्ति दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए थी। *583.*

अपीलार्थियों का प्रस्तुत करना कि अनुच्छेद *239*-एए के खंड *(4)* के प्रावधान में एक चरम और असामान्य स्थिति की परिकल्पना की गई है।

और यह एक मानक होने के लिए नहीं है, काफी हद तक सही है।

अनुच्छेद *239* के तहत नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नामित किया जाता है। अनुच्छेद *239*-एबी एन. सी. टी. डी. पर भी लागू होता है। अनुच्छेद *239*-ए. बी. बदले में किसी भी लागू अनुच्छेद *239* को संदर्भित करता है। संविधान के भाग *VIII* में निहित प्रावधानों पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, संविधान निर्माताओं के इरादे का पता लगाते समय भाग *VIII* के सभी प्रावधानों को संचयी रूप से पढ़ना होगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद *239* भी लागू होता है -
एनसीटीडी "।

34. उपरोक्त से, यह तर्क उठाया गया है कि आवश्यक और

अपरिहार्य स्थिति जो उभरती है वह यह है कि जब अनुच्छेद *217,218* और *219* में, बहुमत के फैसले में, सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टियां *1,2* और *18 (*और उस सूची की प्रविष्टियां *64,65* और *66* जहां तक वे उक्त प्रविष्टियां *1,2* और *18* से संबंधित हैं*)* के संबंध में केंद्र सरकार के अनन्य कार्यकारी अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया जाता है, तो इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया और न ही कर सकता था कि सातवीं अनुसूची की सूची *II* में अन्य सभी प्रविष्टियों के संबंध में "अनन्य" कार्यकारी अधिकार क्षेत्र दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के पास निहित है।

35. इसके विपरीत, अपीलार्थियों ने तर्क दिया, इस न्यायालय ने माना है कि

एन. सी. टी. डी. के लिए सूची *III* की शेष प्रविष्टियों के संबंध में गैर-अनन्य कार्यकारी क्षेत्राधिकार का अस्तित्व और अवशेष, क्योंकि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि एन. सी. टी. डी. एक केंद्र शासित प्रदेश है न कि एक राज्य, अनुच्छेद *239* एन. सी. टी. डी. के संबंध में लागू होता रहता है और आगे किसी भी सरकार की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक कार्यकारी शक्ति के राम जवाया कपूर का वही सिद्धांत एन. सी. टी. डी. के संबंध में केंद्र सरकार पर भी लागू होता है।

36. उपरोक्त पहलू को उजागर करने के बाद, की ओर से प्रस्तुत करें

और पूरे में एन. सी. टी. डी. के संबंध में अनुच्छेद *239* ए. ए. की व्याख्या संवैधानिक योजना *(*और जैसा कि *04* जुलाई के फैसले में निर्धारित किया गया है,

2018 इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित, जिसमें बहुमत निर्णय के पैरा *217,218* और *219* शामिल हैं*)*, उस स्थिति को अस्तित्व में लाता है जो नीचे सारणीबद्ध है:

जीएनसीटीडी

संघ

अनन्य कार्यकारी गैर-अनन्य

अनन्य कार्यकारी गैर-अनन्य संघ की शक्ति

की कार्यकारी शक्ति

कार्यकारी शक्ति

जीएनसीटीडी की शक्ति

जीएनसीटीडी

संघ का

सूची *I* में सभी प्रविष्टियाँ सूची में सभी प्रविष्टियाँ

एनआईएल

सूची *II* में प्रविष्टियाँ और

और प्रविष्टियाँ *1,2* एड *18 II* और सूची *III*

7 वीं की सूची *III*

सूची *II* और *7* वीं अनुसूची के अनुसार,

[अनन्य कार्यपालक

अनुसूची, इसके अलावा

प्रविष्टियों के अलावा *64,65* और *66* प्रविष्टियाँ

प्रविष्टियाँ *1,2* और *18*

के तहत शक्ति

उस सूची में से जहाँ तक सूची का *1,2* और *18* है

संविधान है

सूची *II* और प्रविष्टियाँ

वे उक्त द्वितीय और प्रविष्टियाँ *64* से संबंधित हैं,

केवल एक के लिए उपलब्ध है

64,65 और उनमें से *66*

जहाँ तक वे हैं उनकी सूची बनाएँ

राज्य और किसी को नहीं

65 और उनमें से *66*

प्रविष्टियाँ *1,2* और *18*।

जहाँ तक वे हैं उनकी सूची बनाएँ

उक्त से संबंधित

केंद्र शासित प्रदेश। यह है।

फैसले में कहा गया

प्रविष्टियाँ *1,2* और *18,* और

सभी प्रविष्टियाँ उक्त से संबंधित हैं। सूची *II* और सूची *III* प्रविष्टियाँ *1,2* और *18*।

इनके अलावा भी

दिनांकित *04.07.2018*

वाक्यांश द्वारा बहिष्कृत

वाक्यांश द्वारा बहिष्कृत-व्यायाम होना

कि एन. सी. टी. दिल्ली एक

'जहाँ तक मार्ग के माध्यम से ऐसा कोई भी

केंद्र शासित प्रदेश और

" इस तरह के किसी भी

बात लागू होती है

राज्य नहीं।*]*

मामला प्रोविसो पर लागू होता है

केंद्र शासित प्रदेश "। अनुच्छेद *239* एए *(4)*

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए "।

37. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह न तो संगत है और न ही हो सकता है

तर्क सह-मौजूद है कि भले ही संविधान पीठ ने एन. सी. टी. डी. सरकार की दलीलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया हो, जिसमें शामिल हैं -

यह तर्क कि यह एक राज्य है और एन. सी. टी. दिल्ली के मामले में अनुच्छेद *239* लागू नहीं होगा, फिर भी यह कहा जा सकता है कि एन. सी. टी. डी. सरकार के पास सूची *II* में सभी प्रविष्टियों के संबंध में अनन्य कार्यकारी अधिकार क्षेत्र होगा *(*राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* के संबंध में मामलों को छोड़कर*)* और

उस सूची की प्रविष्टियाँ *64,65* और *66* जहां तक वे सातवीं अनुसूची की उक्त प्रविष्टियाँ *1,2* और *18)* से संबंधित हैं। इस तरह के विवाद से इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा पारित *04* जुलाई, *2018* के फैसले को विसंगत तरीके से पढ़ा जाएगा और यह खारिज किए जाने के योग्य होगा।

अदालत।

38. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संसद का इरादा प्रदान करना है

केंद्र सरकार को कार्यकारी शक्तियों पर हावी होना *[2019] 3* एस. सी. आर. से स्पष्ट है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1991 के अधिनियम की धारा *49* के प्रावधान जो राष्ट्रपति को सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करने और उपराज्यपाल और उनकी मंत्रिपरिषद को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। धारा *52* में कहा गया है कि राजधानी के प्रशासन से संबंधित सभी अनुबंध संघ की कार्यकारी शक्ति और इन मामलों में वाद और कार्यवाही के प्रयोग में किए जाते हैं।

प्रशासन के साथ संबंध केंद्र सरकार द्वारा या उसके खिलाफ स्थापित किया जा सकता है। रिलायंस को राय के पैरा *86* एड *87* पर रखा गया है।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित, जो इस प्रकार हैं:

"86. धारा *49* "सामान्य नियंत्रण" के सिद्धांत को स्थापित करती है।
उपराज्यपाल और परिषद पर राष्ट्रपति का

मंत्री:

"49. उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों का राष्ट्रपति से संबंध। इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, उपराज्यपाल और उनकी मंत्रिपरिषद सामान्य नियंत्रण में होगी और इस तरह के विशेष प्रावधानों का पालन करेगी।

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देश, यदि कोई हों।

"नियंत्रण की एक घटना के रूप में, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस तरह के निर्देश स्पष्ट रूप से सहायता पर जारी किए जाते हैं और

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह।

धारा *52* में कहा गया है कि राजधानी के प्रशासन से संबंधित सभी अनुबंध राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाते हैं।

प्रशासन संघ द्वारा या उसके विरुद्ध स्थापित किया जा सकता है।
सरकार।

87. जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, *1991* के प्रावधानों का यह सर्वेक्षण इंगित करता है कि राजधानी के प्रशासन से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के बीच एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। उपराज्यपाल को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कुछ विशिष्ट शक्तियों से सम्मानित किया गया है, जिनमें पूर्व सिफारिश लेने की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

वित्तीय विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति का। जैसा कि हमने देखा है, उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए और एक विधेयक पर अपनी सहमति को रोकने के संबंध में विधेयकों को आरक्षित करने के लिए एक व्यापक दायित्व के अधीन किया गया है, जिसे सरकार के कर्तव्यों की तुलना में विधानसभा द्वारा पारित किया गया है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

किसी राज्य के राज्यपाल का। वार्षिक वित्तीय विवरण या पूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान की प्रस्तुति जैसे मामलों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आधिकारिक भाषा। द. उपराज्यपाल को उन मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति दी गई है जो दायरे और शक्ति से बाहर हैं।

विधान सभा की और जो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई हैं और साथ ही उन मामलों के संबंध में जहां कानून के तहत उससे अपने विवेक का प्रयोग करने या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा व्यवसाय के संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसमें व्यवसाय का आवंटन भी शामिल है। इनमें वह प्रक्रिया शामिल होगी जिसका पालन उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होने पर किया जाएगा। धारा *49*, जिसमें एक गैर-अबाधित प्रावधान है, उपराज्यपाल और परिषद के अधीन है राष्ट्रपति के सामान्य नियंत्रण के लिए मंत्री और ऐसे

समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश।

39. भारत के शीर्षक के अनुच्छेद *239* एबी और *356* का भी संदर्भ दिया गया है।

" 239 एबी। संवैधानिक विफलता के मामले में प्रावधान

मशीनरी।

यदि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, संतुष्ट हो जाता है

((क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन उसके अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

अनुच्छेद *239* ए. ए. के प्रावधानों या इसमें बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के साथ

उस अनुच्छेद का अनुसरण; या

(ख) राष्ट्रीय राजधानी के उचित प्रशासन के लिए

जिस क्षेत्र में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद *239* एए के किसी भी प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन निलंबित कर सकता है जो ऐसी कानून में निर्दिष्ट की जा सकती हैं और ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकता है जो उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

अनुच्छेद *239* और अनुच्छेद *239* एए के प्रावधान।

356. संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान

राज्य

(1) यदि राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को उसके अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

इस संविधान के प्रावधानों के साथ, राष्ट्रपति उद्घोषक हो सकता है

(क) राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और राज्यपाल या किसी निकाय या प्राधिकरण द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या किसी भी शक्ति को अपने लिए ग्रहण करता है।

राज्य के विधानमंडल के अलावा अन्य राज्य;

(ख) घोषणा करें कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा;

(ग) ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करें जो दिखाई देते हैं।

राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय होना, जिसमें राज्य में किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के प्रावधान शामिल हैं।

बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी शक्ति को अपने पास ग्रहण करने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी।

40. इन प्रावधानों के बल पर यह तर्क दिया जाता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि राज्यों के मामले में, संविधान में परिकल्पना की गई है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में, राष्ट्रपति *(*यानी, संघ कार्यपालिका*)* राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल में निहित शक्तियों को 'स्वयं ग्रहण' करेगा। हालाँकि, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली

के मामले में, क्योंकि कार्यकारी शक्ति बनी हुई है राष्ट्रपति में निहित है और एन. सी. टी. डी. की मंत्रिपरिषद में कार्यकारी शक्ति का कोई स्वतंत्र अनन्य निहित नहीं है-न तो कोई अवसर था और न ही संविधान निर्माताओं के लिए अनुच्छेद *239* ए. बी. के प्रावधानों में कोई आवश्यकता थी-संघ कार्यपालिका द्वारा कोई भी "कार्यों की धारणा" क्योंकि कार्यकारी शक्ति संघ कार्यपालिका में ही निहित है। चूंकि एन. सी. टी. दिल्ली के मंत्रिपरिषद में कभी भी कोई विशेष वस्त्र नहीं होता है, इसलिए जी. ओ. वी. टी. द्वारा इसे ग्रहण करने/वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

41. संक्षेप में, भारत संघ की ओर से प्रस्तुतिकरण यह है कि जब तीन अलग-अलग राय वाली संविधान पीठ द्वारा *04* जुलाई, *2018* को पारित निर्णय को ऊपर बताए गए तरीके से समग्र रूप से पढ़ा जाता है और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को समझने के लिए तीनों राय का सामंजस्य होता है-तो प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तावित कानूनी स्थिति मजबूत हो जाती है। अपीलार्थी के अनुसार, *04* जुलाई, *2018* के निर्णय का ऐसा पठन न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित राय के पैरा *144* में किए गए अवलोकन के अनुरूप भी होगा, जिसमें यह देखा गया है कि एक व्यापक समन्वय *("*एक द्रव्यमान या संपूर्ण बनाने के लिए एक साथ आना*")* है। दो या दो से अधिक कणों की बूंदों के विलय की प्रक्रिया एक एकल बूंद बनने के लिए*)* दिनांकित *04.07.2018* के उक्त निर्णय में तीन रायों में व्यक्त विचार के बीच। *42.* हम इस स्तर पर दर्ज कर सकते हैं कि डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो हस्तक्षेपकर्ता, रिलायंस की ओर से पेश हुए

जीएनसीटीडी को प्रदान किया गया, अर्थात, केंद्रीय के अपवर्जन के लिए सरकार। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद *239* एए के पीछे की योजना प्रकृति में 'संकर' थी जो सूची *II* और *III* से संबंधित थी। ए. सी. बी. से संबंधित मुद्दे पर विचार करते समय इस संबंध में डॉ. सिंघवी की विस्तृत प्रस्तुति पर ध्यान दिया जाएगा।

43. हम इस स्तर पर इंगित कर सकते हैं कि विद्वान वरिष्ठ वकील

भारत संघ की ओर से पेश होते हुए, वैकल्पिक रूप से, यह भी तर्क दिया है कि यदि संविधान पीठ के उपरोक्त निर्णय के लिए उनके द्वारा सुझाई गई व्याख्या स्वीकार्य नहीं है, तो मामले को फिर से संविधान पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है। इसे अलग तरीके से कहने के लिए, निवेदन यह है कि यदि यह पीठ व्याख्या करती है कि संविधान पीठ ने माना है कि जीएनसीटीडी को अनुच्छेद *239* एए के तहत कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संघ की शक्ति को बहिष्कृत करता है, तो संविधान पीठ द्वारा दी गई ऐसी व्याख्या अनुच्छेद *239* एए की योजना के विपरीत है। यह दिखाने के प्रयास किए गए कि कैसे ऐसा दृष्टिकोण *(*यदि यह संविधान पीठ का दृष्टिकोण है*)* न केवल संवैधानिक योजना के विपरीत होगा, बल्कि *[2019] 3* एस. सी. आर. के विशिष्ट प्रावधानों के विपरीत होगा।

जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, *1991*, विशेष रूप से व्यापार नियमों के लेन-देन की धारा *44* के साथ-साथ नियम *23*। हालाँकि, हमारी राय है कि वृहद पीठ को इस तरह के किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, हमने इस पहलू पर भारत संघ के विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुतियों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया है। *44.* एम/एस। एन. सी. टी. डी. की ओर से कपिल सिब्बल, पी. सी. चिदंबरम, शेखर नाफड़े और सुश्री इंदिरा जयसिंह ने इस मामले में बहस की।

एन. सी. टी. डी. की ओर से खंडन यह है कि निर्णय, किसी भी अनिश्चित शब्दों में, यह मानता है कि एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति इसकी विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। उनके अनुसार, संविधान पीठ ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह कार्यकारी शक्ति सूची *II* में सभी प्रविष्टियों *(*प्रविष्टियों *1,2* और *18* को छोड़कर, जिन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है*)* के साथ-साथ समवर्ती सूची में सभी प्रविष्टियों, यानी सूची *III* से संबंधित है। ऐसी शक्ति

'अनन्य' है जो केंद्र सरकार के बहिष्कार के लिए जी. एन. सी. टी. डी. से संबंधित है। चर्चा के लिए विशिष्ट संदर्भ दिया गया था अनुच्छेद *217* से *219* के साथ-साथ बहुमत की राय के निष्कर्ष *(xv)*, *(xvi)* और *(xvii)* में। चर्चाओं पर भी ध्यान आकर्षित किया गया

उक्त निर्णय के अनुच्छेद *174* से *176,187* और *239* में निहित हैं, जो पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

45. इस प्रस्ताव का विस्तार करते हुए कि संविधान पीठ पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुकी है कि तीन स्पष्ट रूप से बहिष्कृत प्रविष्टियों *(*यानी सूची *II* में प्रविष्टियां *1,2* और *18)* के अलावा, दिल्ली विधानसभा और जी. एन. सी. टी. डी. के पास सूची *II* और *III* में अन्य सभी प्रविष्टियों पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। यह तर्क दिया गया था कि इसके विपरीत भारत संघ के विशिष्ट तर्क को संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। इस संबंध में प्रस्तुतिकरण यह था कि बहुमत निर्णय स्पष्ट रूप से पैरा *38* में केंद्र सरकार के प्रस्तुतिकरण को दर्ज करता है जो निम्नानुसार है:

"38. उत्तरदाताओं का यह भी तर्क है कि यद्यपि अनुच्छेद *239* एए दिल्ली विधानसभा को सातवीं अनुसूची की सूची *II* और सूची *III* में प्रदान किए गए विषय मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, फिर भी उक्त शक्ति उसी अनुच्छेद द्वारा सीमित है जब यह वाक्यांश का उपयोग करता है "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" और विशेष रूप से विधानसभा की विधायी शक्ति से कुछ को बाहर करके भी।

अनुच्छेद *239* एए *(3) (*ए*)* में वर्णित प्रविष्टियाँ। उत्तरदाताओं के अनुसार, यह प्रतिबंध विधानसभा सरकार की शक्तियों को सीमित करता है।

कानून बनाना और इस प्रतिबंध को विशेष दर्जा प्रदान करने के संदर्भ में समझना होगा।
46. उपरोक्त विवाद का उत्तर विशेष रूप से अनुच्छेद *214* में दिया गया है।

संविधान पीठ का बहुमत निर्णय, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दिल्ली विधानसभा के पास राज्य और समवर्ती सूची के सभी मामलों के संबंध में विधायी शक्ति है, सिवाय उन प्रविष्टियों के संबंध में मामलों के

जिन्हें अनुच्छेद *239* एए *(3) (ए)* से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, भारत संघ का तर्क था कि सूची *II* और सूची *III* में मामले हैं।

इसे दो अलग-अलग तरीकों से अलग किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से और निहित रूप से।

"जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" वाक्यांश के उपयोग का और संविधान पीठ ने उस तर्क को खारिज कर दिया है और

उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा और सरकार की शक्ति सभी विषयों पर फैली हुई है, सिवाय उन विषयों के जिन्हें स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

47. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि कम से कम सात अन्य स्थानों पर, बहुमत के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा / सरकार के पास सभी विषयों पर विधायी/कार्यकारी क्षमता है

तीन विषयों को छोड़कर और एक परिणाम के रूप में, दिल्ली में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति सूची *II* में तीन बहिष्कृत विषयों तक सीमित है। ये परिच्छेद इस प्रकार हैं:

(क) पैरा *199* में, यह देखा गया है कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति "राज्य सूची के सभी तीन विषयों और समवर्ती सूची के सभी विषयों" पर कार्यकारी शक्ति के साथ सह-अंतिम है।
(ख) पैरा *212* में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* का उपखंड *(ए)* दिल्ली विधानसभा की शक्ति को स्थापित करता है।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मामलों के संबंध में कानून बनाना।

राज्य सूची और/या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध, राज्य सूची की *1,2* और *18* प्रविष्टियों के संबंध में और उनसे संबंधित मामलों को छोड़कर।

(ग) फिर से, पैरा *217* में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *239* एए के खंड *3 (ए)* और खंड *4* के संयुक्त पठन पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली सरकार के पास कार्यकारी शक्ति है जो "राज्य सूची में तीन विषयों और राज्य सूची में सभी विषयों को छोड़कर सभी पर फैली हुई है।

समवर्ती सूची "।

(घ) समान प्रभाव के लिए पैरा *219* में अवलोकन है जहाँ न्यायालय ने कहा कि "संबंध में संघ की कार्यकारी शक्ति"

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मामला राज्य के तीन मामलों *[2019] 3* एस. सी. आर. तक सीमित है।

सूची जिसके लिए दिल्ली विधान की विधायी शक्ति

विधानसभा को अनुच्छेद *239* एए *(3) (ए)* के तहत बाहर रखा गया है।

(ई) पैरा में निहित निष्कर्षों में इसे फिर से दोहराया गया है।

277 (xiv), (xv) और *(xvi)* निम्नानुसार हैं:

" (xiv) दिल्ली की विधानसभा के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो समवर्ती सूची में शामिल हैं और राज्य सूची में तीन को छोड़कर सभी बहिष्कृत विषय हैं।
(xv) दिल्ली के मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्ति समवर्ती सूची के सभी विषयों और सभी पर फैली हुई है, लेकिन तीन

राज्य सूची में बहिष्कृत विषय "।

(xvi) भारत संघ के पास राज्य सूची के तीन मामलों से संबंधित दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में विशेष कार्यकारी शक्ति है, जिसके संबंध में दिल्ली की शक्ति है।
विधान सभा को बाहर कर दिया गया है "।

48. इस निवेदन का समर्थन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सहमति वाले फैसले *(*पैरा *127* से *130* का उल्लेख करते हुए*)* से करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया है कि "जहां तक ऐसा कोई मामला किसी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है" शब्द अपवर्जन की शर्तों में नहीं है। इसी तरह, न्यायमूर्ति भूषण के फैसले के पैरा *71* और *72* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त वाक्यांश बहिष्कृत वाक्यांश नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।

"राज्य" शब्द से शुरू होने वाले प्रवेश के संबंध में भी दिल्ली विधानसभा को शक्ति प्रदान करना।

49. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि बालकृष्णन समिति पर भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा रखा गया था

अनुच्छेद *239* एए के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए रिपोर्ट पूरी तरह से गलत थी क्योंकि उस पहलू पर पहले ही संविधान पीठ के फैसले में विचार किया जा चुका है। यह तर्क दिया गया कि संविधान पीठ ने अनुच्छेद *239,239* एए और *239* एबी के प्रावधानों की व्याख्या की है क्योंकि वे संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रतिनिधि लोकतंत्र के पहले सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली के एन. सी. टी. पर लागू होते हैं, जो लोकप्रिय इच्छा पर आधारित है। संविधान पीठ व्याख्या देने में पाठ्य सीमाओं से विवश नहीं हुई है। यह संविधान पीठ के फैसले के पैरा *11* में सबसे अच्छी तरह से कहा गया है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

" 11. ..... हाथ में मामले के संदर्भ में, लोकतांत्रिक प्रकृति

हमारे संविधान और प्रतिनिधि भागीदारी का प्रतिमान

निस्संदेह "संविधान की भावना" में शामिल हैं।

संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, सुरक्षित और

सबसे अच्छा तरीका संविधान के शब्दों को पढ़ना है।

संविधान के घोषित उद्देश्य और भावना का प्रकाश ताकि यह

संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए। अतः ए. संवैधानिक न्यायालय, में नियोजित भाषा का पालन करते हुए

प्रावधान, इरादे की अवधारणा को नहीं छोड़ना चाहिए,

भावना, समग्र दृष्टिकोण और संवैधानिक वैध

उम्मीद जो संयुक्त रूप से एक शानदार पहलू को पेश करती है

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या। अदालत को एक सवाल पूछना चाहिए कि

क्या एक सीधा, शाब्दिक और पाठ्य दृष्टिकोण होगा

महान जीवित दस्तावेज़ की भावना को नष्ट कर दें जो आवश्यक है

रोशन करने के लिए लेजर बीम होना। यदि उत्तर सकारात्मक है,

तब संवैधानिक अदालतों को भावना और भावना की रक्षा करनी चाहिए

संविधान की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की सहायता लेते हुए के अंतिम मध्यस्थों के रूप में संवैधानिक न्यायालयों का गंभीर कर्तव्य

संविधान "।

(जोर दिया गया*)*

50. इसके बाद, पैरा *15* में, बालकृष्णन के कुछ भाग

मिट्टी निकाली जाती है। फिर, पैरा *36* में, न्यायालय शाब्दिक/पाठ्य व्याख्या और निर्भरता की मांग करने वाले भारत संघ के तर्क को नोट करता है।

रामकृष्णन रिपोर्ट। बालकृष्णन रिपोर्ट पर इसी तरह की निर्भरता

भारत का एन पैरा *47* में उल्लिखित है। इसके बाद संविधान पीठ ने

पृष्ठ *45* से पृष्ठ *135* में संवैधानिक सिद्धांतों पर चर्चा की गई है।

दिखावा जिसका उपयोग अनुच्छेद *239* एए की व्याख्या करने के लिए किया जाएगा।

51. उन सिद्धांतों के आलोक में, न्यायालय ने इसके बाद

अनुच्छेद *239* एए और इसके विभिन्न प्रावधान। जहाँ तक

कृष्ण समिति की रिपोर्ट का संबंध है, इसे स्वीकार नहीं किया जाता है

प्रेटटिव टूल, जैसा कि निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट है:

कानून बनाने वाली समिति की रिपोर्ट इस प्रकार काम कर सकती है - कानून को समझने या समझने के लिए एक बाहरी सहायता।

हालाँकि, तत्काल मामले में, जैसा कि हमने विस्तृत रूप से *[2019] 3* एस. सी. आर. पर चर्चा की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान को दिए जाने वाले अर्थ के साथ

प्रावधान जो व्याख्या की मांग करता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है

समिति की रिपोर्ट द्वारा निर्देशित किया जाए।

(जोर दिया गया*)*

52. इस संदर्भ में, विद्वान वकील का एक और निवेदन

अपीलकर्ताओं का कहना था कि वास्तव में, प्रत्यर्थी पूरे मामले पर फिर से बहस करने की कोशिश कर रहे थे और इस पीठ को संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग होने के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद *145 (3)* में निहित प्रावधानों और विशेष रूप से उसके परंतुक को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार्य था, जो नीचे दिया गया है:

इस संविधान की व्याख्या के बारे में या उद्देश्य के लिए कानून
अनुच्छेद *143* के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के लिए पाँच होंगे:

बशर्ते कि, जहां न्यायालय किसी के तहत अपील की सुनवाई कर रहा हो

अनुच्छेद *132* के अलावा इस अध्याय के प्रावधानों में शामिल हैं:

पाँच न्यायाधीशों से कम और अपील की सुनवाई के दौरान

न्यायालय संतुष्ट है कि अपील में एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है

जिसमें से अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है, ऐसा न्यायालय
आवश्यकतानुसार गठित न्यायालय को राय के लिए प्रश्न भेजा जाएगा।

इस खंड द्वारा ऐसे किसी मामले में निर्णय लेने के उद्देश्य से

एक प्रश्न और राय प्राप्त होने पर अपील का निपटारा करेगा

ऐसी राय के अनुरूप "

53. तर्क यह है कि कानूनी स्थिति को निपटाने के बाद

संविधान के अनुच्छेद *239* एए के संबंध में, संविधान पीठ ने अलग-अलग मामलों पर निर्णय लेने के लिए मामले को इस पीठ को वापस भेज दिया है। इसलिए इस पीठ को इन व्यक्तिगत मुद्दों पर संविधान पीठ की राय के अनुरूप निर्णय लेना था और इसलिए यह नहीं था

भारत संघ इस मामले में फिर से बहस करने के लिए तैयार है।

54. हमने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर गहरी समझ के साथ विचार किया है।

ईमानदारी, निष्पक्षता और इन अपीलों में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले विभिन्न विशिष्ट मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए।

55. निर्विवाद रूप से, एन. सी. टी. डी. एक केंद्र शासित प्रदेश था और अभी भी बना हुआ है।

एन. डी. एम. सी. मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। तत्काल जीओवीटी में संविधान पीठ द्वारा किस कानूनी स्थिति को दोहराया गया है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

मामला भी। हालाँकि, एन. सी. टी. डी. के केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद, इसे अनुच्छेद *239* ए. ए. के तहत विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अनुच्छेद का खंड *(1)* ऐसी स्थिति पैदा करता है और उसे मान्यता देता है। यह दर्जा एन. सी. टी. डी. में विधान सभा को कुछ शक्तियों के साथ देने के लिए है जो हैं -

उसी प्रावधान में भी मान्यता प्राप्त। विधानसभा की प्रकृति को अनुच्छेद *239* एए के खंड *(2) (ए)* में गिना गया है, जिसके अनुसार विधानसभा में सीटों को निर्देश चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरा जाना है। इस तरह, जब एन. सी. टी. डी. एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है, तब भी इसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अलग दर्जा दिया जाता है।

अनुच्छेद *239* के प्रावधान लागू होते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद *239* ए द्वारा शासित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को दिए गए दर्जे से भी अलग है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए भी,

विधान सभा के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। संसद को इस तरह का कानून बनाने की शक्ति दी गई है। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने एक अधिनियम लागू किया है जो एक विधान सभा का निर्माण करता है जो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित होती है। इसके विपरीत, एन. सी. टी. डी. को दर्जा प्रदान करना संविधान द्वारा ही है और इसे संसद पर नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही, एन. सी. टी. डी. एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है और इसे संविधान के भाग *VI (*अनुच्छेद *152* से *237)* द्वारा शासित 'राज्य' का दर्जा नहीं दिया गया है। इस प्रकार, विधान सभा के साथ-साथ निर्वाचित सरकार के निर्माण और सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियों, संघवाद की अवधारणा को अनुच्छेद *239* एए में शामिल किया गया है। संविधान पीठ ने संघवाद के इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद *239* एए की व्याख्या की है। एन. सी. टी. डी. की स्थिति तय करते समय संविधान पीठ द्वारा इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और साथ ही विधानसभा और जी. एन. सी. टी. डी. को विधायी और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

क्रमशः। इसलिए, सीबी के फैसले को इन सभी मापदंडों के साथ-साथ अनुच्छेद *239* एए की व्याख्या में अपनाए गए संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए।

इसी तरह, यह समवर्ती सूची में सभी प्रविष्टियों, यानी सूची *III* तक फैला हुआ है। साथ ही, यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि सूची-*2* में निहित किसी भी विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को बाहर नहीं किया गया है। में। वास्तव में, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, यह केंद्र है, यानी संसद, जिसे सूची *II* और *[2019] 3* एस. सी. आर. में निहित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।

सूची *III.* हालांकि, इस तरह की विधायी शक्ति प्रदान की जाती है एन. सी. टी. डी. की विधानसभा भी। यह शक्ति विशेष रूप से है

अनुच्छेद *239* एए *(3)* के उपखंड *(ए)* के तहत विधानसभा को प्रदान किया गया। इसके उपखंड *(ख)* में, अनिश्चित शब्दों में, यह प्रावधान है कि उपखंड *(क)* के तहत दिल्ली विधान सभा को शक्तियां प्रदान करने से किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संविधान के तहत संसद की शक्तियों का हनन नहीं होगा। अतः यह उपखंड सर्वोच्चता बनाए रखता है -

संसद कानून बनाए। निम्नलिखित बात यह है कि संसद के पास न केवल सूची *III* के संबंध में समवर्ती शक्ति है, बल्कि सूची *II* के संबंध में भी है। जहाँ तक सूची-*2* की प्रविष्टियाँ *1,2* और *18* का संबंध है, संसद उन विषयों पर अपना अनन्य अधिकार क्षेत्र रखती है। इस हद तक, फेडरलिज़्म के सिद्धांत से एक विचलन है क्योंकि

संसद के पास सूची-*2* में उल्लिखित मामलों के लिए राज्यों के संबंध में कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है। अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* का उपखंड *(सी)* प्रतिकूलता की स्थिति का ध्यान रखता है यदि यह अनुच्छेद *239* एए के बीच उत्पन्न होता है।

एन. सी. टी. डी. की संसद और विधान सभा द्वारा बनाया गया कानून। उस स्थिति में, संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होगा और दिल्ली विधान सभा द्वारा बनाया गया कानून, प्रतिकूलता की सीमा तक, शून्य होगा। उपखंड *(ग)* का पहला परंतुक, हालांकि, दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को बचाता है यदि उसके द्वारा बनाए गए कानून के लिए आरक्षित किया गया है।

राष्ट्रपति का विचार और उनकी सहमति प्राप्त कर ली है। उस स्थिति में, दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाया गया ऐसा कानून प्रबल होगा -

दिल्ली विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून के समान विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देकर संसद की सर्वोच्चता और इसमें विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या यहां तक कि निरस्त करने के लिए कानून बनाने की शक्ति शामिल है। *57.* जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जहां तक एन. सी. टी. डी. के संबंध में कानून बनाने की संसद की इस शक्ति का संबंध है, कोई विवाद नहीं है। इस संदर्भ में, हमें यह पता लगाना होगा कि क्या सी. बी. निर्णय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

जहाँ तक जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति का संबंध है, यह

केंद्र का बहिष्कार, या, जैसा कि भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है, दिल्ली सरकार को दी गई ऐसी कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार के साथ सह-व्यापक है।

58. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि संविधान पीठ की टिप्पणियों, विशेष रूप से बहुमत के दृष्टिकोण को समझा जाना चाहिए और एक उचित अर्थ दिया जाना चाहिए। निस्संदेह, बहुमत का निर्णय जी. ओ. वी. टी.

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है और यह प्रविष्टि *1,2* और *18* में उल्लिखित विषयों को स्वीकार करने के लिए एल. आई. एस. के सभी विषयों पर फैली हुई है और यह सूची *III* में सभी विषयों पर भी फैली हुई है। यह स्पष्ट जनादेश है

संविधान पीठ। हालाँकि, विवाद इस मुद्दे पर है कि क्या जी. एन. सी. टी. डी. की ऐसी कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार की शक्ति को बाहर करने के लिए है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि बहुमत के फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दिल्ली की ऐसी कार्यकारी शक्ति सरकार संघ की कार्यकारी शक्ति को हटा रही है। दूसरी ओर, हममें से एक *(*अशोक भूषण, जे.*)* द्वारा दिए गए एक अलग फैसले में, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली सरकार के साथ सह-व्यापक है। अशोक भूषण, जे. की राय में इस पहलू पर चर्चा।

के रूप में जाता है

इसके अंतर्गतः

कार्यकारी शक्तियाँ। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त
सिद्धांत की सूची *II* और सूची *III* में सूचीबद्ध मामलों पर समान रूप से लागू होता है

एन. सी. टी. डी के लिए भारत का संविधान। अनुच्छेद *239* का उल्लेख

एए *(3) (*बी*)*, यह तर्क दिया जाता है कि उक्त प्रावधान शक्ति प्रदान करता है

संसद पर दोनों राज्य सूची के मामलों में कानून बनाने के लिए
और समवर्ती सूचियाँ ऐसी शक्ति अनुच्छेद के तहत भी उपलब्ध है।

246. हालाँकि, यह उपरोक्त का अनुसरण नहीं करता है कि उक्त

प्रावधान मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां भी प्रदान करता है
राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि

संसद कानून द्वारा इस संबंध में कार्यकारी शक्तियां प्रदान कर सकती है -
राज्यों के लिए केंद्र सरकार की समवर्ती सूची के मामले,

यह एन. सी. टी. डी. के संबंध में भी ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है।
किया, केंद्र सरकार, एक सामान्य नियम के रूप में, नहीं होगा

सूची *II* के तहत मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियाँ *(*को छोड़कर*)*

संवैधानिक प्रावधानों पर अपीलार्थी द्वारा की गई व्याख्या
स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि कार्यपालिका

विधायी शक्तियों के साथ शक्तियाँ सह-अस्तित्व में हैं। लेख का संदर्भ

73 इस संदर्भ में बनाया गया है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेख
73 निम्नलिखित रूप में प्रदान करता हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 73. संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। — *(1)* इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा।

(क*)* उन मामलों के लिए जिनके संबंध में संसद की शक्ति है।

कानून बनाना; और *((*ख*)* ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग के लिए जो भारत सरकार द्वारा किसी भी आधार पर प्रयोग किए जा सकते हैं।

संधि या समझौताः बशर्ते कि उपखंड में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति

(क*)* इस संविधान या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में स्पष्ट रूप से उपबंध किए जाने के अलावा, किसी भी राज्य में उन मामलों पर विस्तार नहीं होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

(2) जब तक संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक कोई राज्य और किसी राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकरण, इस अनुच्छेद में कुछ भी होने के बावजूद, निम्नलिखित मामलों में अभ्यास करना जारी रख सकता हैः

जिसे संसद को उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यकारी शक्ति या कार्य जो राज्य या उसके अधिकारी या प्राधिकरण प्रारंभ होने से तुरंत पहले प्रयोग कर सकते हैं।

इस संविधान का "।

85. अनुच्छेद *73 (1)* के परंतुक में प्रावधान है कि उपखंड *(*ए*)* में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति, स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा, नहीं होगी।

इस संविधान में या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में, किसी भी राज्य में उन मामलों पर विस्तार किया गया है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी कानून बनाने की शक्ति है। जाहिर है, परंतुक समवर्ती सूची को संदर्भित करता है जहां संसद और राज्य दोनों के पास है

कानून बनाने की शक्ति। समवर्ती सूची के संदर्भ में कार्यकारी शक्ति को जानबूझकर बाहर रखा गया है ताकि किसी भी दोहराव से बचा जा सके।

दो अधिकारियों द्वारा शक्ति का प्रयोग। संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम, *1956* से पहले अनुच्छेद *73* में "पहली अनुसूची के भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट" राज्य शब्द के बाद की अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार, केवल भाग ए और भाग बी राज्यों के संबंध में कार्यकारी शक्ति को संघ से बाहर रखा गया था। इस प्रकार, जब संविधान लागू किया गया था, तो समवर्ती सूची के संबंध में भी भाग सी राज्यों के संदर्भ में संघ की कार्यकारी शक्ति को बाहर नहीं रखा गया था। भाग सी राज्यों को संविधान *(*सातवां जी. ओ. वी. टी.*)* द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

संशोधन*)* अधिनियम। अनुच्छेद *73* के प्रावधान में *"*राज्य*"* शब्द को केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। *"*संघ*"* शब्दों को पढ़ना

अनुच्छेद *73 (1)* के परंतुक में *"*राज्य*"* शब्द के भीतर का क्षेत्र भाग *VIII (*केंद्र शासित प्रदेशों*)* की योजना के अनुसार नहीं होगा।

संविधान से। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राष्ट्रपति एक स्वीकृत सिद्धांत है। उपरोक्त व्याख्या को एक अन्य कारण से भी मजबूत किया गया है। अनुच्छेद *239*-एए *(4)* परंतुक के तहत, उपराज्यपाल, मतभेद की स्थिति में, निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है और उसे उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार, राष्ट्रपति के पास एक विशेष कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में, जिसे संदर्भित किया गया है, निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है, जो मंत्रिपरिषद के साथ-साथ उपराज्यपाल दोनों के पास है।

राज्यपाल को इसका पालन करना होगा। प्रावधान इस बात का संकेत नहीं देता है कि शक्ति

राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल उन कार्यकारी कार्यों तक सीमित है जिनका उल्लेख सूची *II* में किया गया है। जब राष्ट्रपति, जैसा कि संवैधानिक योजना द्वारा प्रदान किया गया है, किसी भी मामले पर कार्यकारी निर्णय लेने का हकदार है, भले ही इस तथ्य की परवाह किए बिना कि मंत्री परिषद या मंत्रियों द्वारा सूची *II* और सूची *III* में शामिल मामलों से संबंधित ऐसा कार्यकारी निर्णय लिया गया हो, तो राष्ट्रपति के माध्यम से संघ को कार्यकारी शक्ति सूची *II* तक ही सीमित नहीं की जा सकती है। कार्यकारी मामलों पर भी संघ को सर्वोच्च शक्ति संवैधानिक योजना के अनुसार होने के लिए स्वीकार की जानी चाहिए। यह एक और बात है कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र द्वारा और एन. सी. टी. डी. के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए, संविधान स्वयं एक ऐसी योजना का संकेत देता है जो संवैधानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, जो पहलू, हालांकि, अनुच्छेद *239*-ए. ए. के खंड *(4)* पर विचार करते समय और विस्तृत किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, *1991* के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि संघ की विधायी शक्ति एन. सी. टी. के संबंध में अपनी कार्यकारी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। संविधान द्वारा *69* वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद *239*-एए को शामिल करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, *1991* को अधिनियमित किया गया है, जिसे संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद *239* एए *(7) (ए)* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम, *1991* की धारा *49* इस प्रकार प्रदान करती हैः

"49. उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों का संबंध

राष्ट्रपति। इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद,

उपराज्यपाल और उनकी मंत्रिपरिषद के अधीन होंगे।

इस तरह के विशेष के सामान्य नियंत्रण और अनुपालन

द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देश, यदि कोई हों,

राष्ट्रपति "।

86. संघ की विधायी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक योजना के अनुसार किया जाता है और धारा *49* स्वयं इंगित करती है

कि संसद ने स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की परिकल्पना की और

उपराज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे विशेष निर्देशों के सामान्य नियंत्रण में होगा और उनका पालन करेगा। निर्देश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसी भी तरह से सीमित नहीं है ताकि इस पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सके।

संघ की कार्यकारी शक्ति। *87.* राष्ट्रपति को आगे धारा *44* के तहत अधिकार दिया गया है

1991 व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाने के लिए अधिनियम

क्षेत्र की राष्ट्रीय राजधानी में सरकार लाई गई। लेकिन चूंकि संसद की सर्वोपरि विधायी शक्ति को संवैधानिक योजना में स्वीकार किया जाता है, इसलिए सर्वोपरि कार्यकारी शक्ति को भी स्वीकार करना पड़ता है, भले ही संघ द्वारा जी. एन. सी. टी. डी. के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संघ की कार्यकारी शक्ति सभी विषयों पर व्यापक है। सूची *I* और सूची *II* के लिए संदर्भित जिस पर मंत्रिपरिषद और

एन. सी. टी. डी. के पास कार्यकारी शक्तियाँ भी हैं। *59.* जहां तक चंद्रचूड, जे. की राय का संबंध है,

इस पहलू पर तकनीकी चर्चा, हालांकि विधायी के रूप में

दिल्ली विधानसभा के आर का संबंध है, जिसे समाप्त कर दिया गया है, जो अन्य दो विचारों के अनुरूप है, दिल्ली सरकार की पहलू पारिस्थितिक शक्ति को विस्तृत नहीं किया गया है।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.*]*

इसके बजाय, अनुच्छेद *239* एए *(4)* के प्रावधान के निर्माण पर एक विस्तृत चर्चा है। जैसा कि हमने देखा है, खंड *(4)* जी. एन. सी. टी. डी. के मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। प्रोविसो उस स्थिति से संबंधित है जहां किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद होगा। इसमें प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में उपराज्यपाल को मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह सर्वोच्चता देता है कार्यकारी निर्णयों के मामले में राष्ट्रपति। न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने कहा है कि एन. सी. टी. डी. एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है और केंद्र सरकार की अपने मामलों के प्रशासन में विशेष रुचि है, जिसका उदाहरण जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम के अनुच्छेद

239 और धारा *49* के प्रावधान हैं। इसलिए, अनुच्छेद *239* एए *(4)* के प्रावधान की एक ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए जो दंड की भावना के साथ चिह्नित हो।

संवैधानिक संतुलन। जो संतुलन बनाया जाता है, उसे राष्ट्रीय राजधानी के शासन में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण हित को बनाए रखना चाहिए, साथ ही मंत्री परिषद की वैधता और संवैधानिक स्थिति का समर्थन करना चाहिए, जो विधान सभा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी है और जो अपनी क्षमता में राष्ट्रीय राजधानी की कार्यकारी शाखा है। सरकार, शासन के एक कैबिनेट रूप के तहत उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देती है। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, इस संबंध में तर्क की तीन पंक्तियाँ सामने आती हैं जिनका राय में उल्लेख किया गया है। व्याख्या की पहली पंक्ति में न्यायालय की व्याख्या होगी

उपराज्यपाल के बीच मतभेद की अभिव्यक्ति और आरक्षण या योग्यता के बिना किसी भी मामले पर उनकी मंत्रिपरिषद, जो विशुद्ध रूप से शाब्दिक या पाठ्य रचना होगी। इस अर्थ में 'कोई भी मामला' का अर्थ होगा बिना किसी प्रतिबंध के कोई भी मामला। दूसरी व्याख्या यह होगी कि उपरोक्त अभिव्यक्ति को पढ़ा जाए और विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित रखा जाए। तीसरी व्याख्या में दो हैं

पहलू। पहले पहलू के अनुसार, उपराज्यपाल द्वारा किसी मंत्री के साथ या मंत्रिपरिषद के साथ बातचीत और चर्चा के माध्यम से समाधान की मांग करके मतभेद को हल करने का प्रयास करने के बाद ही राष्ट्रपति को एक संदर्भ दिया जा सकता है। यह व्यापार लेन-देन नियमों में निहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया जाना है। दूसरा पहलू 'कोई भी' अभिव्यक्ति के मूल अर्थ से संबंधित है।

'विषय', जिसका अर्थ 'प्रत्येक विषय' या 'प्रत्येक तुच्छ विषय' नहीं होगा, बल्कि केवल वे दुर्लभ और असाधारण मामले होंगे जहां अंतर केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए इतना मौलिक है कि इसे राष्ट्रपति तक पहुँचाया जाना चाहिए।

60. उपरोक्त व्याख्याओं की तीन पंक्तियों का सुझाव देने के बाद,

निर्णय से पता चलता है कि प्रत्येक में पदार्थ की एक गुठली होती है उन्हें, लेकिन नुकसान से बचना होगा। यह इस बात पर जोर देता है कि संस्थानों के कामकाज को एक संवैधानिक संतुलन स्थापित करना चाहिए जो सहकारी शासन को सुविधाजनक बनाता है। इस तरह से पढ़ें, परंतुक को इस तरह से संचालित और लागू किया जाना चाहिए जो सुविधा प्रदान करता है और बाधा नहीं डालता है

एन. सी. टी. डी. का शासन इसके बाद यह निर्णय फिर से इस बात पर जोर देता है कि यद्यपि दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, फिर भी यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। उस संदर्भ में, एन. डी. एम. सी. में नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के साथ-साथ अनुच्छेद *239* और *239* ए. ए. में निहित योजना के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद *254* में उल्लिखित तिरस्कार के सिद्धांत पर चर्चा की गई है।

इसके बाद की चर्चा कुछ प्रासंगिक होगी और इसलिए, नीचे शाब्दिक रूप से पुनः प्रस्तुत की गई है:

" 138 ..... तिरस्कार का सिद्धांत जिसे अनुच्छेद *254* मान्यता देता है

में मामलों पर संघ और राज्य विधान के बीच

समवर्ती सूची का विस्तार अनुच्छेद *239*-एए *[(3) (*बी*)* और *(3) (*सी*)]* द्वारा किया गया है।

राज्य और समवर्ती सूची विषयों के संदर्भ में
एनसीटी। इसके अलावा, कुछ विषयों को स्पष्ट रूप से तराशा गया है

विधायिका के विधायी प्राधिकरण के दायरे से

विधानसभा और विशेष रूप से संसद में निहित। कार्यकारी शक्तियाँ

एन. सी. टी. सरकार का विधायी के साथ सह-व्यापक होना

शक्तियाँ, सहायता और सलाह जो लेफ्टिनेंट को दी जाती है

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल उन क्षेत्रों तक ही सीमित है

जो विधायी शक्तियों के दायरे से बाहर नहीं हैं। ये

प्रावधानों से पता चलता है कि संस्थानों को अपनाते समय

एन. सी. टी. के लिए संविधान में सरकार का मंत्रिमंडलीय रूप है -

विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे में कटौती,
एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी स्थिति के अनुरूप।

139. अनुच्छेद प्रस्तुत करने के लिए घटक शक्ति का प्रयोग

239 - एए राष्ट्रीय राजधानी के शासन में निहित राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की आवश्यकता से अवगत था। एक भावना

स्थायित्व और स्थिरता की मांग की गई थी

दिल्ली पर शासन करने के लिए की गई व्यवस्थाएँ
संवैधानिक संशोधन। दोनों की पहुंच के संदर्भ में

कि दिल्ली के शासन में राष्ट्रीय हित की भावना निहित है। जब राष्ट्रीय हित के मामले सामने आते हैं, तो वे भविष्यवाणी करते हैं कि
राष्ट्रीय शासन के संस्थानों के लिए प्रमुख भूमिका।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

140. राष्ट्रीय हित को बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप, अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(4)* के परंतुक के दायरे को उन स्थितियों तक सीमित करना उचित नहीं होगा जहां सरकार की कार्रवाई उसकी कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं से परे है। यह जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा *41 (1) (*आई*)* और धारा *44 (1) (*ए*)*

के प्रावधानों के निर्माण पर स्पष्ट हो जाता है। धारा *41 (1)* का खंड *(i)* उपराज्यपाल को अपने मामले में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

किसी ऐसे मामले पर विवेकाधिकार जो शक्तियों के दायरे से बाहर हो

विधान सभा को प्रदान किया जाता है लेकिन जिसके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उसे शक्तियाँ या कार्य सौंपे जाते हैं या प्रत्यर्पित किए जाते हैं। धारा *44 (1) (ए)* के तहत उन मामलों पर कार्य नियम बनाए जाते हैं जिन पर उपराज्यपाल को कार्य करने की आवश्यकता होती है।

मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर। धारा *44 (1) (ए)* में वह व्यवसाय शामिल है जो धारा *41 (1) (आई)* का हिस्सा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा *44 (1) (i)* के अंतर्गत आने वाले मामले सहायता और सलाह के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं।

141. जिन स्थितियों पर परन्तुक लागू होता है, उनकी एक विस्तृत सूची निर्धारित नहीं करने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। शासन में जटिलताएँ शामिल होती हैं। चीजों की प्रकृति में, अदालत के लिए इस संदर्भ में निर्णय देना संभव नहीं होगा कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए दिन की समस्याएं। किसी संवैधानिक प्रावधान को उल्लिखित श्रेणियों तक सीमित रखना असुरक्षित होगा जो लोगों के लचीलेपन को प्रभावित कर सकते हैं।

अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए संविधान। कुछ उदाहरण जो परंतुक के तहत शक्ति के प्रयोग की गारंटी दे सकते हैं, परंतुक के उद्देश्य और उस उद्देश्य पर प्रकाश डाल सकते हैं जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

142. दो संवैधानिक दृष्टिकोण हैं: सबसे पहले, ऑपरेशन

परंतुक को ऐसी शक्ति प्रदान करने में अंतर्निहित राष्ट्रीय चिंताओं को संरक्षित करना चाहिए, और दूसरा, परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद *239*-एए में मान्यता प्राप्त आवश्यक लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, यह बिछाना आवश्यक है

परंतुक का सहारा लेने से पहले जिन कदमों को अपनाने की आवश्यकता है, उन्हें नीचे दें। लेन-देन व्यवसाय नियम पर्याप्त रूप से विस्तृत शब्दों में इंगित करते हैं कि जब कोई अंतर होता है उपराज्यपाल और एक मंत्री के बीच राय, मुख्य रूप से, आपसी चर्चा द्वारा इसे हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया संतोषजनक परिणाम नहीं देती है, तो मामला *[2019] 3* एस. सी. आर. हो सकता है।

मंत्रिपरिषद को संदर्भित किया जाता है जिसके साथ एक प्रयास है

एक संतोषजनक समाधान खोजने के लिए बनाया गया। यह तब होता है जब इन दोनों चरणों को पार कर लिया जाता है और एक अंतर अभी भी बना रहता है कि मामले को राष्ट्रपति को भेजकर परंतुक का सहारा लिया जा सकता है। ये चरण जो व्यापार नियमों के लेन-देन में उल्लिखित हैं

239 - एए *(7)*। इसलिए परंतुक को संसद द्वारा अधिनियमित कानून और राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कार्य संचालन नियमों के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, ताकि परंतुक को लागू करने के लिए संचालन प्रक्रिया को

स्पष्टता मिल सके। इसके अलावा, एक बार राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाने के बाद, उपराज्यपाल राष्ट्रपति के निर्णय से बाध्य होता है। उपराज्यपाल के पास है कार्रवाई करने का अधिकार जो आकस्मिक द्वारा आवश्यक है

राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिए जाने तक की परिस्थितियाँ। लेकिन इससे पहले कि परंतुक का सहारा लिया जाए, उपराज्यपाल को मतभेद के मामले को हल करने के लिए मंत्री या, जैसा भी मामला हो, मंत्रिपरिषद के साथ हर संभव प्रयास करना चाहिए। मतभेदों की प्रकृति जो राष्ट्रपति को संदर्भित करने की आवश्यकता हो सकती है, को पूरी तरह से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस परंतुक को एन. सी. टी. के शासन के संबंध में राष्ट्रीय चिंताओं के रक्षक के रूप में समझना उचित होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी रक्षा के लिए एक प्रहरी है। उदाहरण के लिए, उपराज्यपाल को उस परंतुक का सहारा लेने के लिए न्यायोचित ठहराया जा सकता है जहां एन. सी. टी. सरकार के कार्यकारी अधिनियम से केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह आने की संभावना है। उपराज्यपाल इसी तरह इसे आवश्यक मान सकते हैं -

संविधान के प्रावधानों या संसद द्वारा अधिनियमित कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परंतुक का आह्वान करना। नीति के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं जिनका राष्ट्रीय राजधानी के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति पर असर पड़ता है। केंद्र सरकार की वित्तीय चिंताओं को इस तरह से फंसाया जा सकता है कि उपराज्यपाल के लिए प्रावधान को लागू करना आवश्यक हो जाता है जहां मतभेद बना रहता है।

अनसुलझा। व्यापार लेन-देन नियमों के नियम *23* में दर्शाई गई प्रकृति की स्थिति इस उपाय को उचित ठहरा सकती है -

प्रावधान। परंतुक का सहारा लेने के लिए कसौटी यह है कि मतभेद एक कल्पित अंतर नहीं है। जिस विषय पर मतभेद उत्पन्न हुआ है, वह सारवान होना चाहिए और तुच्छ नहीं होना चाहिए।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

यह तय करते समय कि संदर्भ देना है या नहीं, उपराज्यपाल को हमेशा उस अक्षांश को ध्यान में रखना चाहिए जो एक प्रतिनिधि सरकार के पास अपने कार्यकारी अधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए होता है। उपराज्यपाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह वह नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद है जो ठोस निर्णय लेती है और जब वह परंतुक का आह्वान करती है, तब भी उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्णय का पालन करना पड़ता है। द. उपराज्यपाल को इस तथ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए कि

परंतुक का अनियंत्रित सहारा लेने से वस्तुतः एन. सी. टी. के मामलों का प्रशासन उसकी सरकार से केंद्र को हस्तांतरित हो जाएगा। यदि "कोई भी मामला" अभिव्यक्ति को इतना व्यापक रूप से पढ़ा जाए कि "हर मामले" को समझा जा सके, तो परंतुक का संचालन निर्णय को स्थानांतरित कर देगा-एन. सी. टी. सरकार से केंद्र को दूर कर देगा। यदि परंतुक को इस प्रकार पढ़ा जाना था, तो यह

इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां राष्ट्रपति प्रत्येक मामले पर एक संदर्भ से निपटेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए भूसे के अलावा कुछ नहीं छोड़ेंगे। अनुच्छेद *239*-एबी एक प्रावधान करता है जहां केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है। अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(4)* का प्रावधान उस स्थिति से नहीं निपटता है। इसलिए, परंतुक को लागू करने में यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि एन. सी. टी. के लिए मंत्रिपरिषद का एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कार्य है, जैसा कि होता है। विधान सभा जिसके लिए परिषद सामूहिक रूप से है

जिम्मेदार हैं। उपराज्यपाल की भूमिका इस संवैधानिक संरचना को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार्य बनाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय चरित्र की वे चिंताएं जिनमें एक जन्मजात विशेषता है।

राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की स्थिति पर असर नहीं पड़ता है

बायपास किया गया। यदि इन मूलभूत उपदेशों को ध्यान में रखा जाए, तो

परंतुक के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और

राष्ट्रपति के हस्तक्षेप को उचित मामलों में लागू किया जा सकता है जहां संघ के लिए शासन के लिए एक मौलिक मामला है।

क्षेत्र शामिल है "।

61. जहां तक जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति का संबंध है, हम यह स्पष्ट करते हैं कि सी. जे. आई. दीपक मिश्रा द्वारा लिखित बहुमत निर्णय *(*जैसा कि वे थे*)* स्पष्ट रूप से मानता है कि यह कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार के बहिष्करण के लिए है। यह संविधान निर्णय के *214* से *218* तक के संयुक्त पठन आलेख का प्रभाव है। इसके विपरीत प्रतिवादियों का तर्क मामले पर फिर से बहस करने का प्रयास है।

लेकिन न्यायिक अनुशासन हमें इस तरह की यात्रा शुरू करने से रोकता है। वास्तव में, यही कारण है कि भारत संघ की ओर से पेश विद्वान वकील ने भी तर्क दिया है कि बहुमत की राय सही नहीं है

और मामले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद *145 (3)* के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई की भी सलाह नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति सूची *II* की सभी प्रविष्टियों *(*प्रविष्टियों *1,2* और *18* को छोड़कर*)* और उस सूची की प्रविष्टियों *64,65* और *66* तक फैली हुई है, जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों *1,2* और *18* के साथ-साथ सूची *III* की सभी प्रविष्टियों से संबंधित हैं। जी. एन. सी. टी. डी. की यह शक्ति भी अनन्य होनी चाहिए, यानी केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति का बहिष्कार। साथ ही, हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मुद्दों पर विचार करते समय, यह न्यायालय जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ व्यापार नियमों के लेनदेन को भी ध्यान में रखेगा क्योंकि इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए यह न्यायालय अधिनियम और नियमों में निहित विशिष्ट प्रावधानों से अनजान नहीं हो सकता है। *62.* बेशक, उन प्रावधानों का अर्थ लगाते समय और विशिष्ट मुद्दों के संदर्भ में इन और अन्य प्रावधानों को लागू करते समय, विभिन्न पहलुओं पर संविधान पीठ के फैसले के पीछे की भावना को ध्यान में रखा जाएगा, जिन पर तीनों राय सहमत हैं। यही कारण है कि हमने अन्य दो विचारों पर भी विस्तार से चर्चा की है।

अपीलें

63. पुनर्कथन के लिए, कुल नौ अपीलें हैं जिनका निर्णय इस न्यायालय द्वारा अपीलों के वर्तमान समूह में किया जाना है। इन नौ अपीलों में से सात जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा दायर की गई हैं और शेष दो भारत संघ द्वारा दायर की गई हैं। इन नौ अपीलों में से आठ दीवानी अपील हैं और भारत संघ द्वारा दायर एक अपील आपराधिक है।

अपील करें। सभी अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय के *04* अगस्त, *2016* के विवादित आदेश के खिलाफ हैं। विभिन्न अपीलों में उठाए गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है:

64. पहला मुद्दा यह है कि क्या सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* से संबंधित "सेवाओं" को विधायी और *21* मई, *2015* की भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कार्यकारी क्षेत्र असंवैधानिक और अवैध है।

65. दूसरा मुद्दा यह है कि क्या अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार

भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1987* के तहत किए गए अपराधों की जांच के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भ्रष्टाचार रोधी शाखा *(*ए. सी. बी.*)*।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

66. तीसरा मुद्दा सिविल अपील संख्या में उठाया गया है। *2358* , *2359* और *2017* का *2360*। इन तीनों अपीलों में आम मुद्दा यह है कि क्या जी. एन. सी. टी. डी. जांच आयोग अधिनियम, *1952* के तहत एक "उपयुक्त सरकार" है।

67. चौथा मुद्दा, जो *2017* की सिविल अपील *2363* में उठाया गया है, वह है: चाहे बिजली अधिनियम, *2003* की धारा *108* के तहत और उसके तहत

दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, *2000* की धारा *12*,

राज्य आयोग के साथ निर्देश जारी करना एन. सी. टी. दिल्ली सरकार के पास है*?*

इसी तरह का मुद्दा *2017* की सिविल अपील *2361* का विषय है। क्या जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा निदेशकों को नामित करने के आदेश

दिल्ली विद्युत सुधार *(*हस्तांतरण योजना*)* नियम, *2001* के साथ पठित दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, *2000* के तहत उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त किए बिना दिल्ली में वितरण कंपनियां वैध हैं*?*

68. पाँचवाँ मुद्दा जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा दायर *2017* की सिविल अपील संख्या *2362* और संघ द्वारा दायर *2017* की सिविल अपील संख्या *2364* के लिए समान है।

भारत सरकार, जिसमें मुद्दा यह है कि क्या जी. एन. सी. टी. डी. के राजस्व विभाग के पास भारतीय स्टाम्प अधिनियम, *1899* के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि *(*सर्कल दरों*)* की न्यूनतम दरों को संशोधित करने की शक्ति है*?*

69. छठा मुद्दा, जो आपराधिक अपील का विषय है

2018 का सं. *277* विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित है। , चाहे वह उपराज्यपाल हो या जी. एन. सी. टी. डी. जिसके पास आई. डी. *1* की धारा *24* के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति है।

उठाए गए मुद्दों पर चर्चा और निष्कर्ष

70. अब हम इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं।

मुद्दा संख्या *1:* क्या एन. सी. टी. डी. के विधायी और कार्यकारी क्षेत्र से सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* से संबंधित सेवाओं का बहिष्कार, दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से
21 मई, *2015*, असंवैधानिक और अवैध है*?*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

71. सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* निम्नानुसार है:

" 41. राज्य लोक सेवाएँ*;* राज्य लोक सेवा आयोग।

72. इस मुद्दे पर जी. एन. सी. टी. डी. की ओर से मामले की पैरवी करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री चिदंबरम ने कहा कि संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में विशेष रूप से कहा गया है कि विधानसभा/जी. एन. सी. टी. डी. के लिए सूची *II* में विधायी/कार्यकारी शक्ति का बहिष्कार सीमित है।

केवल तीन विषयों के लिए, अर्थात प्रवेश *1 (*सार्वजनिक व्यवस्था*),* प्रवेश *2 (*पुलिस*)* और प्रवेश *18 (*भूमि*)*। इसलिए, सूची *II* या सूची *III* में किसी भी अन्य अतिरिक्त प्रविष्टि के अपवर्जन का मुद्दा नहीं उठेगा। परिणामस्वरूप, न केवल विधानसभा की विधायी शक्ति, बल्कि प्रविष्टि *41* के संबंध में सह-व्यापक कार्यकारी शक्ति भी जी. एन. सी. टी. डी. के पास है। श्री चिदम्बरम

तर्क दिया कि प्रविष्टि *41* के दो घटक हैं, अर्थात् राज्य लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग। चूंकि दिल्ली में कोई राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है, जहां तक दिल्ली में सेवा कर्मियों का संबंध है, वह 'राज्य लोक सेवा' अभिव्यक्ति के भीतर आएगा और यह जी. एन. सी. टी. डी. है जो अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करेगा। ऐसे कर्मचारियों पर।

73. विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान *24* सितंबर, *1998* की पूर्व अधिसूचना की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि उक्त

अधिसूचना पूरी तरह से क्रम में थी। हम नीचे उसी को पुनः प्रस्तुत करते हैं:

गृह मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, *24* सितंबर, *1998*

एस. ओ. *853 (*ई)। – संविधान के अनुच्छेद *239* के खंड *(1)* के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देता है कि अपने नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,

'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'सेवाओं' से संबंधित मामलों के संबंध में, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपी गई सीमा तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा, सिवाय उन मामलों के जहां, लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने पर, वह ऐसा करना समीचीन नहीं समझता है।

[एफ. नं. यू-*11030/2/98-*यूटीएल *(288)]* पी. के. जलाली, जे. टी. सिकरी "। जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

हालाँकि, इसे *21,2015* की विवादित अधिसूचना के माध्यम से हटा दिया गया था, जो इस संबंध में उपराज्यपाल को शक्ति प्रदान करती है'सार्वजनिक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' के अलावा 'सेवाएँ' भी,

अनुच्छेद *239* एए में निहित योजना के विपरीत है

शीर्षक, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है। यह अधिसूचना इस प्रकार है

गृह मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, *21* मई, *2015*

एस. ओ. *1368 (*ई)। — जबकि संविधान के अनुच्छेद *239* में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।

उस सीमा तक कार्य करना, जो वह उचित समझता है, एक प्रशासक के माध्यम से जो उसके द्वारा ऐसे पदनाम के साथ नियुक्त किया जाए जो वह निर्दिष्ट करे; और जबकि संविधान द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद *239* एए *(*साठ*)*

नौवां संशोधन*)* अधिनियम, *1991* 'में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और अनुच्छेद *239* के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।

और जबकि अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* के उपखंड *(*ए*)* में कहा गया है कि विधान सभा को राज्य सूची या राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।

समवर्ती सूची जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* और उस सूची की प्रविष्टियों *64,65* और *66* के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त

प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं; और जबकि प्रविष्टि *1* 'लोक व्यवस्था' से संबंधित है, प्रविष्टि *2* 'पुलिस' से संबंधित है और प्रविष्टि *18* 'भूमि' से संबंधित है।

और जबकि अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* का उपखंड *(ए)* भी राज्य सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों को योग्य बनाता है।

समवर्ती सूची जहाँ तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। इस प्रावधान के तहत, राज्य सूची की प्रविष्टि *41* का संदर्भ दिया जा सकता है जो राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूद नहीं है।

इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों के संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कर्मी शामिल हैं -

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और

मिजोरम जो गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित है; और इसी तरह *DANICS* और *DANIPS* केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामान्य सेवाएं हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है जिसे गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अपनी राज्य लोक सेवाएँ नहीं हैं। इस प्रकार, 'सेवाएँ' इसके अंतर्गत आएंगी।

श्रेणी।

और जबकि राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित मामले क्रमशः 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' हैं और उस सूची की प्रविष्टियां *64,65* और *66* जहां तक वे प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं और 'सेवाएं' भी विधान के दायरे से बाहर हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के पास नहीं होगा

उपरोक्त के संबंध में कार्यकारी शक्ति और आगे उपरोक्त विषयों के संबंध में वह शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि यानी दिल्ली के उपराज्यपाल में निहित है।

अतः अब राष्ट्रपति *239* एए के अनुच्छेद *239* और खंड *(3)* के उपखंड *(ए)* में निहित प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा निर्देश देते हैं कि -

"*(i)* अपने नियंत्रण और आगे के आदेशों के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल, 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस', 'भूमि' और 'सेवाओं' से जुड़े मामलों के संबंध में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपी गई सीमा तक।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

दिल्ली क्षेत्र, अपने विवेकाधिकार में, के विचार प्राप्त कर सकता है
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री

'सेवाओं' के मामले को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी वह इसे समझता है

उचित है।

2. अधिसूचना संख्या एफ. *1/21/92*-होम *(*पी*)* एस्ट। *1750*

दिनांक *8* नवंबर, *1993*, दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से संशोधित

23 जुलाई, *2014* का सं. *14036/4/2014*-दिल्ली-*I (*पं. फाइल*)*, के लिए
पैराग्राफ *2* निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"2. यह अधिसूचना केवल अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन

संविधान के अनुच्छेद *239* एए में निहित प्रावधान।

पैराग्राफ *2* के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा,

अर्थात्:

"3. भ्रष्टाचार-रोधी शाखा पुलिस स्टेशन नहीं लेगा
अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अपराधों का कोई संज्ञान

केंद्र सरकार के पदाधिकारी "।

3. यह अधिसूचना पहले की अधिसूचना संख्या एस. ओ. का स्थान ले लेती है।

853 (ई*) [*एफ. नहीं। यू-*11030/2/98*-यू. टी. एल.*]* दिनांक *24* सितंबर, *1998*

इससे पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर
अधिगमन।

[एफ. संख्या *14036/04/2014*-दिल्ली-*I (*आंशिक फाइल*)]* राकेश सिंह, जे.
टी. सिकरी "।

74. उल्लेखनीय है कि सेवाओं के संबंध में इस अधिसूचना में उल्लेख किया गया है

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कर्मियों से युक्त केंद्र शासित प्रदेश कैडर के बारे में। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि यह कैडर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान है और दिल्ली उनमें से केवल एक है। यह भी विवाद में नहीं है कि इस संवर्ग का प्रशासन गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अधिसूचना में डी. ए. एन. आई. सी. एस. और डी. ए. एन. आई. पी. एस. को भी संदर्भित किया गया है,

जो एन. सी. टी. डी. सहित विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामान्य सेवाएं हैं। इन सेवाओं को गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा भी प्रशासित किया जाता है। जैसा कि उपरोक्त अधिसूचना से स्पष्ट है, उसमें उपरोक्त कारण दिए गए हैं जिससे ये सेवाएं एन. सी. टी. डी. के उपराज्यपाल के नियंत्रण और आगे के आदेशों के अधीन हो जाती हैं।

75. तथापि, श्री चिदम्बरम की प्रस्तुति यह है कि

अखिल भारतीय सेवा *(*संयुक्त संवर्ग*)* नियम, *1972* में नियम *5 (1)* में कहा गया हैः अखिल भारतीय सदस्यों के नाम निर्धारित करना। सेवाएँ जिन्हें प्रत्येक घटक राज्य के मामलों के संबंध में समय-समय पर सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है और या

जिस उद्देश्य के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध होंगी

सरकार "। हालांकि, वकील प्रस्तुत करता है, एक बार जब विशेष अधिकारियों को एन. सी. टी. डी. को आवंटित किया जाता है, तो एन. सी. टी. डी. में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्हें विशेष विभागों में नियुक्त करना जी. एन. सी. टी. डी. की शक्तियों के भीतर है। इस निवेदन के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित नियमों का उल्लेख कियाः

" अखिल भारतीय सेवा *(*संयुक्त संवर्ग*)* नियम, *1972*
2. परिभाषाएँ-इन नियमों में, जब तक कि अन्य संदर्भ की आवश्यकता न हो,--

(अ) "। संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण "का अर्थ है -

नियम *4* में निर्दिष्ट प्रतिनिधि।

XX

XX

XX

4. प्रतिनिधियों की समिति -

(1) एक प्रतिनिधि से बनी एक समिति होगी।

संविधान राज्यों की प्रत्येक सरकार की,

इसे संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण कहा जाता है।

राज्य या तो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हो सकते हैं या
संविधान राज्यों के मंत्रिपरिषद में मंत्री,

जो संविधान की सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है

राज्यों "।

भारतीय प्रशासनिक सेवा *(*संवर्ग*)* नियम, *1954*

2. परिभाषाएँः - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकताएँ -

XX

XX

XX जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

*((*ग*)* 'राज्य' से पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है -

संविधान और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।

(घ*)* संयुक्त संवर्ग के संबंध में 'संबंधित राज्य सरकार', इसका अर्थ है संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण।

XX

XX

XX

7. नियुक्ति-संवर्ग पदों पर सभी नियुक्तियां की जाएंगीः

(ख*)* राज्य सरकार द्वारा संयुक्त संवर्ग के मामले में चिंतित हैं।

(ग*) (i)* केंद्र सरकार, राज्य के परामर्श से

राज्य के लिए निर्दिष्ट सभी या किसी भी संवर्ग पद का कार्यकाल भारतीय प्रशासन की अनुसूची की मद *1* से संबंधित

सेवा *(*संवर्ग शक्ति निर्धारण*)* विनियम, *1955*।

(ग*) (ii)* एक संवर्ग अधिकारी, जिसे किसी भी पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए कार्यकाल होता है।

इस प्रकार निर्धारित किया गया है, न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित के अनुसार होगा

पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति की स्थिति को छोड़कर

राज्य या दो महीने से अधिक का प्रशिक्षण।

(ग*) (iii)* एक अधिकारी का स्थानांतरण न्यूनतम से पहले किया जा सकता है।

केवल एक समिति की सिफारिश पर निर्धारित कार्यकाल

इनमें संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम कार्यकाल पर

नियम "।

XX

XX

XX

11 ए. के संबंध में कुछ शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार

सेवा के संबंध में सेवारत सदस्य

संयुक्त संवर्ग का गठन करने वाले राज्यों के मामलेः - शक्तियाँ उप-नियम *(2)* के दूसरे परंतुक के तहत राज्य सरकार

नियम *6* के उप-नियम *(2)* के खंड *(I)* के तहत और

सेवा के सदस्यों के संबंध में नियम *7,10* और *11*

किसी भी संविधान के मामलों के संबंध में सेवा करना राज्यों का प्रयोग उस राज्य की सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्रस्तुतिकरण यह था कि उपरोक्त नियमों के अनुसार, नियुक्ति की जाती है

ई राज्य सरकार एक बार केंद्र सरकार आवंटित करती है।

किसी विशेष राज्य के क्यूलर कर्मचारी और *[2019] 3* एस. सी. आर. के इस सिद्धांत के बाद से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघवाद को स्वीकार किया जाता है और एन. सी. टी. डी. के मामले में भी संविधान पीठ द्वारा इसे प्रमुखता दी जाती है, उपरोक्त सिद्धांत समान रूप से लागू होगा।

76. उनके अनुसार, पूरी योजना जो स्पष्ट हो जाती है

उपरोक्त बात यह है कि यह संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण है जहां दिल्ली का अपना अलग प्रतिनिधि है जो एजीएमयूटी के अधिकारियों को आवंटित करता है

दिल्ली के एन. सी. टी. में संवर्ग, जिस पद पर ऐसे अधिकारी को तैनात/प्रतिनियुक्त किया जाता है, वह जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा निर्धारित किया जाता है। नतीजतन, यदि जीएनसीटीडी के भीतर, उक्त अधिकारी को

एक पद से दूसरे पद पर तैनात किया जाना है, केवल जी. एन. सी. टी. डी. के पास ही सेवा नियमों के तहत शक्तियां हैं। इस में है

अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा राज्यों में प्रचलित स्थिति के अनुरूप जो एजीएमयूटी संवर्ग में संयुक्त संवर्ग के सदस्य भी हैं और जो एन. सी. टी. डी. पसंद करते हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के विपरीत संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण में एक प्रतिनिधि है।

77. इसी तरह, जहां तक दानिक्स का संबंध है, निवेदन यह है कि दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा नियम, *2003* के तहत समान परिणाम निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया गया थाः

"11. सेवा में नियुक्ति -

सेवा में सभी नियुक्तियां नियुक्ति द्वारा की जाएंगी।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड-*I* या जूनियर के लिए प्राधिकरण

प्रशासनिक ग्रेड-*II* या सेवा का चयन ग्रेड या प्रवेश ग्रेड और इसमें शामिल किसी विशिष्ट पद के खिलाफ नहीं

सेवा करते हैं।

12. पोस्ट कर रहा है -

प्रशासन को आबंटित सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह किसी पूर्व संवर्ग पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, या अन्यथा लोक सेवा की अनिवार्यताओं के कारण कर्तव्य पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तब तक प्रशासन के अधीन किसी कर्तव्य पद पर तैनात किया जाएगा।

संबंधित प्रशासक द्वारा प्रशासन।

13. सेवा के सदस्यों का आवंटन -

सरकार समय-समय पर सेवा के किसी सदस्य को किसी भी प्रशासन को नियम के अनुसार नियुक्ति के लिए आवंटित करेगी।

12. " जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

78. यह तर्क दिया जाता है कि डैनिक्स नियमों के तहत, नियम *2 (ए)* के अनुसार 'प्रशासन' का अर्थ है जी. एन. सी. टी. डी., नियम *2 (बी)* के अनुसार 'प्रशासक' का अर्थ है एन. सी. टी. डी. का प्रशासक और नियम *2 (के)* के अनुसार 'सरकार' का अर्थ है भारत सरकार। इस प्रकार, जबकि यह भारत सरकार है जो नियम *13* के तहत जी. एन. सी. टी. डी. को एक अधिकारी उपलब्ध कराती है, उस डी. ए. एन. आई. सी. एस. अधिकारी की एन. सी. टी. डी. के भीतर नियुक्ति प्रशासक द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर की जानी है।

79. श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने इस विशेष मुद्दे पर भारत संघ की ओर से तर्क दिया, ने प्रस्तुत किया कि सूची *II* में प्रविष्टि *41* को एन. सी. टी. डी. पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त प्रविष्टि 'राज्य लोक सेवाओं' और 'राज्य लोक सेवा आयोग' तक ही सीमित है। निसन्देह, एन. सी. टी. डी. में कोई लोक सेवा आयोग नहीं था। द. अन्य भाग राज्य लोक सेवाओं को संदर्भित करता है जबकि वे सेवाएँ जिनके संबंध में *21* मई, *2015* की विवादित अधिसूचना जारी की गई है, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त/संयुक्त संवर्ग से संबंधित हैं जो राज्य लोक सेवाएँ नहीं हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुछ मामले उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं जहां उन्हें जी. एन. सी. टी. डी. की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य नहीं करना पड़ता है। यह एक ऐसा विवेकाधीन मामला था और इसलिए यह एन. सी. टी. डी. से बाहर हो गया। वैकल्पिक रूप में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही उपराज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार न हो, क्योंकि विषय वस्तु सूची *II* की प्रविष्टि *41* में शामिल नहीं है, उपराज्यपाल को केंद्र सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य नहीं करना चाहिए, न कि जीएनसीटीडी की।

उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हुए, श्री सुंदरम ने जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा *41* का उल्लेख किया जो उन मामलों को निर्धारित करता है जिनमें उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। यह प्रावधान इस प्रकार हैः

> *"41.* जिन मामलों में उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेंगेः
>
> *(1)* उपराज्यपाल किसी मामले में अपने विवेक से कार्य करेगाः
>
> *((i)* जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है, लेकिन जिनके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उसे शक्तियां या कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए हैं;
>
> या
>
> *((ii)* जिसमें उसे किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने या किसी भी न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।
>
> *(2)* यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला उपराज्यपाल के संबंध में *[2019] 3* एस. सी. आर. द्वारा या उसके अधीन है या नहीं।

> अपने विवेकाधिकार में कार्य करने के लिए आवश्यक कोई भी कानून,
> उस पर उपराज्यपाल अंतिम होंगे।
>
> *(3)* यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला उपराज्यपाल के संबंध में कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी कानून द्वारा या उसके तहत आवश्यक है या नहीं, तो उपराज्यपाल का निर्णय उस पर होता है।
>
> यह अंतिम होगा। "

80. श्री सुंदरम के अनुसार, इस विषय के संबंध में उपराज्यपाल को विवेकाधिकार प्रदान किया गया था धारा *41* की उप-धारा *(1)* का खंड *(i)* क्योंकि मामला विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर आता है। इसलिए, राष्ट्रपति *21* मई, *2015* की अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम थे, जिससे उपराज्यपाल को सेवाओं के संबंध में शक्तियां और कार्य सौंपे गए। उनके अनुसार, इसका व्यापार लेन-देन नियमों के नियम *46* द्वारा समर्थन किया गया था जो निम्नानुसार हैः

"46. (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, लेफ्टिनेंट

राज्यपाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का पालन करेगा जो ऐसे व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों और आदेशों के प्रावधानों के तहत उसे सौंपे गए हों या मुख्यमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति का कोई अन्य आदेश, यदि यह राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी आदेश के तहत प्रदान किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद *239* के तहत।

(2) उप-नियम *(1)* में कुछ भी निहित होने के बावजूद उपराज्यपाल संघ लोक सेवा से परामर्श करेगा।

(3) संघ लोक सेवा आयोग के साथ सभी पत्राचार
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में केंद्र सरकार का संचालन मुख्य सचिव या संबंधित विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा।

उपराज्यपाल का निर्देश "। जीओवीटी।

81. जहां तक *24* सितंबर, *1998* की अधिसूचना का संबंध है, श्री सुंदरम ने बताया कि यह अधिसूचना अनुच्छेद के तहत जारी की गई थी।

उपराज्यपाल को शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करना था एन. सी. टी. डी. के मुख्यमंत्री के परामर्श से केंद्र सरकार के कार्य। यह केवल एक 'परामर्श' था जिसका अर्थ 'सहमति' नहीं होगा। *21* मई, *2015* की अधिसूचना ने केवल ऐसी परामर्श प्रक्रिया के संबंध में बदलाव लाया, यानी मुख्यमंत्री के साथ 'परामर्श', जिसे समाप्त किया जा रहा है। यह

उनके अनुसार, उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करने में भी जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनके कारण यह आवश्यक हो गया। इसलिए, अब यह पूरी तरह से उपराज्यपाल के विवेक के भीतर है कि वे मुख्यमंत्री के विचार रखें या नहीं। उस हद तक यह अधिसूचना केवल *24* सितंबर, *1998* की पूर्व अधिसूचना का स्पष्टीकरण है और वास्तव में इस अधिसूचना के कानूनी निहितार्थ बिल्कुल *24* सितंबर, *1998* की अधिसूचना के समान थे। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि संविधान राज्यों की सेवाओं और संघ की सेवाओं का प्रावधान करता है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाएं केंद्र की सेवाएं हैं, जैसा कि बीर सिंह बनाम में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में कहा गया है। दिल्ली जल बोर्ड और

अन्य। उदाहरण के लिए, दिल्ली में आई. ए. एस., डी. ए. एन. आई. सी. एस. और डी. ए. एस. एस. संवर्ग के साथ-साथ शिक्षक और डॉक्टर भी संघ की सेवाएं हैं और भर्ती के नियम राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के अनुमोदन से राष्ट्रपति के मनोनीत के रूप में बनाए गए हैं। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि व्यापार लेन-देन नियमों के

नियम *46* के साथ-साथ समय-समय पर संविधान के अनुच्छेद *239* एए के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए प्रतिनिधिमंडल हमेशा इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते रहे हैं

जी. एन. सी. टी. डी. के साथ काम करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण/नियुक्ति। *82.* श्री सुंदरम की प्रबल दलील थी कि एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तंत्र पहले के वर्षों में प्रचलित तंत्र के समान हो सकता है।

2015 से पहले, अर्थात। कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पैमाने पर सचिवों, एच. ओ. डी. और अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण और नियुक्ति उपराज्यपाल और फाइल द्वारा की जा सकती है

4 (2018) 10 एससीसी *312 [2019] 3* एस. सी. आर.

और नियुक्ति सचिव *(*सेवा*)* द्वारा की जाती है*;* द्वितीय और प्रथम श्रेणी के लिए*,* स्थानांतरण और नियुक्ति मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। अधिक पारदर्शिता के लिए*,* एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया जा सकता है जिसका नेतृत्व चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए सचिव *(*सेवा*)* कर सकते हैं। ग्रेड *II* और *I* स्तर के अधिकारियों के लिए सचिव। बोर्ड इन डी. ए. एस. एस. संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर निर्णय ले सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आई. ए. एस. अधिकारियों के लिए*,* मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सिविल सेवा बोर्ड पहले से मौजूद है और इसकी सिफारिशें उपराज्यपाल को भेजी जा रही हैं। डैनिक्स अधिकारियों के लिए भी इसी तरह के बोर्ड का गठन किया जा सकता है। उनका सुझाव था कि इसी तरह का तंत्र

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य विभागों के लिए सेवा बोर्ड बनाए जा सकते हैं। इसी तरह*,* केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाएं गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण*,* उस मंत्रालय को एक सलाह दी जा सकती है कि वह लेन-देन के नियमों के तहत इन दिशानिर्देशों को बनाए और उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के साथ कुछ स्तर के अधिकारियों तक परामर्श प्रदान करे।

83. प्रत्युत्तर में श्री चिदम्बरम ने कहा कि संघ का उपरोक्त तर्क इस न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करता है।

भारत बनाम. प्रेम कुमार जैन और अन्य जिसमें इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि 'राज्य' में संविधान के अनुच्छेद *312* के प्रयोजनों के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित तरीके से शामिल हैः

"8. अतः *1* नवंबर*, 1956* से*,* जब संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम*, 1956* लागू हुआ*,* राष्ट्रपति के पास भारत में लागू किसी भी कानून के प्रावधानों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार लाने के उद्देश्य से कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति थी। यह उस शक्ति के तहत था कि राष्ट्रपति ने कानूनों के अनुकूलन *(*संख्या *1)* आदेश*, 1956* को जारी किया*,* जिसने*,* जैसा कि दिखाया गया है*,* सामान्य खंड अधिनियम की धारा *3* में एक नए खंड *(58)* को प्रतिस्थापित किया*,* जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ*,* यह प्रावधान किया गया है कि *"*राज्य*"* अभिव्यक्ति*,* निम्नलिखित के बाद की किसी भी अवधि के संबंध में*, -*

5 (1976) 3 एससीसी *743* जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम का प्रारंभ,

1956 , इसका अर्थ है "पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य

संविधान और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा। यह नहीं हो सकता।
किसी भी औचित्य के साथ कहा जाए कि इसमें कुछ भी अप्रिय था

उस परिभाषा को अप्रयोज्य बनाने के लिए विषय या संदर्भ। के द्वारा

संविधान के अनुच्छेद *372* ए *(1)* के आधार पर, यह परिभाषा थी
अभिव्यक्ति "राज्य" का जो पहले दिन से प्रभावी था

नवंबर, *1956* और संविधान ने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया कि यह

"कानून की किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जा सकती"। उच्च न्यायालय ने

इसलिए एक विपरीत दृष्टिकोण लेने में गलत हो गया और

यह अभिनिर्धारित करना कि "केंद्र शासित प्रदेश उद्देश्यों के लिए 'राज्य' नहीं हैं

संविधान के अनुच्छेद *312 (1)* और इसकी प्रस्तावना

1951 का अधिनियम "। यही कारण था कि उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने में गलती की

कि संवर्ग नियमों में "राज्य" की परिभाषा अधिकार से परे थी
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, *1951* और संविधान, और

सेवा का केंद्र शासित प्रदेश का कैडर "आम नहीं था

संघ और राज्य "के अनुच्छेद *312 (1)* के अर्थ के भीतर

संविधान, और यह कि केंद्र सरकार नहीं बना सकी

भारतीय प्रशासनिक सेवा *(*संवर्ग*)* नियम, *1954* परामर्श से
राज्य सरकारों के साथ क्योंकि ऐसी सरकारें नहीं थीं

केंद्र शासित प्रदेशों में।

(जोर दिया गया*)* "

उपरोक्त निर्णय को भी अनुमोदन के साथ नोट किया गया है।

अनुच्छेद *125* संविधान पीठ के फैसले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की राय में।

84. ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए पक्षों के संबंधित तर्कों से,

यह स्पष्ट हो जाता है कि निम्नलिखित पहलू निर्विवाद हैं:

(क) यह मामला 'सेवाओं' से संबंधित है जिसमें भारतीय शामिल हैं -

प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। इसी तरह, डी. ए. एन. आई. सी. एस. और डी. ए. एन. आई. पी. एस. एन. सी. टी. डी. सहित विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामान्य सेवाएं हैं।

(ख) ये अखिल भारतीय सेवाएँ हैं और विचाराधीन संवर्ग संघ है।

क्षेत्र संवर्ग जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली में समान है, उनमें से एक है। इसलिए संवर्ग स्वयं जी. एन. सी. टी. डी. से संबंधित नहीं है। इस संवर्ग का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है

गृह मामले।

(ग) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जहां तक उपरोक्त सेवाओं से संबंधित कर्मियों के आवंटन का संबंध है, यह केंद्रीय है। सरकार ने गृह मंत्रालय का पूरा ध्यान रखा है जिसे आवश्यक आदेश पारित करने होते हैं। इसी तरह, केंद्र सरकार को ऐसे कर्मियों को एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करने का अधिकार है।

85. विवाद का आधार इन कर्मियों को एन. सी. टी. डी. को आवंटित किए जाने के बाद उन पर जी. एन. सी. टी. डी. के नियंत्रण से संबंधित है। के अनुसार

एन. सी. टी. डी*?* इसे अन्यथा रखने के लिए, क्या सूची *II* की प्रविष्टि *41* में विषय वस्तु शामिल नहीं है*?* सूची *II* की प्रविष्टि *41* 'राज्य लोक सेवा' और 'राज्य लोक सेवा आयोग' से संबंधित है। यह निर्विवाद है कि एन. सी. टी. डी. में राज्य लोक सेवा आयोग मौजूद नहीं है। जब हम सौदा करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं और *DHANICS* सेवाओं आदि के साथ, इसे राज्य लोक सेवा के रूप में उल्लेख करना भी संदिग्ध है।

87. हालाँकि, आगे का मुद्दा यह देखना है कि क्या ऐसे अधिकारियों को विशेष विभागों में नियुक्त करना जी. एन. सी. टी. डी. की शक्तियों के भीतर है।

एक बार जब वे संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण द्वारा एन. सी. टी. डी. को आवंटित किए जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा *(*कार्डे*)* नियम, *1954* के नियम *2 (*सी*)* के अनुसार, राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। नियम *7* नियुक्ति से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि संयुक्त संवर्ग के मामले में नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद *312* के संदर्भ में, इस न्यायालय ने प्रेम कुमार जैन में निर्णय दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं -

उक्त अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए राज्य। *88.* डैनिक्स के संबंध में भी यही स्थिति है। दानिक्स नियम, *2003* का नियम *11* प्रशासन के प्रशासक को सशक्त बनाता है।

संबंधित यानी केंद्र शासित प्रदेश, इन पोस्टिंग को करने के लिए। दूसरी ओर, एन. सी. टी. डी. के संदर्भ में, प्रशासक, अर्थात् एल. जी. को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर इस संबंध में कार्य करना चाहिए। यह संविधान पीठ के फैसले का आदेश है। इसलिए, यह जीओवीटी बन जाता है।

समान रूप से संदिग्ध है कि क्या यह विवेकाधीन शक्तियों के भीतर आता है

एल. जी.

89. उपरोक्त चर्चा एक बहुत ही विचित्र स्थिति की ओर ले जाती है।

नियुक्ति सचिव *(*सेवा*)* द्वारा की जाती है; द्वितीय और प्रथम श्रेणी के लिए स्थानांतरण और नियुक्ति मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। अधिक पारदर्शिता के लिए, एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन किया जा सकता है जिसका नेतृत्व किया जा सकता है चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए सचिव *(*सेवा*)* द्वारा; द्वितीय और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए मुख्य सचिव द्वारा। बोर्ड इन डी. ए. एस. एस. संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर निर्णय ले सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आई. ए. एस. अधिकारियों के लिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सिविल सेवा बोर्ड पहले से मौजूद है और इसकी सिफारिशें उपराज्यपाल को भेजी जा रही हैं। डैनिक्स अधिकारियों के लिए भी इसी तरह के बोर्ड का गठन किया जा सकता है। उनका सुझाव था कि इसी तरह का तंत्र

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य विभागों के लिए सेवा बोर्ड बनाए जा सकते हैं। इसी तरह, केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाएं *[2019] 3* एस. सी. आर. के तहत हैं।

गृह मंत्रालय, उस मंत्रालय को व्यापार लेन-देन नियमों के तहत इन दिशानिर्देशों को बनाने और उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के साथ कुछ स्तर के अधिकारियों तक परामर्श प्रदान करने के लिए एक सलाह दी जा सकती है।

91. हम यह जोड़ सकते हैं कि जहां तक अनुशासनात्मक अधिकारियों का संबंध है, वे पहले से ही सी. सी. ए. *(*सी. सी. एस.*)* नियमों और आई. ए. एस. और डी. ए. एन. आई. सी. एस. सहित विभिन्न सेवाओं के लिए लागू नियमों के अनुसार निर्धारित हैं। समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा सौंपी गई शक्तियों के अनुसार नियुक्ति और अनुशासनात्मक अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है।

सतर्कता मामले सतर्कता कार्रवाई शुरू करने और करने के लिए सक्षम अधिकारियों के संदर्भ में लागू अनुशासनात्मक नियमों के दायरे में आ जाएंगे। *92.* सुशासन और सुचारू सरकारी कार्यों के हित में, हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों द्वारा सामंजस्यपूर्ण कार्य संबंध के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मुद्दा संख्या *2:* क्या अधिकारिता का अपवर्जन

एन. सी. टी. डी. की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा *(ए. सी. बी.)* द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1987* के तहत किए गए अपराधों की जांच करना और ए. सी. बी. के अधिकार क्षेत्र को केवल जी. एन. सी. टी. डी. के कर्मचारियों तक सीमित करना कानूनी है*?*

93. इस मुद्दे पर कुछ अधिसूचनाओं की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि *1* अगस्त, *1986* की अधिसूचना के अनुसार,

प्रशासक ने दिल्ली प्रशासन के ए. सी. बी. को पुलिस स्टेशन घोषित किया

आई. पी. सी. और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1947* के तहत कुछ भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों के उद्देश्य के लिए आई. डी. *1* की धारा *2 (*ओं*)* के तहत। इस अधिसूचना के अनुसार, ए. सी. बी. का "पूरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में अधिकार क्षेत्र" था। *08* नवंबर, *1993* की अधिसूचना के माध्यम से इस अधिसूचना के स्थान पर, जी. एन. सी. टी. डी. ने उपराज्यपाल के माध्यम से पुराने सचिवालय में एन. सी. टी. डी. के ए. सी. बी. को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* के तहत अपराधों के लिए आई. डी. *1* की धारा *2 (*ओं*)* के तहत एक पुलिस स्टेशन के रूप में घोषित किया। इसके बाद, केंद्र सरकार द्वारा *23* जुलाई, *2014* और *21* मई, *2015* की दो अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिसके अनुसार ए. सी. बी. का अधिकार क्षेत्र केवल जी. एन. सी. टी. डी. के कर्मचारियों तक ही सीमित है। ये अधिसूचनाएँ इस प्रकार हैं:

" अधिसूचना दिनांक *23* जुलाई, *2014*

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-*II*-भाग-*3*-उप भाग *(II)*

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

नई दिल्ली, शुक्रवार, *25* जुलाई *2014/*श्रवण *3,1936*

गृह मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, *23* जुलाई, *2014*

एस. ओ. *1896 (*ई*)*-सामान्य खंडों की धारा *21* के अनुसरण में

अधिनियम, *1897 (1897* का *10)* जिसे भारत सरकार, मंत्रालय के साथ पढ़ा जाता है।

गृह मामलों की अधिसूचना संख्या एस. ओ. *183 (*ई*)*, दिनांक *20* तारीख मार्च, *1974* और द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए

केंद्रीय के अधिकार क्षेत्र पर केंद्रीय सतर्कता आयोग

जांच ब्यूरो और भ्रष्टाचार रोधी शाखा,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, केंद्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि अधिसूचना संख्या एफ. *1/21 /*

92 - गृह *(*पी*)* प्राक्कलन। *1750 ,* दिनांक *8* नवंबर, *1993* द्वारा जारी किया गया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा।

केवल सरकार और उस उद्देश्य के लिए उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है,

अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, मौजूदा पैराग्राफ के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

" 2. यह अधिसूचना अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी।
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार "।

[एफ. नं. *14036 / 4 / 2014 -* दिल्ली-आई *(Pt.File)* आई. एस. चहल, जे.
सचिव

XX

XX

XX

अधिसूचना दिनांक *21* मई, *2015*

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-*2*-भाग-*3* उप-भाग *(2)*

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

नई दिल्ली, गुरुवार, *21* मई, *2015 /*

वैशाख *31,1937*

गृह मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, *21* मई, *2015*

एस. ओ. *1368 (ई)*-जबकि संविधान का अनुच्छेद *239* प्रदान करता है

कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति *[2019] 3* एस. सी. आर. द्वारा किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक प्रशासक के माध्यम से, जो उसके द्वारा ऐसे पदनाम के साथ नियुक्त किया जाए, जो वह निर्दिष्ट करे, उस हद तक कार्य करना, जो वह उचित समझे; और जबकि संविधान *(69* वां संशोधन*)* अधिनियम, *1991* द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद *239* एए में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और अनुच्छेद *239* के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।

और जबकि अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* के उपखंड *(ए)* में कहा गया है कि विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* और उस सूची की प्रविष्टियों *64,65* और *66* के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं; और जबकि प्रविष्टि *1* 'सार्वजनिक व्यवस्था' से संबंधित है, प्रविष्टि *2* 'पुलिस' और प्रविष्टि *18* 'भूमि' से संबंधित है। और जबकि अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* का उपखंड *(ए)* भी राज्य सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों को योग्य बनाता है।

राज्य सूची की प्रविष्टि *41* जो राज्य लोक सेवाओं से संबंधित है, राज्य लोक सेवा आयोग जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूद नहीं है। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों के संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कर्मी शामिल हैं -

केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के लिए समान जो गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित हैं; और इसी तरह *DANICS* और *DANIPS* केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामान्य सेवाएं हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रशासित हैं।

गृह मंत्री के माध्यम से सरकार। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना जीओवीटी नहीं है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

अपनी राज्य लोक सेवाएँ। इस प्रकार, 'सेवाएँ' इसके अंतर्गत आएंगी। श्रेणी।

और जबकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहाँ कोई विधायी शक्ति नहीं है, वहाँ कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है क्योंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। और जबकि राज्य सूची की

प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित मामले क्रमशः 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' हैं और उस सूची की प्रविष्टियां *64,65* और *66* जहां तक वे प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं और 'सेवाएं' भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के दायरे से बाहर हैं और

नतीजतन, सरकार। दिल्ली के एन. सी. टी. में कोई कार्यपालिका नहीं होगी।

उपरोक्त के संबंध में शक्ति और आगे उपरोक्त विषयों के संबंध में वह शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि, यानी दिल्ली के उपराज्यपाल में निहित है।

अतः अब राष्ट्रपति अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* के अनुच्छेद *239* और उपखंड *(ए)* में निहित प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा निर्देश देते हैं कि

(i) अपने नियंत्रण और आगे के आदेशों के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल, 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'पुलिस', 'भूमि' और 'सेवाओं' से जुड़े मामलों के संबंध में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा।

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपी गई सीमा तक।

दिल्ली क्षेत्र, अपने विवेकाधिकार में, के विचार प्राप्त कर सकता है
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री

'सेवाओं' के मामले को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी वह इसे समझता है

उचित है।

2. अधिसूचना संख्या एफ. *1/21/92*-होम *(*पी*)* एस्ट। *1750* , दिनांक *8* नवंबर, *1993*, दिनांक *23* जुलाई, *2014* की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित, जिसमें संख्या *14036/4/2014*-दिल्ली-*I (*पं. फाइल*)*, अनुच्छेद *2* के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" 2. यह अधिसूचना केवल अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन

संविधान के अनुच्छेद *239* एए में निहित प्रावधान। *"[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ *2* के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा,

अर्थात्:
" 3. भ्रष्टाचार-रोधी शाखा पुलिस स्टेशन नहीं लेगा

अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अपराधों का कोई संज्ञान
केंद्र सरकार के पदाधिकारी "।

3. यह अधिसूचना पहले की अधिसूचना संख्या एस. ओ. का स्थान ले लेती है।

*853 (ई) (*एफ. नं. यू-*11030/2/98-*यू. टी. एल.*)* दिनांक *24* सितंबर, *1998*

इससे पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर
अधिगमन।

[एफ. नं. *14036/4/2014-*दिल्ली-*I (*पार्ट फाइल*)]* राकेश सिंह, जे. टी. सिकरी "।

94. इन अधिसूचनाओं की वैधता को तीन पर चुनौती दी गई है।

आधारः पहला, *69* वें संशोधन के बाद, केंद्र सरकार नहीं है आई. डी. *1* की धारा *2 (*ओं*)* के अर्थ के भीतर "राज्य सरकार". दूसरा, विवादित अधिसूचनाएं ए. सी. बी. के अधिकार क्षेत्र से मुक्त अपराधियों का एक वर्ग बनाती हैं, भले ही उन पर अन्य लोक सेवकों और उसी क्षेत्र में समान अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। इस तरह के वर्गीकरण की संविधान के तहत अनुमति नहीं है और इसे अनुच्छेद *14* का उल्लंघन माना गया है। तीसरा, अधिसूचनाओं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का प्रभाव है, जिसमें "लोक सेवक" की परिभाषा भी शामिल है, जिसकी अनुमति नहीं है।

95. यह तर्क दिया जाता है कि *Cr.P.C* की धारा *2 (*ओं*)* के तहत शक्ति संबंधित है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि सामान्य खंड अधिनियम, *1897 (*जी. सी. अधिनियम*)* की धारा *3 (6)* में निहित राज्य सरकार की परिभाषा के सरसरी पठन में केंद्र सरकार शामिल है और इसे प्रयोग करने के उद्देश्य से दिल्ली के संबंध में एक राज्य सरकार बनाती है। *Cr.P.C* की धारा *2 (*ओं*)* के तहत शक्ति, लेकिन यह सही कानूनी स्थिति नहीं है। तर्क यह है कि राज्य सरकार की परिभाषा वाली जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* संविधान के *69* वें संशोधन से पहले अधिनियमित की गई थी। उक्त संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद *239* एए और संबंधित अनुच्छेदों को जोड़ा/संशोधित किया गया था। उपरोक्त संशोधन के अनुसार, संसद ने जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम लागू किया। उक्त संशोधन और उक्त अधिनियम *1* फरवरी, जीओवीटी को लागू हुआ।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

1992. संविधान में उपरोक्त परिवर्तन और जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम के अधिनियमन को देखते हुए, केंद्र सरकार *Cr.P.C* की धारा *2 (*ओं*)* के उद्देश्य से दिल्ली क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार नहीं है। धारा *2 (*ओं*)* के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति अब दिल्ली सरकार के पास निहित है। सातवीं अनुसूची की सूची *III* की प्रविष्टि *2* का संदर्भ दिया गया है, जो इस प्रकार हैः

"2. दंड प्रक्रिया, संहिता में शामिल सभी मामलों सहित

इस संविधान के प्रारंभ में दंड प्रक्रिया का।

96. अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधान सभा के लिए

कि केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य है। इससे यह पुष्टि करने की कोशिश की जाती है कि यह तार्किक रूप से इस बात का पालन करती है कि कोई भी सरकार जो मामलों का प्रशासन करती है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की एक राज्य सरकार है।

97. उपरोक्त याचिका का समर्थन करने के लिए, कुछ निर्णयों पर भरोसा किया जाता है

पर। ऊखा कोल्हे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, एक संविधान पीठ

इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 18 ..... यह सच है कि संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति
आपराधिक प्रक्रिया और साक्ष्य तीसरी सूची में आते हैं।

संसद और राज्य विधानमंडल समवर्ती हैं।
इन मामलों के संबंध में प्राधिकरण। अभिव्यक्ति

" विधायी प्रविष्टि में "आपराधिक प्रक्रिया" शामिल है

प्रविष्टियों द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित माना जाता है
2 और तीसरी सूची में *12*।

(जोर दिया गया*) "*

कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है।

98. संघ की ओर से इस मुद्दे पर तर्क दिए गए थे

श्री राकेश द्विवेदी द्वारा संबोधित, विद्वान वरिष्ठ वकील। बिनि।

निवेदन यह था कि पूरे मामले को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, उन्होंने प्रतिष्ठान के विकास का पता लगाया

6 (1964) 1 एससीआर *926:*

दिल्ली पुलिस की ए. सी. बी. ऐतिहासिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस का ए. सी. बी. इनका गठन वर्ष *1957* में किया गया था। *6* दिसंबर, *1963* को दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने इसे दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव के नियंत्रण में रखा। *24* मई, *1965* को पुलिस अधीक्षक, ए. सी. बी. को प्रमुख और आहरण और संवितरण अधिकारी *(*डी. डी. ओ.*)* घोषित किया गया था। इसके बाद, पी. सी. अधिनियम की धारा *5 (1)* के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासक ने ए. सी. बी. में सेवारत पुलिस निरीक्षकों को पूरे क्षेत्र में उक्त अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया। यह आदेश द्वारा दोहराया गया था

19 मई, *1970* को जारी प्रशासक। इसके अलावा, के संबंध में

संविधान के अनुच्छेद *239 (1)* और दिल्ली पुलिस अधिनियम के साथ पठित धारा *2 (s) Cr.P.C, 1973* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक/उपराज्यपाल। उल्लेखनीय है कि *23* जुलाई, *2014* से पहले जारी अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी गई है। इनमें से कुछ अधिसूचनाएं अनुच्छेद *239* एए *(1* फरवरी, *1992)* के शामिल होने से पहले ही जारी की गई थीं। पहली अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा *20* मार्च, *1974* को शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। संविधान के अनुच्छेद *239 (1)* के तहत। अधिसूचना अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को निर्देश देती है

राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, *Cr.P.C, 1973* के तहत शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना, जैसा कि संलग्न अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अधिसूचना में एक शर्त है कि केंद्र सरकार स्वयं उन सभी या किसी भी शक्ति और कार्यों का प्रयोग कर सकती है यदि वह आवश्यक समझती है। यह अधिसूचना केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को अधिकार प्रदान करती है

दिनांक *20* मार्च, *1974* और *Cr.P.C, 1973* की धारा *2 (s)* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली को ए. सी. बी. घोषित किया। तीस हजारी, दिल्ली में प्रशासन आई. पी. सी. की धारा *161* और *165* ए और पी. सी. अधिनियम, *1947* के तहत अपराधों के लिए एक पुलिस स्टेशन होगा।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

पूरे केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में *20* मई, *1975* की अधिसूचना के माध्यम से। इस प्रकार, ए. सी. बी. को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासक द्वारा एक पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद, ए. सी. बी. द्वारा पूछताछ और जांच के लिए प्रक्रिया नियमों को *17* फरवरी, *1977* को संशोधित किया गया। नियम *2* ने घोषणा की कि दिल्ली पुलिस पर लागू सभी नियम और विनियम ए. सी. बी. पर भी लागू होते हैं। नियम *3* ए. सी. बी. के कार्यों को निर्धारित करता है। नियम *5* में उल्लेख किया गया है कि ए. सी. बी. एक पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष प्रभार में होगा। नियम *15 (v)* में प्रावधान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में ए. सी. बी. द्वारा आम तौर पर कोई पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। नियमों में अभियोजन की धाराओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस स्तर पर, संसद ने दिल्ली पुलिस अधिनियम, *1978* को लागू किया ताकि दिल्ली पुलिस के विनियमन से संबंधित कानून में संशोधन और समेकन किया जा सके।

दिल्ली में पुलिस। धारा *4* संविधान के अनुच्छेद *239* के तहत नियुक्त प्रशासक में दिल्ली पुलिस का अधीक्षण निहित करती है। वह पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त की नियुक्ति करता है। धारा *10* और *11* के अनुसार, पुलिस आयुक्त पुलिस जिलों, पुलिस उपखंडों का गठन करता है और पुलिस थानों और उनकी सीमाओं और विस्तार को निर्दिष्ट करता है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन एक पुलिस निरीक्षक के प्रभार में होना चाहिए जिसे अतिरिक्त आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह सब प्रशासक के नियंत्रण और उसके आदेशों के अधीन किया जाना है। धारा *15* के अनुसार, पुलिस आयुक्त कर्तव्यों का वितरण करते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करने का तरीका बताते हैं। अनुशासनात्मक शक्तियाँ निहित हैं पुलिस आयुक्त जो प्रशासक के आदेशों के अधीन नियम भी बनाते हैं। इसमें अध्याय *IV* और *V* के तहत प्रावधानों के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था और शांति का संरक्षण भी शामिल है।

धारा *147* के तहत नियम बना सकते हैं। धारा *149* अनुसूची *II* में उल्लिखित पुलिस को विनियमित करने वाले पुराने कानूनों को समाप्त करने पर विचार करती है लेकिन यह संरक्षित करती है।

नियम और स्थायी आदेश, नियुक्तियाँ आदि जहां तक वे अधिनियम के अनुरूप हैं। यह लंबित जाँच को भी सुरक्षित रखता है।

श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि इस अधिनियम को *Cr.P.C, 1973* के साथ पढ़ा जाना चाहिए। *99.* केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासक द्वारा *1* अगस्त, *1986* को जारी अधिसूचना के माध्यम से यह *20* मई, *1975* और *23* अगस्त, *1975* की उनकी पिछली अधिसूचना के स्थान पर प्रदान किया गया था और धारा *2 (*एस*) Cr.P.C* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। *1973* को अधिसूचना *[2019] 3* एस. सी. आर. के साथ पढ़ा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक *20* मार्च, *1974* को कहा गया था कि तीस हजारी, दिल्ली में ए. सी. बी. दिल्ली प्रशासन आई. पी. सी. की धारा *161* से *165* ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1947* के तहत अपराधों के संबंध में और उक्त अपराधों के संबंध में प्रयास, उकसाने और साजिशों के संबंध में पुलिस स्टेशन होगा। पूरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर इसका अधिकार क्षेत्र होना था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* के प्रवर्तन के बाद, जिसमें आई. पी. सी. की धारा *161 165* ए को भी हटा दिया गया था, एन. सी. टी. डी. के उपराज्यपाल ने भारत सरकार की *20* मार्च, *1974* की अधिसूचना के साथ पठित धारा *2 (*ओं*)* सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए *08* नवंबर, *1993* को अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि पुराने सचिवालय में एन. सी. टी. दिल्ली का ए. सी. बी. पी. सी. अधिनियम *1988* के तहत अपराधों और उक्त अपराधों के संबंध में या उनके संबंध में किए गए प्रयासों, उकसाने और साजिशों और एक ही लेन-देन के दौरान किए गए किसी भी अन्य अपराध के लिए पुलिस स्टेशन होगा। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे एन. सी. टी. दिल्ली पर होना था। यह अधिसूचना

100. 24 सितंबर, *1998* को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद *239 (1)* के तहत एक अधिसूचना जारी की जिसमें निर्देश दिया गया कि यह उनके नियंत्रण में है और अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन, मुख्यमंत्री के परामर्श से 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'सेवाओं' से जुड़े मामलों के संबंध में प्रत्यायोजित सीमा तक, उन मामलों को छोड़कर जहां -

लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारण, वह ऐसा करना समीचीन नहीं समझता है

सो.

101. उपरोक्त इतिहास का पता लगाने के बाद, श्री द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि *23* जुलाई, *2014* की अधिसूचना, जो अब विवादित है, आई

केंद्र सरकार द्वारा *08* नवंबर, *1993* की पूर्व अधिसूचना में संशोधन करने के लिए जारी किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भी जारी किया गया था।

सरकार और वह भी अनुच्छेद *239* एए युग के बाद। उनके अनुसार, इस अधिसूचना को जारी करने के पीछे का उद्देश्य सी. बी. आई. और ए. सी. बी. के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सी. वी. सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करना है। यह वह स्थिति है जिसे *21* मई, *2015* की एक अन्य अधिसूचना में दोहराया गया है जिसे दिल्ली

सरकार ने भी चुनौती दी है। श्री द्विवेदी के अनुसार, सभी अधिसूचनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि *20* मई, *1975* से ही ए. सी. बी. दिल्ली प्रशासन का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने वाले कर्मियों के संबंध में अपराधों की जांच के लिए एक पुलिस स्टेशन बनना था। अधिसूचना दिनांकित

1 अगस्त, *1986* ने *20* मार्च, *1974* की भारत सरकार की अधिसूचना के तहत भी शक्तियों का उपयोग किया था। हालाँकि अधिसूचनाएँ क्षेत्रीय रूप से जीओवीटी हैं।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

इसमें पूरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को शामिल किया गया था, लेकिन संदर्भ स्पष्ट रूप से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए था। 'भ्रष्टाचार-रोधी शाखा, दिल्ली प्रशासन' नाम भी इसी बात का संकेत देता है। *8* नवंबर, *1993* की बाद की अधिसूचना केवल बनाई गई थी। पी. सी. अधिनियम *1988* के कारण परिणामी परिवर्तन और एन. सी. टी. डी. के रूप में दिल्ली के प्रशासन की स्थिति में परिवर्तन। जो अनिवार्य रूप से निहित था

उक्त अधिसूचनाओं को *23* जुलाई, *2014* और *21* मई, *2015* की बाद की अधिसूचना द्वारा स्पष्ट किया गया था ताकि सीबीआई और ए. सी. बी. द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिकारियों पर शक्तियों के समानांतर प्रयोग से बचा जा सके।

केंद्र सरकार। सीवीसी ने भी इसकी सिफारिश की थी। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि सी. बी. आई. डी. एस. पी. ई. अधिनियम *1946* के तहत बनाया गया एक पुलिस बल है और ए. सी. बी. की स्थापना दिल्ली पुलिस अधिनियम *1978* के तहत की गई है। ए. सी. बी. की स्थापना भारत के संविधान की अनुसूची *VII* की प्रविष्टि *1* और *2* सूची *II* के संबंध में है। सी. बी. आई. की स्थापना और इसकी जाँच की शक्ति अनुसूची *VII* की प्रविष्टि *8/80* सूची *I* के अंतर्गत आती है। ए. सी. बी. की स्थापना दिल्ली पुलिस अधिनियम, *1978* के तहत की जाएगी।

102. उन्होंने यह भी कहा कि पी. सी. अधिनियम, *1947* की धारा *5* और पी. सी. अधिनियम, *1988* की धारा में सी. बी. आई./दिल्ली द्वारा किए गए अपराधों की जांच की परिकल्पना की गई है।

पाँच संक्षिप्त संसदीय अधिनियम-*Cr.P.C*। , *1973* , पी. सी. अधिनियम, *1988*, डी. एस. पी. ई. अधिनियम, दिल्ली पुलिस अधिनियम, *1978* और सी. वी. सी. अधिनियम को एक साथ पढ़ना होगा। *103.* श्री द्विवेदी का कहना था कि अब यह संविधान पीठ के फैसले से भी स्थापित हो गया है कि एन. सी. टी. डी.

यह अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अनुच्छेद *239* एए को शामिल करने के बावजूद अनुच्छेद *239* लागू होता है। उन्होंने आगे कहा कि माना जाता है कि सूची *II* में प्रविष्टि *2* दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है और इसलिए, दिल्ली सरकार इस प्रविष्टि के संबंध में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसके अलावा, सूची *I* की प्रविष्टियां *8* और *80* भी एन. सी. टी. डी. के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जिस पर संसद और केंद्रीय कार्यपालिका का विशेष अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, यह संसद और केंद्र सरकार के लिए खुला है कि वे सूची *I* की प्रविष्टियों *8* और *80* के अनुसरण में कार्य करें और कुछ विशेष प्रावधान प्रदान करें। उसके द्वारा की जाने वाली जाँच के संबंध में सी. बी. आई. का अधिकार क्षेत्र।

104. श्री द्विवेदी ने स्वीकार किया कि *Cr.P.C.* में एक क्षेत्र शामिल है जो सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि *2* सूची *III* द्वारा कवर किया गया है। हालाँकि, उनका निवेदन है कि सूची *III* संसद और *[2019] 3* एस. सी. आर. दोनों के लिए समवर्ती क्षेत्र है।

राज्यों। इसलिए, यद्यपि दिल्ली विधानसभा के पास प्रविष्टि *2* के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में विधायी क्षमता है, लेकिन यह अनन्य नहीं है क्योंकि संसद के पास भी विधायी क्षमता है।

वास्तव में, दिल्ली विधानसभा की क्षमता संसद की विधायी क्षमता के अधीन है। इसके अलावा, संसद पहले ही व्यापक और संपूर्ण रूप से *Cr.P.C* को लागू करके अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग कर चुकी थी। इसलिए, मैदान व्यस्त हो जाता है। ऐसे में परिस्थितियों में, एन. सी. टी. डी./विधान सभा की विधायी क्षमता समाप्त हो जाएगी, यदि इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद *239* ए. ए. *(*बी*) (*सी*)* के कारण होता है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इस परिदृश्य में जी. एन. सी. टी. डी. केवल ऐसी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जैसे

Cr.P.C. इसे प्रदान करता है और यह सम्मान विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए।

106. संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम श्री राकेश द्विवेदी द्वारा दिए गए तर्कों में बल पाते हैं। उनके द्वारा वर्णित और ऊपर निकाले गए ऐतिहासिक घटनाक्रम। हम इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि मुद्दा सीमित है। , क्या ए. सी. बी. को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में भी मामले दर्ज करने का अधिकार है*?*

107. हम पाते हैं कि इन अधिसूचनाओं के लिए अपीलार्थी द्वारा रखी गई चुनौती सूची *II* की प्रविष्टि *2* पर आधारित है। दिल्ली को अर्ध-राज्य का दर्जा देने के बाद भी *(*जो हालांकि संवैधानिक अवधि में केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है*)*, अनुच्छेद *239* एए *(*जो ऐसा दर्जा देता है*)* स्वयं प्रविष्टि *2* को एन. सी. टी. डी. के क्षेत्र से बाहर करता है। इस प्रकार, 'पुलिस' के संबंध में, एन. सी. टी. डी. के पास विधायी या कार्यकारी शक्ति नहीं है।

इस न्यायालय को इस तरह के बहिष्कार के सार पर गौर करने की आवश्यकता है और इसे अति तकनीकीताओं द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है। संविधान में भी

न्यायपीठ के निर्णय में बार-बार और वास्तव में माननीय न्यायाधीशों की तीनों रायों में इस बात पर जोर दिया गया है कि अनुच्छेद *239* एए के पाठ को प्रासंगिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, जिसे जी. एन. सी. टी. डी. को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, वह इस तरह की याचिका पर उस शक्ति को प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता है।

108. डॉ. सिंघवी ने ठीक ही कहा कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि विधायी प्रविष्टियों की व्याख्या व्यापक और उदार तरीके से की जानी चाहिए।

उनके लिए व्यापक आयाम को लागू करने और सभी सहायक और सहायक मामलों को शामिल करने के अनुरूप। प्रविष्टियों के एक संकीर्ण या पांडित्यपूर्ण पठन को बार-बार अस्वीकार किया गया है। हमारी राय है कि सूची *II* की प्रविष्टि *2* में आने वाले 'पुलिस' शब्द का दायरा, जीओवीटी नहीं हो सकता है।

इसलिए, कृत्रिम रूप से पुलिस बल के गठन तक ही सीमित या सीमित किया जाए, लेकिन इस प्रकार गठित पुलिस के कामकाज पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने की विधायी *(*और इसलिए, कार्यकारी*)* शक्ति को अपने दायरे में ले लेगा, जिसमें पुलिस की विभिन्न शाखाओं/धाराओं की शक्तियों, कार्यों और अधिकार क्षेत्र को निरूपित करने वाले कार्यकारी निर्देश जारी करना भी शामिल है। संक्षेप में, विवादित अधिसूचनाएं, जिस हद तक वे पुलिस को प्रशासनिक निर्देशों की प्रकृति में हैं, सीधे तौर पर सूची *II* की प्रविष्टि *2* से संबंधित हैं और इस तरह से भारत सरकार के सक्षम के भीतर हैं। यहाँ तक कि कार्यपालिका तक भी

शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि पुलिस कार्यों के अनुरूप हो सकती है

आई. डी. *1.* में उल्लिखित पुलिस की शक्ति की प्रकृति इस कारण से सूची *3* की प्रविष्टि *2* से परिवर्तित या संबंधित नहीं होगी। यह सूची *II* से सूची *III* तक का रूपक नहीं है। वास्तव में, पुलिस को एक प्रशासनिक/कार्यकारी निर्देश जारी करना पुलिस से संबंधित विधायी प्रवेश से संबंधित कार्यकारी शक्ति का एक प्रयोग है।

109. इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, दिल्ली पुलिस अधिनियम, *1978* के विभिन्न प्रावधान भी इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि नियंत्रण की शक्ति और

पर्यवेक्षण प्रशासक के साथ निवेश किया जाता है। इसमें पुलिस स्टेशन की सीमा और विस्तार को परिभाषित करना और पुलिस स्टेशनों पर प्रशासनिक नियंत्रण शामिल है। इसके अलावा, प्रविष्टि *2* सूची *II* में यह भी शामिल होगा -

पुलिस द्वारा की जाने वाली जाँच की प्रकृति और दायरे के बारे में निर्धारण। इसलिए, ए. सी. बी. को एक पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित करते समय, ए. सी. बी. के जांच क्षेत्र को सीमित करने की अनुमति होगी। *110.* इसमें कोई संदेह नहीं है कि *Cr.P.C* की धारा *2 (*ओं*)* राज्य सरकार द्वारा पुलिस स्टेशन की स्थापना पर विचार करती है। हालाँकि, *Cr.P.C.* गिरफ्तारी, संचालन के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित करता है।

पूछताछ करने या कोशिश करने की शक्ति है। इन प्रावधानों में यह नहीं बताया गया है कि दो पुलिस थानों के समानांतर अधिकार क्षेत्र का सीमांकन कैसे किया जाए। वास्तव में, जाँच के लिए समानांतर अधिकार क्षेत्र पर *Cr.P.C* द्वारा विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अराजकता और अराजकता होगी और जाँच के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। यह हमें यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि जिस सरकार के पास प्रविष्टि *2* सूची *2* पर क्षमता है, उसके पास दो पुलिस बलों के बीच जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र को अलग करने और सीमांकन करने की शक्ति होगी।

अतः आक्षेपित अधिसूचनाएँ मान्य हैं। यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है जब *Cr.P.C* को दिल्ली पुलिस अधिनियम, *1978* और अन्य संज्ञानात्मक अधिनियमों के साथ पढ़ा जाता है।

111. यहाँ हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि सूची *II* की प्रविष्टि *1,* विषय वस्तु जिसका विषय 'सार्वजनिक व्यवस्था' है, को भी सूची से बाहर रखा गया है।

जी. एन. सी. टी. डी. का कार्यक्षेत्र और यह संसद/केंद्रीय कार्यपालिका का अनन्य क्षेत्र है। 'सार्वजनिक व्यवस्था' शब्द को व्यापक आयाम और अर्थ दिया गया है *(*देखें-स्टैनिस्लॉस बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य और जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य*)*। यह भी माना जाता है कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' में अपराधों का संज्ञान, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी, उसके बाद अपराधों की रिपोर्ट *(*एफ. आई. आर.*)* का पंजीकरण, जांच, अभियोजन, मुकदमा और दोषसिद्धि की स्थिति में सजा का निष्पादन भी शामिल है। इन सभी पहलुओं को एक साथ समझना होगा।

112. वास्तव में, एन. सी. टी. डी. सरकार के अधिकार क्षेत्र से सूची *II* की प्रविष्टियां *1,2* और *18* को बाहर करने में एक विशिष्ट तर्क था। द.

बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट जिसमें इन प्रविष्टियों को हटाने की सिफारिश की गई थी *(*और रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा संविधान के अनुच्छेद *239* एए में विशेष रूप से प्रदान करके स्वीकार किया गया है*)* का विचार था कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित हों ताकि केंद्र के संबंध में कोई भ्रम या अधिकार क्षेत्र का ओवरलैप न हो।

नियंत्रण और समन्वय का बिंदु '। उपरोक्त बहिष्करण के पीछे का यह तर्क सीधे तौर पर राष्ट्र की राजधानी और केंद्र सरकार के आसन के रूप में एन. सी. टी. डी. द्वारा कब्जा की गई अनूठी स्थिति से प्रवाहित होता है।

113. इसके अलावा, पैराग्राफ *29* में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की राय में कहा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' का बहिष्कार एक

"इस तथ्य का संवैधानिक संकेत कि एन. सी. टी

राष्ट्रीय राजधानी के रूप में इसकी स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बाहर करने के लिए राष्ट्र के दृष्टिकोण से विशिष्ट महत्व का माना जाता है। उक्त राय से निम्नलिखित टिप्पणियां भी उपयुक्त हैं:

"एन. सी. टी. एक राजधानी शहर के रूप में अपने चरित्र में राष्ट्रीय शासन में अंतर्निहित राजनीतिक प्रतीकवाद का प्रतीक है। एन. सी. टी. के शासन से संबंधित परिस्थितियों में प्रत्यक्ष और

राष्ट्र के सामूहिक कल्याण पर तत्काल प्रभाव। पुलिस, लोक व्यवस्था *7 (1977) 1* एस. सी. सी. *677* के विषयों के बहिष्कार का यह तर्क है।

8 (2010) 5 एससीसी *246* जीओवीटी।

और विधायी शक्ति से भूमि और आवश्यक रूप से

एन. सी. टी. की कार्यकारी शक्ति *(*पैराग्राफ *55)* "

XX

XX

"..... राष्ट्रीय अनिवार्यताओं ने क्षेत्रों को तराशने के लिए प्रेरित किया है

पुलिस, लोक व्यवस्था और विधायी प्राधिकरण के क्षेत्र से भूमि

विधान सभा और उन्हें संसद को सौंपना।
(अनुच्छेद *74) "*

114. उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी अनन्य कार्यकारी शक्ति चाहता है।

प्रविष्टि *1,2* और *18* के साथ-साथ सूची *III* के सभी विषयों को छोड़कर, सूची *II* में प्रविष्टियों के संबंध में। इस संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी का तर्क है कि संविधान पीठ ने ऐसा निर्णय लिया है। हालाँकि, जब प्रविष्टि *2* सूची *2* में बहिष्कृत मामले की बात आती है, हालाँकि एन. सी. टी. डी. की शक्तियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से अपीलार्थी उसी पर समवर्ती अधिकार क्षेत्र चाहता है। इस तरह की स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल होगा। यह भी उल्लेख करना उचित है कि जहां तक *08* नवंबर, *1993* की अधिसूचना का संबंध है, जिसमें पुराने सचिवालय में एन. सी. टी. डी. के ए. सी. बी. को पुलिस स्टेशन के रूप में उपराज्यपाल द्वारा बनाया गया था, उसे चुनौती नहीं दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी। तथ्य यह है कि इस अधिसूचना ने उसके बाद भी इस क्षेत्र को संभाला है। विवादित अधिसूचनाएं केवल *08* नवंबर, *1993* की उपरोक्त अधिसूचना में एक सीमित सीमा तक संशोधन हैं, जिसके तहत यह स्पष्ट किया जाता है कि यह पूर्व अधिसूचना केवल उस सरकार *(*जी. एन. सी. टी. डी.*)* के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी। इस प्रकार, इसका एकमात्र प्रभाव यह है कि ए. सी. बी. को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए, यह जाँच सी. बी. आई. द्वारा की जाती है। इसलिए, यह दोहरेपन और अधिकार क्षेत्र के टकराव को भी दूर करता है।

115. हम, इस प्रकार, *23* जुलाई की अधिसूचनाओं की वैधता को बरकरार रखते हैं।

2014 और *21* मई, *2015*।

मुद्दा संख्या *3:* क्या जीएनसीटीडी उपयुक्त है

सी. ओ. आई. अधिनियम के तहत सरकार*?*

116. सातवीं अनुसूची में प्रासंगिक प्रविष्टियाँ हैं

सूची *I* और सूची *III* की प्रविष्टि *45*। ये निम्नानुसार हैं:

" प्रविष्टि *94* सूची *I*

किसी भी उद्देश्य के लिए पूछताछ, सर्वेक्षण और सांख्यिकी
इस सूची में विषय हैं।

प्रविष्टि *45* सूची *III* किसी भी मामले के उद्देश्यों के लिए पूछताछ और आँकड़े

सूची *II* या सूची *III* में निर्दिष्ट किया गया है।

117. सी. ओ. आई. अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है। समझने के लिए

हम इस अधिनियम की धारा *2 (ए)* में निहित उपयुक्त सरकार की परिभाषा का उल्लेख कर सकते हैं, जो निम्नानुसार हैः

" " उपयुक्त सरकार "का अर्थ है -

((i) नियुक्त आयोग के संबंध में केंद्र सरकार

किसी भी मामले से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए

सातवीं में सूची *I* या सूची *II* या सूची *III* में गणना की गई प्रविष्टियाँ

संविधान की अनुसूची; और

((ii) नियुक्त आयोग के संबंध में राज्य सरकार

इसके द्वारा किसी से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए

सातवीं में सूची *II* या सूची *III* में गणना की गई प्रविष्टियाँ

संविधान की अनुसूची।

(जोर दिया गया*) "*

118. श्री नाफडे के अनुसार, धारा की उप-धारा *(ए)* के खंड *(I)*

2 सूची *I* की प्रविष्टि *91* और सूची *III* की प्रविष्टि *45* दोनों प्रविष्टियों से संबंधित है, जबकि खंड *(ii)* सूची *III* की प्रविष्टि *45* से संबंधित है। तर्क यह है कि चूंकि सूची *III* की प्रविष्टि *45* में और इस प्रविष्टि के संबंध में एन. सी. टी. डी. में विधायी और कार्यकारी दोनों क्षमताएं हैं, इसलिए यह सी. ओ. आई. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक "उपयुक्त सरकार" होगी। श्री.

नाफडे ने धारा *3* के परंतुक *(ए)* का भी उल्लेख किया, जो उनके अनुसार, किसी भी संघर्ष से बचने के लिए किया गया प्रावधान है। यह निम्नानुसार हैः

" (क*)* केंद्र सरकार द्वारा, कोई भी राज्य सरकार, सिवाय इसके

केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ, दूसरे को नियुक्त करें

आयोग एक ही मामले की जांच तब तक करेगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग काम कर रहा है।

119. श्री नाफडे ने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए कि "राज्य

"उपयुक्त सरकार" की उपरोक्त परिभाषा में "सरकार" में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार शामिल नहीं है, उच्च न्यायालय ने जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* के तहत राज्य सरकार की परिभाषा को लागू किया है और यह एक अन्य मुद्दा है जहां उक्त परिभाषा को यांत्रिक रूप से लागू किया गया है, संदर्भ या पाठ को समझे बिना।

अधिनियमन।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

120. इस मुद्दे के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि "केंद्र सरकार की स्पष्ट और स्पष्ट परिभाषाओं के आलोक में और राज्य सरकार क्रमशः धारा *3 (8)* और धारा *3 (60)* के तहत

जी. सी. अधिनियम के अनुसार, हमारा विचार है कि केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में 'उपयुक्त सरकार' अभिव्यक्ति केवल केंद्र सरकार होगी और आगे यह अभिनिर्धारित किया कि भले ही जी. एन. सी. टी. डी. उपयुक्त सरकार हो, आयोग की नियुक्ति के लिए विवादित अधिसूचना

जांच को कायम नहीं रखा जा सका क्योंकि इसे उपराज्यपाल के विचार/सहमति के बिना पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया कि जहां तक उपराज्यपाल की सहमति का संबंध है, संविधान पीठ द्वारा पहले ही यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि किसी सहमति की आवश्यकता नहीं है। ओ

121. उद्देश्यों के कथन पर भी ध्यान आकर्षित किया गया और

जाँच आयोग अधिनियम, *1952* को लागू करने के लिए संसद में पेश किए गए *1952* के मूल विधेयक संख्या *39* से जुड़े कारण। वह इस प्रकार हैः

कार्यकारी आदेश के तहत सरकार द्वारा; कोई केंद्रीय कानून नहीं है
ऐसे निकायों की शक्ति को विनियमित करना। कुछ लोगों ने महसूस किया है

किसी भी वैधानिक शक्ति के अभाव में विकलांग

गवाहों की उपस्थिति और प्रस्तुति को लागू करने के लिए

दस्तावेजों से। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, तदर्थ

यह महसूस किया जाता है कि अधिकृत करने वाला एक सामान्य कानून होना चाहिए
सरकार किसी भी मामले में जांच प्राधिकरण नियुक्त करेगी

सार्वजनिक महत्व का, जब भी आवश्यक समझा जाए, या

जब विधानमंडल द्वारा इस आशय की कोई मांग की जाती है और यह कि ऐसा कानून पूछताछ करने वाले प्राधिकारी को गवाहों को बुलाने की शक्तियों सहित कुछ विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा, शपथ पर साक्ष्य लेना, और व्यक्तियों को
प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करना

जानकारी दी। यह विधेयक इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है।

122. एक अन्य दलील यह है कि आम तौर पर और यहां तक कि सी. ओ. आई. अधिनियम, *1952* के तहत जांच आयोग नियुक्त करने की शक्ति एक शक्ति है।

शासन के लिए आनुषंगिक क्योंकि यह सार्वजनिक महत्व के मामलों के बारे में खुद को सूचित करने वाली सरकार का एक साधन है। अपनी प्रकृति से और 'हालांकि, हम यहां यह जोड़ सकते हैं कि भले ही किसी सहमति की आवश्यकता न हो, लेकिन मामले को अनुच्छेद *239* एए *(4)* के प्रावधान के संदर्भ में एलजी के विचारों के लिए भेजा जाना चाहिए, जो निश्चित रूप से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखित राय में निर्दिष्ट मापदंडों के भीतर होना चाहिए और पहले से ही ऊपर निकाले गए पैरा *140-142* में निहित होना चाहिए।

प्रविष्टि *45* के आधार पर जी. एन. सी. टी. डी. सी. ओ. आई. अधिनियम, *1952* केवल इस तरह की जांच करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक और प्रदान करता है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को इस प्रक्रियात्मक लाभ से वंचित करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि उसके पास सूची *III* की प्रविष्टि *45* के तहत जांच नियुक्त करने की शक्ति है। इससे भी अधिक, जब दिल्ली विधानसभा नीति के निर्माण के लिए खुद को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए परिवहन, जल संसाधन या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उदाहरण के लिए एक जांच आयोग स्थापित करने के लिए एक कानून पारित कर सकती है। *123.* उपरोक्त आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* पर निर्भरता अस्थिर है। उच्च न्यायालय ने जांच आयोग की नियुक्ति के संदर्भ को समझे बिना और यह समझे बिना कि सी. ओ. आई. अधिनियम केवल शक्ति के प्रयोग के लिए एक प्रक्रियात्मक तंत्र है, जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* को लागू किया है।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस अधिनियम से स्वतंत्र।

124. इस विषय पर श्री मनिंदर सिंह ने श्री नाफड़े की उपरोक्त दलीलों का जवाब दिया। उनका पहला निवेदन है कि सी. ओ. आई.

अधिनियम एक संसदीय अधिनियम है और इसलिए इसका कार्यान्वयन उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने राय साहिब राम जवाया कपूर के मामले में फैसले के पैरा *12* का उल्लेख किया जो इस प्रकार है -

इसके अंतर्गतः

"12. कार्यकारी कार्य का अर्थ और तात्पर्य क्या है, इसकी एक विस्तृत परिभाषा तैयार करना संभव नहीं हो सकता है। आम तौर पर

कार्यकारी शक्ति उन सरकारी कार्यों के अवशेष को दर्शाती है जो विधायी और न्यायिक कार्यों को छीन लेने के बाद बचे रहते हैं।

भारतीय संविधान ने वास्तव में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनी पूर्ण कठोरता में मान्यता नहीं दी है, बल्कि इसके कार्यों को मान्यता दी है -

सरकार के विभिन्न भागों या शाखाओं में पर्याप्त अंतर किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हमारा संविधान राज्य के एक अंग या भाग द्वारा उन कार्यों की धारणा पर विचार नहीं करता है जो अनिवार्य रूप से दूसरे से संबंधित हैं। कार्यपालिका वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है -

विभागीय या अधीनस्थ विधान जब ऐसी शक्तियाँ विधायिका द्वारा उसे सौंप दी जाती हैं।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

यह, जब इतना सशक्त हो जाता है, तो सीमित तरीके से न्यायिक कार्यों का प्रयोग भी कर सकता है। हालांकि, कार्यकारी सरकार कभी भी संविधान या किसी कानून के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद *154* के प्रावधानों से स्पष्ट है, लेकिन जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, इससे यह नहीं पता चलता है कि

कार्यपालिका को कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए पहले से ही एक कानून होना चाहिए और यह कि कार्यपालिका की शक्तियां केवल इन कानूनों के पालन तक सीमित हैं।

सी. ओ. आई. अधिनियम के प्रावधानों को स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा

2 (क*)* "उपयुक्त सरकार" को परिभाषित करता है। उनके अनुसार, खंड *2 (i)* जो "राज्य सरकार" को परिभाषित करता है, में जी. एन. सी. टी. डी. शामिल नहीं है।

125. 2017 की सिविल अपील संख्या *2360* में प्रतिवादी संख्या *1* की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री गौतम खज़ानची ने भी श्री मनिंदर सिंह द्वारा लिए गए रुख का समर्थन किया। उन्होंने यह तर्क देते हुए उपरोक्त विवाद को जोड़ा कि *20* अगस्त, *1996* की अधिसूचना, जो उपराज्यपाल को शक्ति प्रदान करती है, अपरिवर्तित बनी हुई है। उनके अनुसार, *20* अगस्त, *1966* की यह अधिसूचना एक विशिष्ट वैधानिक प्रतिनिधिमंडल है जिसने

सी. ओ. आई. अधिनियम के तहत एल. जी. पर सक्षम प्राधिकारी की स्थिति। इसलिए, यह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश *(*एन. सी. टी. डी. के मामले में एल. जी.*)* का प्रशासनिक है जो इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के कार्य का निर्वहन करने में सक्षम है। उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थिति नहीं बदली है

संवैधानिक संशोधन और जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, *1991* के अधिनियमन के बाद भी। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*)* बनाम। नवजोत संधू उर्फ अफसान गुरु *1 0 10*, बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए *Cr.P.C* की धारा *196* के अनुसार वैध मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। हालांकि,

न्यायालय ने कहाः

" 11. जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *196* के तहत मंजूरी का संबंध है, इसे मंजूरी आदेश *(*अतिरिक्त*)* में पढ़ा जाता है। पी-*11/2)* कि उपराज्यपाल ने उप-धारा *(1)* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य किया

भारत सरकार, मंत्रालय के साथ पठित धारा *196* सी. आर. पी. सी.

गृह मामलों की अधिसूचना दिनांक *20-3-1974*। उस अधिसूचना के तहत मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया था। गिलानी की ओर से लिखित प्रस्तुतियों के अनुलग्नकों में पाई जाने वाली उक्त अधिसूचना से पता चलता है कि इसे संविधान के अनुच्छेद *239 (1)* के तहत जारी किया गया था, जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को निर्वहन करने में सक्षम बनाता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. आर. पी. सी. के अधीन राज्य सरकार की शक्तियाँ और कार्य। हम.

राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील की इस दलील को स्वीकार करें कि उक्त अधिसूचना में निहित शक्ति का प्रत्यायोजन तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, *1991* किसी भी तरह से लागू नहीं होता है।

अनुच्छेद *239* के तहत जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना में निहित प्रतिनिधिमंडल की वैधता को प्रभावित करता है।

126. उन्होंने बताया कि इस निर्णय को इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए टाइट्यूशन बेंच के समक्ष भी रखा गया था कि कार्यपालिकाजी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम के अधिनियमन के बाद राज्य सरकार की आर. संवैधानिक योजना के तहत सीमित है। चंद्रचूड़, जे.

" 450. इस मुद्दे पर कि क्या एन. सी. टी. के उपराज्यपाल आतंकवाद निवारण अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी देने में सक्षम हैं, इस पर राज्य में इस न्यायालय *(*एन. सी. टी. दिल्ली*)* की दो न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया। नवजोत संधू *[*दिल्ली राज्य *(*एन. सी. टी.*)* बनाम। नवजोत संधू, *(2005) 11* एससीसी *600: 2005* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 1715] (*नवजोत संधू*)*। उस मामले में, दोनों कानूनों के तहत प्रतिबंध "आदेश द्वारा और उपराज्यपाल के नाम पर" दिए गए थे। पोटा की धारा *50* के तहत मंजूरी को रद्द करने का आग्रह किया गया था इस आधार पर कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में केवल केंद्र सरकार ही इसे स्वीकार करने में सक्षम थी। पोटा की धारा *2 (1) (*एच*)* ने किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है उसका प्रशासक। चुनौती को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद *239*-एए के तहत, अनुच्छेद *239* के तहत नियुक्त प्रशासक अपना दर्जा नहीं खोता है और यह केवल उसका है।

पदनाम जिसे "इस विशेष केंद्र शासित प्रदेश की उन्नत स्थिति को ध्यान में रखते हुए" उपराज्यपाल के नए पदनाम में मिला दिया गया है। उपराज्यपाल, जो अभी भी एक प्रशासक हैं, को धारा *2 (1) (*एच*)* के तहत विधायी कल्पना के कारण धारा *50* के तहत मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था, प्रशासक को धारा *50* के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार माना जा रहा है। इसलिए: *(* एस. सी. सी पी. *654,* पैरा *10)*

" 10. ..... प्रशासक के पक्ष में विशिष्ट वैधानिक प्रतिनिधिमंडल के आधार पर जिसे संवैधानिक रूप से नामित किया गया है

उपराज्यपाल ने भी कहा कि उक्त प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी पोटा की धारा *50* के तहत एक वैध मंजूरी है। जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

नवजोत संधू *[*दिल्ली राज्य *(*एन. सी. टी.*)* बनाम में निर्णय। नवजोत संधू, *(2005) 11* एससीसी *600: 2005* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 1715]* ने प्रशासक के पक्ष में एक विशिष्ट सांविधिक प्रतिनिधिमण्डल का गठन किया

मंजूरी दें। इसलिए यह वर्तमान संवैधानिक संदर्भ में कोई सहायता नहीं है।

127. विद्वान वकील ने जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा *41 (1) (ii)* से पोषण प्राप्त करने की भी मांग की, जिसमें कहा गया है कि एल. जी. किसी भी कानून के तहत उन मामलों में अपने विवेक से कार्य करेगा जहां उसे करने की आवश्यकता है। तब से

उपराज्यपाल सी. ओ. आई. अधिनियम के तहत 'उपयुक्त सरकार' है, वह जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा *41* के तहत परिकल्पित अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। एल. जी. की अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति जहां उसे किसी भी कानून के तहत आवश्यक है, संविधान पीठ के फैसले द्वारा पुष्टि की गई है। *128.* वैकल्पिक रूप से, और उपरोक्त तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में, *11* अगस्त, *2015* की अधिसूचना जिसमें जांच आयोग का गठन किया गया है, जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम और टी. ओ. बी. आर. का उल्लंघन है। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा *45* के साथ-साथ टी. ओ. बी. आर. के नियम *23* का उल्लेख किया, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय को उपराज्यपाल को सूचित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अवगत कराया जा सके और उन्हें अनुच्छेद *239* ए. ए. *(4)* और उसके प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। जब तक उपराज्यपाल को सभी निर्णयों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है, तब तक वह आवश्यकता पड़ने पर असहमत होने की संवैधानिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और इस प्रकार, राष्ट्रपति को संदर्भित नहीं कर सकते हैं। श्री गौतम खज़ानची का एक अन्य निवेदन था कि *11* अगस्त, *2015* की अधिसूचना जी. एन. सी. टी. डी. की दुर्भावनापूर्ण शक्ति का परिणाम थी। उनके अनुसार, इस मामले की जांच ए. सी. बी. द्वारा की गई थी, जिसे एल. जी. द्वारा निपटाया गया था और यह उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच का विषय भी था। ए. सी. बी. द्वारा जांच किए गए उन्हीं आरोपों की जांच के लिए जांच आयोग के गठन द्वारा दूसरे दौर की शुरुआत न केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार की अधिकता थी जो वह सीधे नहीं कर सकता था।

129. ऊपर उल्लिखित तर्कों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मुद्दे का परिणाम उस अर्थ पर निर्भर करता है जो सी. ओ. आई. अधिनियम की धारा *2 (ए)* में आने वाली 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति को सौंपा जाना है जो 'उपयुक्त सरकार' को परिभाषित करता है। इसे अन्यथा रखने के लिए, क्या राज्य सरकार शब्द में 'केंद्र शासित प्रदेश' शामिल होगा*?* इस उद्देश्य के लिए, किसी को जी. सी. अधिनियम पर वापस आना होगा। धारा *3 (8)*

जी. सी. अधिनियम केंद्र सरकार और उसके प्रासंगिक हिस्से को परिभाषित करता है।

इसके अंतर्गतः

" (8) "केंद्र सरकार "

(ए)।

(ख) इसके बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में संविधान के प्रारंभ का अर्थ है राष्ट्रपति; और इसमें शामिल होंगेः

((i).. ((ख)।

((ग) किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद *239* के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करने वाला उसका प्रशासक;

130. दूसरी ओर जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* राज्य को परिभाषित करती है।

प्रासंगिक प्रावधान जिसके बारे में नीचे बताया गया हैः

" 3 (60) "राज्य सरकार "

(ए)।

(बी)। *(ग)* इसके बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में

संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम, *1956* के प्रारंभ का अर्थ होगा, किसी राज्य में और किसी केंद्र शासित प्रदेश में,

केन्द्रीय सरकार; और कार्यों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद *258* ए के तहत भारत सरकार को सौंपे गए कार्यों में केंद्र सरकार भी शामिल है जो इस दायरे में काम करती है।

उस अनुच्छेद के तहत उसे दिए गए अधिकार का;

131. जी. सी. अधिनियम 'सरकार', 'राज्य' और 'यूनियन कोरी' को भी परिभाषित करता है। हम इन परिभाषाओं को भी पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

" 3 (23) "सरकार "या" सरकार "में केंद्र सरकार और कोई भी राज्य सरकार दोनों शामिल होंगी।

3 (58) "राज्य "

(ए)।

(ख) ऐसे प्रारंभ के बाद की किसी भी अवधि के संबंध में, संविधान की अनुसूची *I* में निर्दिष्ट राज्य का अर्थ होगा और इसमें शामिल होंगेः

एक केंद्र शासित प्रदेश; जीओवीटी।

3 (62 ए) "केंद्र शासित प्रदेश" का अर्थ होगा संविधान की अनुसूची *I* में निर्दिष्ट कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और इसमें कोई अन्य क्षेत्र शामिल होगा।
भारत के क्षेत्र के भीतर शामिल लेकिन उस अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं;

132. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा *3 (58)* में निहित राज्य की परिभाषा में केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। हालाँकि, हम अर्थ के बारे में चिंतित हैं

'राज्य सरकार' जो जी. सी. अधिनियम की धारा *2 (60)* में परिभाषित है। यहाँ, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, राज्य सरकार का अर्थ केंद्र सरकार होगा।

133. यह टिप्पणी करना उचित होगा कि यह पहलू गोवा नमूना कर्मचारियों के मामले में विचार के लिए आया था।

एसोसिएशन वी। भारत की सामान्य अधीक्षण कंपनी *1 1,* हालांकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा *2 (ए)* में निहित "उपयुक्त सरकार" की परिभाषा के संदर्भ में। गोवा उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। कर्मचारी ने विवाद उठाया था और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्देश दिया गया था।

"राज्य क्षेत्र" और "राज्य सरकार" और "केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन" के बीच भी। इसने माना कि "केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन" को "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति में नहीं समझा जाएगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में "राज्य सरकार" का अर्थ धारा के संदर्भ में "केंद्र सरकार" होगा।
3 (60) जी. सी. अधिनियम। किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को "राज्य सरकार" के रूप में वर्णित करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। यह निष्कर्ष निम्नलिखित तरीके से निकाला गया है:

11 1 (1985) 1 एस. सी. सी. *206 [2019] 3* एस. सी. आर.

" 12. संसद ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, *1963 (*संक्षेप में *"1963* अधिनियम*")* अधिनियमित किया। इसका लंबा शीर्षक अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य को प्रकट करता है, अर्थात्, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं और मंत्रिपरिषद और कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना। केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन

और दीव *1963* के अधिनियम द्वारा शासित है *[*धारा *2 (*एच*)* देखें*]*। *1963* के अधिनियम की धारा *2 (*ए*)* में "प्रशासक" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "अनुच्छेद *239* के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक"। धारा *18* किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभा की राज्य सूची या सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले को शामिल करने की विधायी शक्ति की सीमा को निर्दिष्ट करती है। धारा *44* में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख

मुख्यमंत्री होंगे, जो उन मामलों के संबंध में प्रशासक को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देंगे, जिनके संबंध में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय इसके कि जहां तक वह है।

अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए अपने विवेक से या किसी कानून द्वारा या उसके तहत कार्य करना आवश्यक है। वहाँ

परंतुक के अनुसार किसी भी मामले पर प्रशासक और मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, प्रशासक इसे राष्ट्रपति आदि द्वारा दिए गए निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा। इस प्रकार प्रशासक की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति द्वारा कवर किए गए सभी विषयों तक फैली हुई है। लेकिन मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति

बात तय करता है। जब राष्ट्रपति मुद्दे का फैसला करते हैं, तो यह केंद्र सरकार होती है जो मुद्दे का फैसला करती है। और यह बाध्यकारी है

प्रशासक और मंत्री भी। धारा *45* में प्रावधान है कि "किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी"। धारा *46* राष्ट्रपति को व्यवसाय के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा *55* में प्रावधान किया गया है कि "किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में सभी अनुबंध संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए अनुबंध हैं और इसके संबंध में सभी मुकदमे और कार्यवाही।

किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध स्थापित किया जाएगा। द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

अनुच्छेद *240*, राष्ट्रपति ने अन्य बातों के साथ-साथ गोवा, दमन सरकार को अधिनियमित किया है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

अनुसूची में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, यदि कोई हो, के अधीन गोवा, दमन और दीव तक विस्तारित। अनुसूची में औद्योगिक शामिल हैं। विवाद अधिनियम, *1947* बिना किसी संशोधन के समग्र रूप से।

XX

XX

XX

14. क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को राज्य सरकार के रूप में वर्णित करना संवैधानिक रूप से सही होगा*?* अनुच्छेद *1* में कहा गया है कि

" भारत, अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा। उप-अनुच्छेद *(2)* में प्रावधान किया गया है कि "राज्य और उनके क्षेत्र इस प्रकार होंगे - पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। उप-अनुच्छेद *(3)* ने संविधान में समझे गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच एक द्विभाजन की शुरुआत की जब यह प्रावधान किया गया कि "भारत के क्षेत्र में *(*ए*)* राज्यों के क्षेत्र*;* और *(*बी*)* पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे"। द.

संविधान के भाग *VI* के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं। संविधान का भाग *VI* जो राज्यों से संबंधित है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य नहीं है। इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश संवैधानिक रूप से एक राज्य के अलावा कुछ और है। जहां तक राज्यों का संबंध है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, हालांकि दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति होगी। भाग *VIII* में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान है। अनुच्छेद *239* ने राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए शक्ति प्रदान की, जब तक कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो। इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम, *1897* में अधिनियमित "केंद्र सरकार", "राज्य सरकार" और "केंद्र शासित प्रदेश" की परिभाषाओं के अलावा, संविधान स्वयं राज्य और उसकी सरकार, जिसे राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बीच अंतर करता है। जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से अधिनियमित नहीं किया जाता है,

अभिव्यक्ति "राज्य केंद्र शासित प्रदेश को नहीं समझेगा" और "राज्य सरकार" केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को नहीं समझेगी। अब अगर हम सामान्य खंड अधिनियम में तीन अभिव्यक्तियों "केंद्र सरकार" *[धारा 3 (8)]*, "राज्य सरकार" *[धारा 3 (60)]* और "केंद्र शासित प्रदेश" *[धारा 3 (62-ए)]* की परिभाषा को याद करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि संविधान और संसद ने भी इन परिभाषाओं को लागू करने में *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से बनाए रखा है जैसा कि द्वारा प्रदान किया गया है

संविधान। "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति की परिभाषा में विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद *239* के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करने वाले उसके प्रशासक को "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति में समझा जाएगा। जब इस समावेशक भाग को परिभाषा में बहिष्करण भाग के साथ जोड़ा जाता है

सरकार, के बीच वैचारिक रूप से बोलने का अंतर "राज्य सरकार" और "केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन" शब्द स्पष्ट रूप से उभरते हैं। इसलिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि "केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन",

प्रशासक का वर्णन चाहे जो भी किया गया हो, उसे "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति में नहीं समझा जाएगा जैसा कि किसी भी अधिनियम में उपयोग किया गया है। इन परिभाषाओं को संशोधित किया गया है उन्हें कानूनों के अनुकूलन *(संख्या 1)* आदेश, *1956* द्वारा उनके वर्तमान प्रारूप में। सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *3* में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों में जब तक कि विषय में कुछ भी अनुचित न हो या

संदर्भ में, उसमें परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो उसमें निर्धारित किया गया है। निर्विवाद रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, *1947* एक केंद्रीय अधिनियम है जो सामान्य खंडों के प्रारंभ के बाद अधिनियमित किया गया है।

जिसका उपयोग किया जाता है। ऐसी कोई भर्त्सना हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई थी। इसलिए, इन अभिव्यक्तियों को उन्हें दिए गए अर्थ को प्राप्त करना चाहिए। *15.* उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तीन अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं का उल्लेख करने के बाद, जैसा कि यहां निर्धारित और चर्चा की गई है, पहले यह पाया कि परिभाषा को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि "किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, जी. ओ. वी. टी.।

दिए गए प्राधिकारी के दायरे में कार्य करने वाला प्रशासक

संविधान के अनुच्छेद *239* के तहत उनके लिए केंद्र सरकार है। अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने तब कहा कि "यह पालन करना चाहिए कि जहां तक केंद्र शासित प्रदेश का संबंध है, प्रशासक राज्य सरकार है, और यह सामान्य खंड अधिनियम की धारा *3 (60)* में राज्य सरकार की परिभाषा में प्रदान किया गया है"। उच्च न्यायालय धारा *3 (60)* के खंड *(*सी*)* की व्याख्या करने में एक त्रुटि में पड़ गया, जो इसके सही निर्माण पर यह दिखाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य सरकार की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन जहां भी अभिव्यक्ति है

भाग सी राज्यों में, भाग ए राज्यों में राज्यपाल और भाग बी राज्यों में राजप्रमुख के समान स्थिति। यह भी देखा गया कि "हालांकि भाग सी राज्य अनुच्छेद *239* के प्रावधानों के तहत केंद्रीय रूप से प्रशासित हैं, लेकिन वे राज्य बनना बंद नहीं करते हैं और केंद्र सरकार में विलय हो जाते हैं"। तब यह आग्रह किया गया कि संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम, *1956* द्वारा अनुच्छेद *239* और *240* में संशोधन और अनुच्छेद *239* को लागू किया जाए। संविधान *(*चौदहवाँ संशोधन*)* अधिनियम, *1962* द्वारा ए और *239*-बी, केवल भाग सी राज्यों के नामकरण में परिवर्तन हुआ है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्णित किया जा रहा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति वही है जो भाग सी राज्यों के रूप में थी और इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में लिया गया विचार कि भाग सी राज्यों के प्रशासन को उचित रूप से राज्य सरकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, यह कहा गया था कि उन्हें उचित रूप से राज्य सरकारों *[2019] 3* एस. सी. आर. के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए। दोनों निर्णय पहले दिए गए थे

1956 में संविधान के भाग *VIII* का संशोधन और

1962 में अनुच्छेद *239*-ए और *239*-बी का अंतःस्थापन और विशेष रूप से *1963* के अधिनियम के अधिनियमन के बाद। विधान सभा के साथ या उसके बिना केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा या निर्दिष्ट विधायी के साथ मंत्रिपरिषद के बिना और

1963 के अधिनियम में कार्यकारी शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। जोड़ीदार।

इसके साथ, परिभाषाओं में संशोधन किए गए थे

उपरोक्त तीन अभिव्यक्तियाँ। इसलिए, दोनों निर्णय वर्तमान विवाद के समाधान में कोई सहायता नहीं करते हैं।

गोवा नमूना कर्मचारियों के उपरोक्त मामले से प्रत्यक्ष रूप से निपटा गयाऔर अभिनिर्धारित किया कि संघ कोरी में कोई 'राज्य सरकार' नहीं है और राज्य सरकार का अर्थ केंद्र सरकार होगा।

o अनुच्छेद *448* में राय दी गई है जो इस प्रकार हैः

" 448. 1963 की धारा *44 (1)* के प्रावधानों से निपटना

अधिनियम, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः *(* गोवा नमूनाकरण मामला *[*गोवा*]* कर्मचारी संगठन का नमूना लेना। वी. सामान्य अधीक्षण कं।

भारत सरकार *(*पी*)* लिमिटेड, *(1985) 1* एस. सी. सी. *206 1985* एस. सी. सी. *(*एल एंड एस*) 201],*

एस. सी. सी पी. *213* , पैरा *12)*

प्रावधान के अनुसार अंतर की स्थिति में

किसी भी मामले पर प्रशासक और मंत्रियों के बीच राय होने पर, प्रशासक इसे राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा। इस प्रकार प्रशासक की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति द्वारा कवर किए गए सभी विषयों तक फैली हुई है। लेकिन मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस मुद्दे पर फैसला करते हैं। जब राष्ट्रपति मुद्दे का फैसला करते हैं, तो यह केंद्र सरकार होती है जो मुद्दे का फैसला करती है।

न्यायालय ने देखा कि संविधान के भाग *VI* के प्रावधान जो राज्यों से संबंधित हैं, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश

प्रशासन राज्य सरकार नहीं है। अदालत ने कहा कि

कि संविधान एक ओर राज्य और उसकी सरकार *(*जिसे राज्य सरकार कहा जाता है*)* और दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश और उसके प्रशासन के बीच अंतर करता है। यह

न्यायालय ने कहा कि परिभाषा में अंतर किया गया था

सामान्य खंड अधिनियम में निहितः *(* एस. सी. सी पी. *214*, पैरा *14)*

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

" 14. ..... अब अगर हम तीन अभिव्यक्तियों की परिभाषा को याद करते हैं

" केंद्र सरकार *"[*धारा *3 (8)],"* राज्य सरकार *"[*धारा *3 (60)]* और*"* केंद्र शासित प्रदेश *"[*धारा *3 (62-*ए*)]*

सामान्य खंड अधिनियम, यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि
इन्हें अधिनियमित करने में संविधान और संसद के निर्माता

परिभाषाओं ने स्पष्ट रूप से राज्य के बीच अंतर को बरकरार रखा है।

केंद्र शासित प्रदेश की सरकार और प्रशासन, जैसा कि प्रदान किया गया है

संविधान द्वारा। यह विशेष रूप से "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि

किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, उसका प्रशासक

उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करना

संविधान का अनुच्छेद *239*, में समझा जाएगा

अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" जो प्रदान करती है कि आरम्भ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य का सम्मान करता है।

संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम, *1956* का अर्थ होगा, किसी राज्य में राज्यपाल और किसी केंद्र शासित प्रदेश में -

केंद्र सरकार, वैचारिक रूप से अंतर

अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" और के बीच

" केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन स्पष्ट रूप से उभरता है।

इसलिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति

" केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन ", प्रशासक चाहे जो भी हो

वर्णित किया गया है, में समझा नहीं जाएगा

अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" जैसा कि किसी भी अधिनियम में उपयोग किया जाता है।

उच्च न्यायालय का यह विचार कि जहां तक केंद्र शासित प्रदेश का संबंध है, धारा *3 (60)* के तहत प्रशासक राज्य सरकार है, त्रुटिपूर्ण माना गया। सत्य देव बुशहरी *[*सत्य देव बुशहरी बनाम। पदम देव, आकाशवाणी *1954* एस. सी.

587 : (1955) 1 एस. सी. आर. *549]* और विंध्य प्रदेश राज्य बनाम। मौला बक्स *[*विंध्य प्रदेश राज्य बनाम। मौला बक्स, *(1962) 2* एससीआर *794:* ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *145]* को प्रतिष्ठित किया गया क्योंकि वे थे

संविधान के भाग *VIII* के संशोधन से पहले प्रस्तुत किया गया *1956* में और अनुच्छेद *239*-ए और *239*-बी को शामिल करने से पहले। कानून में स्थिति इस प्रकार निर्धारित की गई थी: *(* गोवा नमूनाकरण मामला *[*गोवा नमूनाकरण कर्मचारी संघ। वी. भारत की सामान्य अधीक्षण कंपनी *(*पी*)* लिमिटेड, *(1985) 1* एस. सी. सी. *206: 1985* एस. सी. सी. *(*एल. एंड एस.*) 201]*, एस. सी. सी. पी. *217* , पैरा *17)*

"17. ..... संविधान और *1963* के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की अवधारणा प्रशासन के लिए विदेशी है।

वह अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य कर सकता है।
अतः प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। उनकी स्थिति किसी राज्य के राज्यपाल की स्थिति से बिल्कुल अलग होती है।

प्रशासक अपने मंत्री के साथ मतभेद कर सकता है और फिर उसे राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करने होंगे, जिसका अर्थ है केंद्र सरकार का आदेश। इसलिए, किसी भी दर पर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य सरकार के विवरण के लिए योग्य नहीं है। इसलिए, केंद्र सरकार है

"उपयुक्त सरकार "।

135. इसलिए हम श्री नाफड़े की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि धारा में 'राज्य सरकार' शब्द आता है। *2 (क)* सी. ओ. आई. अधिनियम का अर्थ होगा जी. एन. सी. टी. डी., एक केंद्र शासित प्रदेश।

136. श्री नाफड़े के इस तर्क से निपटना हमारा काम नहीं है कि

सूची *III* की प्रविष्टि *45* विधायी और कार्यकारी क्षमता प्रदान करती है

जी. एन. सी. टी. डी. और इसलिए जी. एन. सी. टी. डी. एक उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए जाँच आयोग की नियुक्ति करना। तत्काल मामले में, हम *11* अगस्त, *2015* की अधिसूचना से चिंतित हैं जो सी. ओ. आई. अधिनियम के तहत पारित की गई है। इसलिए हम इस पहलू पर उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं।

मुद्दा संख्या *4:* क्या विद्युत अधिनियम, *2003* की धारा *108* और दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम की धारा *12* के तहत,

137. इस मुद्दे पर जी. एन. सी. टी. डी. की ओर से वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने दलीलें दीं। सबसे पहले तो उन्होंने विद्युत अधिनियम की धारा *108* का उल्लेख किया गया है जो राज्य सरकार को राज्य विद्युत नियामक आयोग *(*एस. सी. आर. सी.*)* को निर्देश देने की शक्ति देता है। यह नीचे लिखा है:

"धारा *108*। *(* राज्य सरकार द्वारा निर्देश*):*

(1) अपने कार्यों के निर्वहन में, राज्य आयोग जनहित से जुड़े नीतिगत मामलों में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा जो राज्य सरकार उसे लिखित रूप में दे।

(2) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश संबंधित है लोक हित से संबंधित नीति के मामले में,

उस पर राज्य सरकार अंतिम होगी।

138. उन्होंने बताया कि इसी तरह की शक्तियां उन्हें प्रदान की जाती हैं

विद्युत अधिनियम की धारा *107* के तहत सरकार, अर्थात्,

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग *(*सी. ई. आर. सी.*)* को निर्देश। दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, *2000 (*डी. ई. आर. सी. अधिनियम*)*, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, में धारा *12* शामिल है जो विद्युत अधिनियम की धारा *108* के रूप में बिल्कुल उपयुक्त है। यह प्रावधान

निम्नानुसारः

" 12. सरकार की शक्तियाँ।

(1) आयोग अपने कार्यों के निर्वहन में -

नीति संबंधी मामलों में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित

जनहित जो सरकार समय-समय पर जारी कर सकती है

समय।

(2) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश है

लोक हित से संबंधित नीति के मामले से संबंधित,

उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(3) सरकार को नीतिगत निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

आपूर्ति के लिए अनुमति दी जाने वाली किसी भी सब्सिडी के संबंध में
किसी भी वर्ग के लिए बिजली या कोई अन्य बुनियादी सुविधाएं

या व्यक्तियों के वर्ग।

बशर्ते कि सरकार एक योगदान देगी

आयोग ऐसी राशियों, शर्तों का निर्धारण करेगा। और ऐसी
शर्तें जिन पर और उस समय के भीतर

राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना है।

(4) सरकार इस संबंध में आयोग से परामर्श करेगी।

निर्देश दें और सिफारिशों को ध्यान में रखें आयोग द्वारा
बनाया गया।

(जोर दिया गया*)*

139. कुछ परिभाषाएँ जिनका श्री सिब्बल द्वारा उल्लेख किया गया था

अधिनियम का भी उल्लेख किया जा सकता है। डी. ई. आर. अधिनियम, *2000 [2019] 3* एस. सी. आर. की धारा *2 (*डी*)* के तहत।

"सरकार का अर्थ है "संविधान के अनुच्छेद *239* एए में निर्दिष्ट उपराज्यपाल" और धारा *2 (*जी*)* के तहत "उपराज्यपाल" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल।

संविधान के अनुच्छेद *239* एए के साथ पठित अनुच्छेद *239* के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। धारा *2 (*सी*)* के तहत, "आयोग" का अर्थ है धारा *3* में निर्दिष्ट दिल्ली विद्युत नियामक आयोग।

140. उपरोक्त परिभाषाओं के संयुक्त पठन पर उनका निवेदन था कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद *239* एए में निर्दिष्ट एलजी के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान पीठ ने अनुच्छेद *239* एए की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना है, और केवल उन मामलों को छोड़कर जहां उपराज्यपाल को अपने विवेक से काम करना है, जो यहां नहीं था। इसके अलावा, डी. ई. आर. अधिनियम दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इसलिए संघ की कार्यकारी शक्ति भी नहीं होगी।

141. श्री सिब्बल ने नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम मामले में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख किया। उपाध्यक्ष, अरुणाचल

उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का क्षेत्र और इसलिए, उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए। *142.* उपरोक्त दलीलों पर श्री मनिंदर सिंह का जवाब था कि बिजली अधिनियम, *2003* एक संसदीय अधिनियम है जिसे अनुच्छेद *239* एए को शामिल करने के बाद पारित किया गया था। की धारा *108* के अधीन

विद्युत अधिनियम, *2003* के अनुसार, डी. ई. आर. सी. को कोई भी निर्देश जारी करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में ऐसी राज्य सरकार का अर्थ जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* के अनुसार केंद्र सरकार होगा। उन्होंने विद्युत अधिनियम, *2003* की धारा *83 (1) (*बी*)* का भी उल्लेख किया, जो यह स्पष्ट करती है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए,

केंद्र सरकार होगी जो उपयुक्त सरकार है। *143.* सी. ओ. आई. अधिनियम के संदर्भ में प्रश्न संख्या *3* का उत्तर देते हुए, हमने माना है कि 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति धारा में आती है।

1 2 (2016) 8 एससीसी *1* जीओवीटी।

*2 (*क*)* उक्त अधिनियम जो 'उपयुक्त सरकार' को परिभाषित करता है, में जी. एन. सी. टी. डी. शामिल नहीं होगा। व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि

सी. ओ. आई. अधिनियम की धारा *2 (ए)* के प्रावधान। हालाँकि, यहाँ हम बिजली अधिनियम, *2003* से चिंतित हैं जो 'उपयुक्त सरकार' को भी परिभाषित करता है। इसकी धारा *2 (5)* निम्नानुसार हैः

"5." उपयुक्त सरकार "का अर्थ है,

((क) केंद्र सरकार,

((i) पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनी के संबंध में

उसके द्वारा; *((ii)* किसी भी अंतर-राज्य उत्पादन, पारेषण, व्यापार या बिजली की आपूर्ति के संबंध में और किसी भी खान, तेल क्षेत्र, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे, तार, प्रसारण स्टेशन और रक्षा, डॉकयार्ड, परमाणु ऊर्जा के किसी भी कार्य के संबंध में।

स्थापनाएँ; *((ग)* राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के संबंध में और

क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र;

((iv) उससे संबंधित या उसके नियंत्रण में किसी भी कार्य या विद्युत स्थापना के संबंध में;

(ख) किसी अन्य मामले में, अधिकार क्षेत्र वाली राज्य सरकार

इस अधिनियम के तहत;

144. जैसा कि उपरोक्त खंड *(ख)* से देखा जा सकता है, उपयुक्त

सरकार उन सभी मामलों में इस अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र वाली राज्य सरकार है जो 'केंद्र सरकार' के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। विद्युत अधिनियम की धारा *2 (5)* में निहित यह परिभाषा सी. ओ. आई. अधिनियम की धारा *2 (ए)* में उपयुक्त सरकार की परिभाषा से भौतिक रूप से अलग है। एक अन्य महत्वपूर्ण और विशिष्ट पहलू

शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयोग *(*डी. ई. आर. सी.*)* की स्थापना की गई है। उक्त अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए कार्यों को करने के लिए। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है जो धारा *10* से स्पष्ट है।

डी. ई. आर अधिनियम। धारा *11* विभिन्न कार्यों को निर्धारित करती है जो डी. ई. आर. सी. को करने हैं जिनमें बिजली, थोक, थोक, ग्रिड या खुदरा के लिए शुल्क का निर्धारण शामिल है, जैसा भी मामला हो*;* और *[2019] 3* एस. सी. आर. का निर्धारण करना।

पारेषण सुविधा आदि के उपयोग के लिए देय शुल्क। संक्षेप में, ऐसी शक्तियाँ लगभग वही शक्तियाँ हैं जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग *(*सी. ई. आर. सी.*)* को दी गई हैं। इस प्रकार, जहां तक एन. सी. टी. डी. का संबंध है,

इसका अपना आयोग है, जिसका नाम डी. ई. आर. सी. है। डी. ई. आर. अधिनियम इसके भाग *IV* में सरकार की शक्तियों को भी निर्धारित करता है। सरकार की सामान्य शक्तियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक हित से जुड़ी नीति के मामलों में डी. ई. आर. सी. को निर्देश देना शामिल है, जो सरकार समय-समय पर जारी कर सकती है। ये शक्तियाँ विद्युत अधिनियम, *2003* की धारा *108* के तहत दी गई शक्तियों के समान हैं। डी. ई. आर. अधिनियम की धारा *2 (*डी*)* में सरकार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 2 (घ*)* "सरकार" से संविधान के अनुच्छेद *239* एए में निर्दिष्ट उपराज्यपाल अभिप्रेत है*;*

145. संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में उपरोक्त परिभाषा को पढ़ने का स्पष्ट अर्थ होगा कि उपराज्यपाल को यहां मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा, क्योंकि ऐसे कार्य उनकी विवेकाधीन शक्तियों के भीतर नहीं आते हैं।

146. उपरोक्त से निम्नलिखित बात यह है कि जहां तक डी. ई. आर. अधिनियम का संबंध है, यह विधान सभा द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है।

एनसीटीडी। यह एन. सी. टी. डी. के भीतर काम करता है। यहाँ सरकार का अर्थ है जी. एन. सी. टी. डी. अर्थात एल. जी. जिसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना है। इस अधिनियम के तहत दिल्ली सरकार के पास इसे जारी करने की शक्ति है

जनहित से जुड़ी नीतियों के मामलों में डी. ई. आर. सी. को निर्देश। जब ऐसी शक्तियाँ विशेष रूप से दिल्ली सरकार को प्रदान की जाती हैं

डी. ई. आर. अधिनियम के तहत, यह नहीं कहा जा सकता है कि जहां तक विद्युत अधिनियम, *2003* की धारा *108* का संबंध है, उसमें 'राज्य सरकार' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार होगा। यदि ऐसी व्याख्या दी जाती है, तो स्पष्ट रूप से बिजली अधिनियम*/*डी. ई. आर. अधिनियम के काम करने के संबंध में एन. सी. टी. डी. में अधिकार क्षेत्र का टकराव होगा। परिणामस्वरूप, और संविधान पीठ द्वारा निर्धारित आदेश के अनुसार, हम इस पहलू पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हैं और मानते हैं कि अधिसूचना सं. एफ. *11 (58/2010/*पावर*/1856)* दिनांक *12* जून, *2015*। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने उक्त अधिसूचना के गुण-दोष को इस रूप में नहीं छुआ है कि

यह हमारे सामने मुद्दा नहीं है। मुद्दा संख्या *5:* क्या जी. एन. सी. टी. डी. के राजस्व विभाग के पास कृषि भूमि की न्यूनतम दरों को संशोधित करने का अधिकार था

(सर्कल दरें*)* भारतीय स्टाम्प अधिनियम, *1899* के प्रावधानों के तहत*?*

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

147. जी. एन. सी. टी. डी. ने *4* अगस्त को अधिसूचना जारी की थी।

कृषि भूमि *(*चक्र दर*)* की दरों में संशोधन

भारतीय डाक टिकट अधिनियम, *1899* और दिल्ली डाक टिकट *(*डाक टिकट की रोकथाम*)*

आर-उपकरणों का मूल्यांकन*)* नियम, *2007*। इसे जारी करने से पहले

मामला एल. जी. के समक्ष उनके विचारों के लिए नहीं रखा गया था या

यूरेनियम। यह अधिसूचना इस प्रकार हैः

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार

दिल्ली, राजस्व विभाग, *S.SHAM NATH MARG,* दिल्ली।

*No.F.1 (1953)/*रेगन। *Br./Div.Com/HQ/2014/191*

तिथि *4* अगस्त, *2015*

*No.F.1 (1953)/*रेगन। *Br./Div.Com/HQ/2014*

धारा की उप-धारा *(3)* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

27 भारतीय डाक टिकट अधिनियम, *1899 (1899* का *2)* और दिल्ली का नियम *4*

डाक टिकट *(*उपकरणों के कम मूल्यांकन की रोकथाम*)* नियम,

अधिसूचना *No.S.O.1726 (No.F.215/61-*न्यायिक। *- II)* दिनांक *22* वीं जुलाई, *1961* और इस विभाग की अधिसूचना के स्थान पर

*No.F.1 (177)/*रेगन। *Br./Div.Com./07/254-279* दिनांकित *14.03.2008;*

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा के उद्देश्यों के लिए न्यूनतम दरों को संशोधित और अधिसूचित करता है

बिक्री/बिक्री से संबंधित उपकरणों पर मुद्रांक शुल्क की प्रभार्यता

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि का हस्तांतरण,

नीचे दिए गए विवरण के अनुसारः

एसआरएल

जिला

के लिए दरें

दरें

कृषि भूमि

कृषि

नहीं।

भूमि *(*रु। प्रति।

गाँवों में गिरना

भूमि कहाँ एकड़)	पूलिंग नीति है लागू होता है	(रु. प्रति एकड़)
1. पूरब	1.00 करोड़	2.25 करोड़
2. पूर्वोत्तर	1.00 करोड़	2.25 करोड़
3. शाहदरा उत्तर		
4.	1.25 करोड़	

उत्तर पश्चिम

1.25 करोड़

5.

3.00 करोड़

6.

1.25 करोड़

पश्चिम

3.00 करोड़

3.50 करोड़

7.

दक्षिण पश्चिम

1.50 करोड़

1.50 करोड़

3.50 करोड़

8.

दक्षिण

1.50 करोड़

3.50 करोड़

9.

दक्षिण पूर्व

10.

नई दिल्ली

1.50 करोड़

3.50 करोड़

केंद्रीय

3.00 करोड़

11.

1.25 करोड़

ये संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

आदेश द्वारा और राष्ट्रीय के उपराज्यपाल के नाम पर

राजधानी क्षेत्र दिल्ली,

एसडी/- *(*संजय कुमार*)* आई. ए. एस.

स्प्ल. महानिरीक्षक *(*पंजीकरण*)* "

148. इस अधिसूचना की वैधता को दो मामलों में चुनौती दी गई थी,

अर्थात्:

(a) जैसा कि अधिसूचना एल. जी. के नाम से जारी की जाती है, पहले

एल. जी. की सहमति इस तरह के एक जारी करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता थी

अधिसूचना।

अनन्य शक्ति क्योंकि यह विशेष रूप से बहिष्कृत है
जीएनसीटीडी के दायरे से।

149. अपीलार्थी/जी. एन. सी. टी. डी. का तर्क है कि वृत्त का निर्धारण

दर सूची *II* की प्रविष्टि *18* यानी 'भूमि' से संबंधित नहीं है। यह निवेदन है कि स्टाम्प शुल्क के शीर्षक के संबंध में एक उपकरण पर लगाया जाता है भूमि और न कि स्वयं भूमि। इसलिए, एक उपकरण पर एक स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा और कृषि भूमि के उक्त हस्तांतरण का प्रमाण देने वाले दस्तावेज़ को प्रभावित करेगा, लेकिन स्वयं भूमि पर नहीं। स्टाम्प शुल्क लगाने का अवसर दस्तावेज़/परिवहन का निष्पादन है, जैसा कि अचल संपत्ति से अलग है, जो दस्तावेज़/परिवहन में किए गए लेन-देन का अंतर्निहित विषय है। इस प्रकार,

4 अगस्त, *2015* का आदेश, जो सूची *II* की प्रविष्टि *18* के बजाय सूची *II* की प्रविष्टि *63* से पता लगाया जा सकता है। सूची *II* की प्रविष्टि *63* निम्नानुसार है:

'इनके अलावा अन्य दस्तावेजों के संबंध में मुद्रांक शुल्क की दरें

की दरों के संबंध में सूची *I* के प्रावधानों में निर्दिष्ट
स्टाम्प शुल्क '। जीओवीटी।

150. अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि प्रविष्टि *63* सूची *II* में 'सूची *I* के प्रावधानों में निर्दिष्ट लोगों के अलावा' वाक्यांश नहीं है। भारत संघ को सहायता। सूची *II* की प्रविष्टि *63* और सूची *I* की प्रविष्टि *91 (*जो

सूची *I* का संबंधित प्रावधान है*)* के विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं की मुद्रांक शुल्क लगाने/लगाने की शक्तियों के बीच अंतर देखा जा सकता है। सूची *I* की प्रविष्टि *91* निम्नानुसार हैः

'91 . विनिमय के बिल, चेक, वचन पत्र, लेडिंग के बिल, क्रेडिट के पत्र, बीमा पॉलिसियों, शेयरों के हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रॉक्सी और प्राप्तियों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरें।

151. संघ को सूची *I* की प्रविष्टि *91* के तहत निर्दिष्ट विशिष्ट प्रकार के उपकरणों पर ही स्टाम्प शुल्क लगाने का अधिकार है।

राज्य को सूची *I* की प्रविष्टि *91* के तहत उल्लिखित किसी भी अन्य प्रकार के दस्तावेज़/उपकरण पर स्टाम्प शुल्क लगाने की शक्ति दी गई है।

153. यह भी बताया गया कि यह भारतीय डाक टिकट *(*दिल्ली संशोधन*)* अधिनियम, *2001* था जिसे विधानसभा ने पारित किया था भारतीय डाक टिकट *(*दिल्ली संशोधन*)* अधिनियम, *2007* को *18* सितंबर, *2007* को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और *5* नवंबर, *2007* को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी, जो वास्तव में पहली बार दिल्ली में परिवहन विलेखों पर देय डाक टिकट शुल्क से संबंधित था। यह देखते हुए कि इनमें से किसी भी अधिनियम को चुनौती नहीं दी गई है और वास्तव में संघ ने इन अधिनियमों को अपनी सहमति दी है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि *[2019] 3* एस. सी. आर.

संघ द्वारा अब इस तरह के स्टाम्प शुल्क एकत्र करने और इस तरह के संग्रह के संबंध में सर्कल दरें तय करने की जी. एन. सी. टी. डी. की शक्ति पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं है।

154. अपीलार्थी ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान की धारा *27 (3)*

स्टाम्प एक्ट, जैसा कि दिल्ली में संशोधित किया गया है, वह भी केंद्र/राष्ट्रपति की स्पष्ट सहमति से दिल्ली सरकार को स्टाम्प शुल्क यानी सर्कल दर की गणना के उद्देश्य से भूमि के लिए न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने की शक्ति देता है। दिल्ली के लिए संशोधित धारा *27 (3)* निम्नानुसार हैः

" 27. कर्तव्य को प्रभावित करने वाले तथ्यों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना है

(3) भूमि से संबंधित उपकरणों के मामले में, प्रभार्य
मूल्य शुल्क के साथ, सरकार न्यूनतम दरों को अधिसूचित कर सकती है

भूमि के मूल्यांकन के लिए "।

[जोर दिया गया*]*

यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा *27 (3)* के तहत 'सरकार' होनी चाहिए

"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार" के अर्थ में पढ़ा जाता है।

155. जवाब में, उत्तरदाताओं का कहना है कि धारा *27 (3)*

संघ का क्षेत्र। यह भी तर्क दिया जाता है कि गुजरात और अन्य राज्यों में निर्धारित कानून के अनुसार। वी. अखिल गुजरात प्रवासी वी. एस. महामंडल और *Ors.*[1]*3*, सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि को इसकी व्यापक संभव व्याख्या दी जानी है। उत्तरदाताओं के अनुसार, सूची *II* की प्रविष्टि *63* केवल संबंधित है 'स्टाम्प शुल्क की दरों' के साथ और इसलिए, 'भूमि के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरों' पर लागू नहीं होगा जो सूची *II* की प्रविष्टि *18* से संबंधित है। यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद *239* के तहत *22* जुलाई, *1961* और *07* सितंबर, *1966* के राष्ट्रपति के आदेशों के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए भारतीय डाक टिकट अधिनियम, *1899* के तहत संघ की शक्ति उपराज्यपाल को सौंप दी गई थी। दिल्ली में सर्कल दरों को अधिसूचित करने के लिए पिछली सभी अधिसूचनाएं *(18* जुलाई, *2007,14* मार्च, *2008,15* नवंबर, *2011* आदि*)* उपराज्यपाल द्वारा अनुच्छेद *239* के तहत अपनी प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई थीं।

156. संबंधित प्रस्तुतियों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि

पूरा विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि क्या विवादित अधिसूचना सूची *II* की प्रविष्टि *18* यानी 'भूमि' से संबंधित है या

1 3 (2004) 5 एस. सी. सी *155* जी. ओ. वी. टी.

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

विषय वस्तु सूची *II* की प्रविष्टि *63* के दायरे में आती है। सूची *II* की प्रविष्टि *18* निम्नानुसार है:

"18. भूमि, अर्थात, भूमि में या उस पर अधिकार, भूमि का कार्यकाल जिसमें मकान मालिक और किरायेदार का संबंध शामिल है, और किराए का संग्रह;

कृषि भूमि का हस्तांतरण और अलगाव; भूमि में सुधार और

कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण।

हम प्रविष्टि *63* सूची *II* की भाषा पर भी ध्यान दे सकते हैं:

"63. स्टाम्प की दरों के संबंध में सूची *I* के प्रावधानों में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरें

कर्तव्य "।

157. जहाँ तक सूची *I* की प्रविष्टि *91* का संबंध है, उसका विषय केंद्र/संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। यह 'विनिमय की वसीयतों, चेकों, वचन पत्रों, लेडिंग बिलों, क्रेडिट पत्रों, बीमा पॉलिसियों, शेयरों, डिबेंचरों, प्रॉक्सी और प्राप्तियों के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरों' से संबंधित है। यह इस प्रकार है कि जहां तक सूची *I* की प्रविष्टि *91* में उल्लिखित उपकरणों का संबंध है, ऐसे दस्तावेजों के स्टाम्प शुल्क की दरें संघ के अनन्य क्षेत्र के भीतर हैं। अन्य साधनों के संबंध में, यह राज्य है जिसके पास स्टाम्प शुल्क की दरों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र है।

158. यह ध्यान देने योग्य होगा कि उच्च न्यायालय विवादित फैसले में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिसूचना दिनांकित है।

4 अगस्त, *2015* को कृषि भूमि की दरों *(*सर्कल दरों*)* में संशोधन का पता सूची *II* की प्रविष्टि *63* से लगाया जा सकता है, न कि सूची *II* की प्रविष्टि *18* से। हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं। उक्त अधिसूचना के तहत जारी किया जाता है भारतीय डाक टिकट अधिनियम और दिल्ली डाक टिकट *(*उपकरणों के कम मूल्यांकन की रोकथाम*)* नियम, *2007* के प्रावधान। मुद्रांक शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से वृत्त दरें तय की जाती हैं। इसलिए, वे संबंधित नहीं हैं

दस्तावेज़ जो दस्तावेज़ में सन्निहित लेन-देन से अलग निष्पादित किया जाता है। *159.* जी. एन. सी. टी. डी. की उपरोक्त याचिका को स्वीकार करने के बाद भी उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि

मंत्रिपरिषद का निर्णय विचार मांगे बिना था*/[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एल. जी. का यूरेन्स। उच्च न्यायालय के अनुसार, ऐसा आदेश नहीं हो सकता था

जब तक कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को सूचित नहीं किया जाता है

एलजी।

160. संविधान पीठ के फैसले से यह स्पष्ट है कि

मंत्रियों के औंसिल को ऐसा निर्णय लेने का अधिकार है। चर्चा.

उच्च न्यायालय का विस्तार अनुच्छेद *107,108,116* में व्यक्त किया गया है और इसका निर्णय पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। ये पैरास इस रूप में पढ़े जाते हैं

: :

" 107. उपरोक्त ध्यान दिए गए प्रावधानों के आलोक में, हमारे पास नहीं है

संदेह का तरीका यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय

मंत्रिपरिषद को उपराज्यपाल को सूचित किया जाएगा।

उनके विचारों के लिए। परिषद के निर्णय के संदर्भ में आदेश

मंत्रियों को केवल तभी जारी किया जा सकता है जब केंद्र का कोई संदर्भ न हो।

अध्याय *5* में दिए गए प्रावधान के अनुसार सरकार की आवश्यकता है।

व्यापार नियमों का लेन-देन।

108. उपराज्यपाल द्वारा केंद्र को निर्देश देना

लेन-देन के अध्याय *V* के तहत प्रदान की गई सरकार व्यावसायिक नियम तभी संभव हैं जब निर्णय की जानकारी दी जाए।

उपराज्यपाल को। इसलिए, इसमें कोई पदार्थ नहीं है

तर्क है कि एक आदेश के निर्णय के अनुसार पारित किया जा सकता है

मंत्रिपरिषद को इस तरह के निर्णय को सूचित किए बिना

उपराज्यपाल के किसी भी संबंध में उनके विचारों/सहमति के लिए

सूची-*II* या सूची-*III* में गिने गए मामले, इन तीनों को छोड़कर

सूची-*II* की प्रविष्टियाँ *1,2* और *18* में आरक्षित मामले। जोर देने वाली बात

उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा रखे जाने की मांग की गई

व्यापार लेन-देन नियमों के नियम *23* पर जी. एन. सी. टी. डी. के लिए

इस तर्क की पुष्टि करें कि वे प्रस्ताव जो हैं

केवल नियम *23* में उल्लिखित उप-राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

राज्यपाल गलत स्थान पर हैं। नियम में प्रयुक्त "अनिवार्य रूप से" शब्द

23 प्रस्तावों द्वारा निर्दिष्ट विधायी इरादे को स्पष्ट करता है

((i) से *(viii)* इसमें संपूर्ण नहीं हैं। कोई भी व्याख्या विरोधाभासी

लेन-देन के व्यापार नियमों को अधिकार के बाहर का खंड बना देगा

(4) संविधान का अनुच्छेद *239* एए।

XX

XX

XX

116. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है

कि यह संवैधानिक योजना के तहत अनिवार्य है

मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करें।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

राज्यपाल उन मामलों के संबंध में भी जिनके संबंध में विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है

राज्यपाल एक अलग दृष्टिकोण नहीं लेते हैं। *117.* इसलिए, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की ओर से यह तर्क कि उपराज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, असमर्थनीय है और यह नहीं कहा जा सकता है

स्वीकार कर लिया।

161. इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि वे मामले जो विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैंई एल. जी., एल. जी. एस. टी. आर. एस. परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, बहुमत की राय यह भी है कि एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति सूची *II (1,2* और *18* को छोड़कर*)* के साथ-साथ सूची *III (*जिसमें इसका केंद्र सरकार के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र है*)* में निहित सभी विषय मामलों तक फैली हुई है। यही व्याख्या अनुच्छेद *239* एए के उपयोग *(4)* में दी गई है। उसी समय, इस खंड में एक है

तो साथ ही जो नीचे पढ़ा गया हैः

"बशर्ते कि दोनों के बीच मतभेद की स्थिति में

उपराज्यपाल और उनके मंत्री किसी भी मामले पर, उपराज्यपाल इसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे।

राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिया गया और ऐसा निर्णय लंबित रहने तक यह उपराज्यपाल के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां मामला, उनकी राय में, इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या ऐसा निर्देश देना आवश्यक है।

मामले में जैसा कि वह आवश्यक समझता है।

162. इस परंतुक की व्याख्या करते हुए, इसे निम्नानुसार माना जाता हैः

"*215.* अब, विवाद के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद *239*-ए. ए. के खंड *(4)* का विश्लेषण करना आवश्यक है। हाथ में। खंड *(4)* वेस्टमिंस्टर शैली की कैबिनेट प्रणाली निर्धारित करता है।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सरकार की, जहां उन मामलों के संबंध में, जिनके संबंध में दिल्ली विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति है, उपराज्यपाल को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन मामलों के जिनके संबंध में उपराज्यपाल से अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

216. अनुच्छेद *239*-एए के खंड *(4)* के परंतुक में कहा गया है कि

[2019] 3 एस. सी. आर. के बीच किसी भी मामले पर मतभेद होने की स्थिति में।

उपराज्यपाल और उनके मंत्री, उपराज्यपाल इसे एक बाध्यकारी निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। इसके अलावा, लंबित है

राष्ट्रपति द्वारा ऐसा निर्णय, किसी भी मामले में जहां मामला, उपराज्यपाल की राय में, इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, परंतुक उसे ऐसी कार्रवाई करने और ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सक्षम बनाता है जैसे कि वह

आवश्यक समझते हैं।

217. अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(3) (ए)* और अनुच्छेद *239* ए. ए. *(4)* के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है।

दिल्ली विधानसभा जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद *239* एए *(3)* में की गई है और जो राज्य सूची में तीन विषयों और समवर्ती सूची में सभी विषयों को छोड़कर सभी पर फैली हुई है और इस प्रकार, अनुच्छेद *239* एए *(4)* मंत्रिपरिषद को उन सभी विषयों पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्ति है।

218. अनुच्छेद *239*-एए *(3) (ए)* संसद की विधायी शक्ति को सुरक्षित रखता है।

राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर, लेकिन खंड *(4)* ऐसे मामलों के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्तियों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रखता है। इसके विपरीत, खंड *(4)* स्पष्ट रूप से अनुदान देता है -

दिल्ली सरकार के पास उन मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां हैं जिनके लिए विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है। विधायी शक्ति विधानसभा को अधिनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है, जबकि

विधान की नीति को कार्यपालिका द्वारा प्रभावी बनाया जाना चाहिए जिसके लिए दिल्ली सरकार को व्यापक रूप से प्रयास करना होगा।

कार्यकारी शक्तियाँ। इस तरह का दृष्टिकोण इसके अनुरूप है

राम जवाया कपूर में अवलोकन *[*राम जवाया कपूर बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. *1955* एस. सी. *549]* जिस पर फैसले के पहले भाग में विस्तार से चर्चा की गई है।

XX

XX

XX

232. पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *239*-ए. ए. *(4)* के परंतुक में आने वाले "कोई भी मामला" शब्दों का अर्थ "हर मामला" होना आवश्यक नहीं है। के रूप में

ऊपर उल्लिखित अधिकारियों में उल्लिखित, किसी कानून या संवैधानिक प्रावधान में आने वाले "कोई भी" शब्द को यंत्रवत रूप से "प्रत्येक" के अर्थ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए और उस संदर्भ में जिसमें उपयोग किए गए शब्द को उचित महत्व दिया जाना चाहिए ताकि उस वास्तविक इरादे और उद्देश्य का पता लगाया जा सके जिसमें शब्द का उपयोग किया गया है।

233. यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि हालांकि "कोई" नहीं हो सकता है।

इसका अर्थ है "प्रत्येक", फिर भी इसे कैसे समझा जाना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से बताते हैं। अनुच्छेद *239-ए. ए. (4)* के प्रावधान के तहत उपराज्यपाल को दी गई शक्ति में अपवाद का नियम शामिल है और इसे सामान्य मानदंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उपराज्यपाल को राज्यपाल और राष्ट्रपति के विपरीत, जो अपने मंत्रियों की सहायता और सलाह से बंधे होते हैं, उन पर निर्धारित विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए उन पर रखे गए उच्च स्तर के संवैधानिक विश्वास को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक निष्पक्षता के साथ कार्य करना होता है। उपराज्यपाल को अपने मंत्रियों के हर निर्णय को यांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा से निर्देशित होना होगा। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हितों और संवैधानिकता के सिद्धांत की रक्षा के लिए उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति को भेजने के लिए कुछ वैध आधार होने चाहिए। *1991* के अधिनियम और कार्य नियमों के अनुसार, उन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय से अवगत कराना होता है। वह निर्णय नहीं बदल सकता। इसके अलावा,

सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। उसे अलग होने का अधिकार है। लेकिन यह अंतर के लिए अंतर नहीं हो सकता है। यह यांत्रिक या नियमित नहीं हो सकता है। यह शक्ति मार्गदर्शन करने, चर्चा करने और यह देखने के लिए प्रदान की गई है कि प्रशासन लोगों के कल्याण के लिए चलता है और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी विशेष दर्जा दिया गया है। इसलिए, "कोई भी" शब्द को संवैधानिक प्राधिकरण के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में माना जाना चाहिए। उन्हें संवैधानिक निष्पक्षता, आवश्यक सलाह और वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

234. हम कहते हैं कि अनुच्छेद *239-ए. ए. (4)* के प्रावधान की व्याख्या बिना किसी विरोधाभास के डर के उन शब्दों के सख्त अर्थों में नहीं की जा सकती है जो उन्हें केवल अक्षरों के रूप में मानते हैं, बिना उस विचार और भावना पर ध्यान दिए जो वे व्यक्त करना चाहते हैं। उन्हें नसों और न्यूरॉन्स के बिना हड्डियों और मांस के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो नसों को कार्यात्मक बनाते हैं। हम महसूस करते हैं कि इस संदर्भ में लोकतांत्रिक राजनीति के शासन में नागरिकों की भागीदारी की भावना से प्रावधान के शब्दों को पढ़ना आवश्यक है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि जब हम ऐसा कहते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि एक *[2019] 3* एस. सी. आर. के निर्माण के लिए न्यायिक रचनात्मकता के भारी प्रवेश की अनुमति है।

संविधान की कार्यात्मकता के लिए। और हम इसे संवैधानिक व्यावहारिकता कहते हैं। *235.* सत्ता में बैठे अधिकारियों को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि वे संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उनके पास

बारीकियों पर आपसी सम्मान के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी अधिकारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका अपमान किया गया है। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे संवैधानिक मानदंडों, मूल्यों और अवधारणाओं की सेवा कर रहे हैं। *236.* व्याख्या विवेक की उपेक्षा नहीं कर सकती है

संविधान। इसके अलावा, जब हम एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हैं, तो हम इस तरह की व्याख्या के परिणाम के लिए भी जीवित होते हैं। यदि "मतभेदों के मामले में" और "किसी भी मामले पर" अभिव्यक्तियों का अर्थ यह है कि उपराज्यपाल किसी भी प्रस्ताव पर भिन्न हो सकते हैं, तो लोगों की अपेक्षा जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी वैधता रखती है, हालांकि राज्यों से अलग है।

संविधान के तहत समझा गया, सरलता में अपना उद्देश्य खो देगा

शब्दार्थ। व्याकरण में सार और उद्देश्य को खोया नहीं जाना चाहिए जैसे ज्यामिति के दर्शन को खोने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चित्रकारी के तरीकों में सार्वभौमिक तत्वमीमांसा। और इसलिए, हमने कई अवधारणाओं पर विचार-विमर्श किया। इस प्रकार, कार्य नियमों के अनुसार, प्रशासक को मंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय से अवगत कराया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपराज्यपाल को हर मामले में एक मुद्दा उठाना चाहिए। मतभेद को संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के मानकों, सहयोगी संघवाद और संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत, संवैधानिक शासन और निष्पक्षता की अवधारणा और पोषित और संवर्धित विचार को पूरा करना चाहिए।

एक प्रतिनिधि सरकार के लिए सम्मान। का अंतर राय कभी भी "मतभेद के अधिकार" की धारणा पर आधारित नहीं होनी चाहिए और इसी तरह "किसी भी मामले पर" शब्द को इस तरह के मंच पर नहीं रखा जाना चाहिए कि यह कल्पना की जा सके कि कोई अलग हो सकता है, यह एक जीओवीटी होना चाहिए।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[ए. के. सिकरी, जे.]*

प्रदर्शित किया जा सकता है और इसमें ठोस कारण होना चाहिए। एक अवरोधक की घटना की व्याख्या नहीं होनी चाहिए लेकिन
सकारात्मक निर्माणवाद और एक दूरदर्शी के दर्शन का प्रतिबिंब। संवैधानिक संशोधन निरंतर टकराव और अंतर की स्थिति को नहीं समझता है जो धीरे-धीरे संघर्ष की संरचना का निर्माण करता है। साथ ही, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को इस संवैधानिक स्थिति को स्वीकार करते हुए मूल्यों और विवेक से निर्देशित होना चाहिए कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक राज्य नहीं है।

इस पहलू पर एक सहमत राय में, जे. चंद्रचूड़ ने भी स्पष्ट टिप्पणी की है।

163. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब दिल्ली सरकार की कार्यकारी शाखा कोई निर्णय लेती है, तब भी उपराज्यपाल को अधिकार प्राप्त होते हैं 'किसी भी मामले' पर अपनी राय बनाना जो उसके मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय से अलग हो। किसी भी मामले का मतलब प्रत्येक और 'प्रत्येक मामला' या 'प्रत्येक तुच्छ मामला' नहीं है, बल्कि केवल वे दुर्लभ और असाधारण मामले हैं जहां अंतर केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए इतना मौलिक है कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति। इसलिए, उपराज्यपाल के मंत्री परिषद के फैसले से नियमित रूप से भिन्न होने की उम्मीद नहीं है। अंतर ठोस और मजबूत कारणों पर होना चाहिए। हालाँकि, यह सीमा एल. जी. के अभ्यास से संबंधित है

शक्ति। साथ ही, परंतुक यह मानता है कि ऐसी आकस्मिकताएँ हो सकती हैं जहाँ उपराज्यपाल और उनके मंत्री भिन्न हो सकते हैं। ऐसे में परिस्थितियों में, उपराज्यपाल को मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है कि उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद के मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। इस तरह

की योजना स्पष्ट रूप से इस बात पर विचार करती है कि मंत्रिपरिषद को अपने निर्णयों से उपराज्यपाल को अवगत कराना चाहिए ताकि उपराज्यपाल उस पर अपना विचार बना सकें। इस निर्णय को पहली बार में एलजी को भेजे बिना लागू नहीं किया जा सकता है। अधिक विशेष रूप से, यहाँ निर्णय केंद्र शासित प्रदेश के शासन को छूता है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि *4* अगस्त, *2015* का परिपत्र जारी करने से पहले उपराज्यपाल के विचार लिए जाने चाहिए थे।

हालांकि, हम यह जोड़ना चाहेंगे कि आम तौर पर, और आम तौर पर, उपराज्यपाल से मंत्रिपरिषद के विवेक का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है। वह है।

यह भी उम्मीद की जाती है कि फाइलों को जल्द से जल्द साफ़ कर दिया जाएगा और इसके ऊपर अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाएगा। उनका कर्तव्य है कि वे जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा लिए गए निर्णयों की विषय वस्तु की शीघ्रता और तात्कालिकता को ध्यान में रखें, जहां भी स्थिति की मांग हो। वास्तव में यह सुशासन का पहलू है।

इसी तरह, कार्यपालिका से भी संवैधानिक योजना में उपराज्यपाल को सौंपी गई भूमिका की अनूठी प्रकृति को उचित सम्मान देने की उम्मीद की जाती है। मोटे तौर पर, यह दोनों अंगों के बीच आपसी सम्मान की मांग करता है।

दोनों को यह महसूस करना चाहिए कि वे यहां एन. सी. टी. डी. के लोगों की सेवा करने के लिए हैं। इस प्रकार, प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए आपसी सहयोग आवश्यक हो जाता है।

मुद्दा संख्या *6:* चाहे वह उपराज्यपाल हो या जी. एन. सी. टी. डी. जिसके पास विशेष जनता की नियुक्ति करने की शक्ति है।

Cr.PC की धारा *24* के तहत अभियोजक।

164. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति *Cr.P.C* की धारा *24 (8)* के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

" 24. लोक अभियोजक। *.....*

(8) केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के प्रयोजनों के लिए, एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो कम से कम दस वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

विशेष लोक अभियोजक के रूप में वर्षों तक "।

सरकार। इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या 'राज्य सरकार' शब्द में जी. एन. सी. टी. डी. शामिल होगी। अपीलार्थी के अनुसार, एक बार जब दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार " राज्य सरकार *"Cr.P.C* के तहत, अनिवार्य रूप से नियुक्त करने की शक्ति

विशेष लोक अभियोजक दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के साथ भी काम करेगा। यदि भारत संघ के तर्क को स्वीकार किया जाना है तो *Cr.P.C* के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अकेले केंद्र सरकार

होगी, जो एक पूरी तरह से बेतुकी कानूनी स्थिति होगी, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि *69* वें संशोधन के बाद, *Cr.P.C* के तहत राज्य सरकार की विभिन्न शक्तियों का प्रयोग, लोक अभियोजकों की नियुक्ति सहित, द्वारा किया गया है।

दिल्ली के एन. सी. टी. की निर्वाचित सरकार। इस मुद्दे पर विवादित फैसले का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने माना है कि जी. ओ. वी. टी.

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *3 (60)* की परिभाषा "राज्य सरकार" शब्द की व्याख्या के लिए लागू होगी और इस प्रकार यह केंद्रीय सरकार होगी।

सरकार, जो राज्य सरकार होगी। यह तर्क दिया जाता है कि यह दृष्टिकोण गलत है क्योंकि लोक अभियोजक की नियुक्ति का मुद्दा आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है, यानी सूची *II* की प्रविष्टि *2*, जिस पर दिल्ली विधानसभा और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए।

दिल्ली। यह तर्क दिया जाता है कि तर्क का यह जटिल तरीका आवश्यक नहीं था और पूरे मुद्दे को हल किया जा सकता था यदि सरकार दिल्ली के एन. सी. टी. को जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* की परिभाषा के बजाय *Cr.P.C* में राज्य सरकार की व्याख्या करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *3 (58)* में राज्य की परिभाषा के अनुप्रयोग द्वारा दिल्ली के एन. सी. टी. की एक राज्य सरकार माना गया था, जो स्पष्ट रूप से प्रतिकूल है।

Cr.P.C के विषय और संदर्भ के लिए।

166. हम इस स्तर पर उल्लेख कर सकते हैं कि विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी।

न्यायाधीश दिनांक *7* सितंबर, *2015* और उपराज्यपाल दिनांक *4* सितंबर, *2015* के आदेश में अधिवक्ता श्री एस. के. गुप्ता को *17* दिसंबर, *2012* की प्राथमिकी संख्या *21* में अभियोजन चलाने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। जी. एन. सी. टी. डी. ने एक अन्य वकील को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि *Cr.P.C* की धारा *24 (8)* के तहत, राज्य सरकार को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार है।

हालाँकि, चूंकि एन. सी. टी. डी. एक केंद्र शासित प्रदेश है, जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* के आधार पर, यह केंद्र सरकार है जो राज्य सरकार होनी चाहिए। इसके अलावा, *20* मार्च, *1974* की अधिसूचना के अनुसार, प्रशासक को शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है और 'राज्य सरकार' शब्द का अर्थ उपराज्यपाल होगा। साथ ही, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति संबंधित है -

सूची *III* की प्रविष्टियाँ *1* और *2* जिनके संबंध में जी. एन. सी. टी. डी. को विधायी क्षमता प्राप्त है। इसलिए, उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करना चाहिए। *167.* जैसा कि ऊपर उल्लिखित जी. एन. सी. टी. डी. की दलीलों से स्पष्ट है, यह उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के उस हिस्से से व्यथित है जिसके तहत

जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (60)* के आधार पर एन. सी. टी. डी. के संबंध में राज्य सरकार को केंद्र सरकार माना जाता है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के उस हिस्से से व्यथित है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उपराज्यपाल को विशेष जनता की नियुक्ति करनी चाहिए मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर अभियोजक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

168. भारत संघ की ओर से तर्क यह है कि *20* मार्च, *1974* की अधिसूचना के आधार पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद *239* के तहत

प्रशासक को धारा *8* और *477* द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर राज्य सरकार को *Cr.P.C* द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। इसलिए, धारा *24* के तहत अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति उपराज्यपाल के पास निहित है न कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के पास। जहाँ तक प्रविष्टि *1* और *2*, सूची *3* का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि निस्संदेह एन. सी. टी. की विधान सभा के पास प्रविष्टियों के लिए विधायी क्षमता है, लेकिन यह संघ की विधायी शक्ति के अधीन है। यह तर्क दिया जाता है कि एन. सी. टी. दिल्ली की विधायी क्षमता संसद के कानून का अपमान या प्रतिकूल नहीं हो सकती है। और एक बार *Cr.P.C, 1973* संसद द्वारा संपूर्ण और व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

आपराधिक प्रक्रिया के साथ जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति के साथ-साथ विधायी शक्ति समाप्त हो जाएगी और इसके अधीन हो जाएगी केंद्रीय कार्यकारी। इसलिए, जी. एन. सी. टी. डी. केवल *Cr.P.C* द्वारा शक्ति के व्यक्त प्रदान पर कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। केवल केंद्र सरकार ही ऐसा करेगी

विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वतंत्र शक्ति। यह भी तर्क दिया जाता है

यह मानते हुए कि धारा *24* के तहत दोनों केंद्र सरकार को धारा *24 (1)* और *24 (8)* के तहत लोक अभियोजक/विशेष प्रकाशक अभियोजक नियुक्त करने का अधिकार है, केंद्र सरकार को नियुक्ति करने से रोका या रोका नहीं जा सकता है।

किसी मामले या वर्गों के वर्ग के संबंध में अभियोजक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार समानांतर नियुक्ति करने में सक्षम नहीं होगी। *169.* हम पाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित चर्चा की हैः

"300. जैसा कि देखा जा सकता है, *Cr.P.C* की धारा *24 (8).*

किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के प्रयोजनों के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार। मान लीजिए, एन. सी. टी. दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं। सामान्य खंड अधिनियम, *1897* की धारा *3 (8), 3 (58)* और *3 (60)* के अनुसार, एक केंद्र शासित प्रदेश के उद्देश्य के लिए 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति का अर्थ है

राष्ट्रपति और संविधान के अनुच्छेद *239* के संदर्भ में प्रशासक को दिनांकित अधिसूचना के साथ पढ़ा जाता है, जिसके तहत सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करने का

अधिकार दिया गया था।
Cr.P.C के तहत राज्य सरकार। अब तक दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत सरकार है।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*ए. के. सिकरी, जे.*]*

संबंधित, 'राज्य सरकार' का अर्थ इस प्रकार *Cr.P.C* की धारा *24 (8)* के प्रयोजन के लिए उपराज्यपाल है।

लोक अभियोजक नियुक्त करना *1* और *2* की प्रविष्टियों से संबंधित है

सूची *III* जिसके संबंध में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने

मुख्यमंत्री के साथ मंत्री। *301.* इसलिए, हम भारत संघ के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि *Cr.P.C* की धारा *24 (8)* के तहत शक्तियों के प्रयोग में मंत्रिपरिषद की कोई भूमिका नहीं है।

राय में, उपराज्यपाल *Cr.P.C* की धारा *24 (8)* के तहत ईओ-नॉमिनी के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि राज्य के कार्यकारी कार्यों का प्रयोग करता है। अतः उक्त शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद *239* एए के खंड *(4)* के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाना चाहिए।

302. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि यह खुला नहीं है

उपराज्यपाल को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए

मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लिए बिना अपना।

303. इन परिस्थितियों में, एफ. आई. आर. *No.21/2012* में विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक *07.09.2015* के विवादित आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और विशेष न्यायाधीश को एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाएगा।

कानून के अनुसार नए सिरे से उचित आदेश "।

170. चर्चा के पहले भाग में यह कहा गया हैः

(क*)* जी. सी. अधिनियम की धारा *3 (8), 3 (58)* और *3 (60)* के अनुसार

संघ के प्रयोजनों के लिए 'राज्य सरकार'

क्षेत्र का अर्थ है राष्ट्रपति और इसमें प्रशासक भी शामिल है।

संविधान के अनुच्छेद *239* ए की शर्तें।

(ख*)* जहाँ तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संबंध है, इस प्रकार 'राज्य सरकार' का अर्थ है *Cr.P.C* की धारा *24 (8)* के प्रयोजनों के लिए उपराज्यपाल।

171. हालाँकि, हमने व्याख्या को स्वीकार कर लिया है, जैसा कि द्वारा दिया गया है

उच्च न्यायालय ने जी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में उल्लेख किया

ई अधिनियम *I* के संदर्भ में 'राज्य सरकार' अभिव्यक्ति पर चर्चा करते समय, इस स्थिति को उसी अभिव्यक्ति *[2019] 3* एस. सी. आर. के साथ व्यवहार करते हुए स्पष्ट किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, *2003* की धारा *2 (5)* में होता है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह राज्य को परिभाषित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा पर निर्भर करेगा

किसी विशेष अधिनियम में सरकार। हमने सी. ओ. आई. अधिनियम और विद्युत अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार की परिभाषाओं में अंतर की ओर भी इशारा किया है। यह संविधान पीठ के फैसले में निहित निर्णय के आलोक में महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभिन्न परिस्थितियों में, अभिव्यक्ति राज्य सरकार जी. एन. सी. टी. डी. से संबंधित होगी, इस तथ्य के बावजूद कि यह केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। संविधान पीठ के फैसले ने भी उच्च न्यायालय की राय को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह राज्य के साथ व्यवहार करता है

उपराज्यपाल के रूप में सरकार।

172. किसी भी मामले में, इस पहलू पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि लोक अभियोजक की नियुक्ति सूची *III* की प्रविष्टियाँ *1* और *2* से संबंधित है। में।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि इन प्रविष्टियों के संबंध में, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद *239* एए के तहत विधायी क्षमता है और संविधान के अनुच्छेद *239* एए *(4)* के तहत उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेंगे। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप है। इसलिए हमारा मानना है कि उपराज्यपाल को विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करते समय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना है। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

173. उपरोक्त तरीके से मुद्दों का जवाब देकर सभी अपीलों का निपटारा किया जाता है। अवमानना याचिका का भी निपटारा किया जाता है।

अशोक भूषण, जे।

1. मैंने अपने सम्मानित भाई न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी के विद्वतापूर्ण और विस्तृत निर्णय को पढ़ा है। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, अपनी राय में

ये अपीलें इसे संविधान पीठ को संदर्भित करती हैं और संविधान पीठ के फैसले को *04.07.2018* पर दिया जाता है। संविधान पीठ द्वारा संदर्भ का जवाब देने और इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए मामले को नियमित पीठ को वापस भेजने के बाद, मेरे भाई ने हमारे समक्ष की गई विस्तृत दलीलों को नोट किया है। पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष की गई प्रस्तुतियों को मेरे सम्मानित भाई की राय में विस्तृत रूप से नोट किया गया है, मुझे लगता है कि प्रस्तुतियों को फिर से प्रस्तुत करके इस निर्णय पर बोझ डालने की कोई

आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति सीकरी ने छह मुद्दे तैयार किए हैं। पैराग्राफ संख्या में। *63* इन अपीलों में विचार के लिए *68* तक, जो इस प्रकार हैं:

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]* *)* पहला मुद्दा यह है कि क्या "सेवाओं" का बहिष्कार संबंधित है।

से सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* तक

21 मई, *2015* की भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विधायी और कार्यकारी क्षेत्र असंवैधानिक और अवैध है।

-) दूसरा मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की भ्रष्टाचार-रोधी शाखा *(*ए. सी. बी.*)* के अधिकार क्षेत्र को भ्रष्टाचार-रोधी अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की जांच के लिए हटा दिया गया है।

केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम, *1987*

और ए. सी. बी. के अधिकार क्षेत्र को केवल जी. एन. सी. टी. डी. के कर्मचारियों तक सीमित करना कानूनी है*? (* सिविल अपील में ये दोनों मुद्दे उठते हैं।

2017 का सं. *2357)*।

) तीसरा मुद्दा सिविल अपील संख्या में उठाया गया है। *2358* , *2359* और *2017* का *2360*। इन तीनों अपीलों में, आम मुद्दा यह है कि क्या जी. एन. सी. टी. डी. एक "उपयुक्त सरकार" है।

जांच आयोग अधिनियम, *1952?*

) चौथा मुद्दा, जो *2017* की सिविल अपील संख्या *2363* में उठाया गया है, वह है: चाहे बिजली अधिनियम, *2003* की धारा *108* के तहत और दिल्ली बिजली सुधार अधिनियम, *2000* की धारा *12* के तहत, राज्य के साथ निर्देश जारी करने की शक्ति।

आयोग दिल्ली एन. सी. टी. सरकार के पास है*?*

इसी तरह का मुद्दा *2017* की सिविल अपील संख्या *2361* का विषय है। क्या दिल्ली में वितरण कंपनियों के लिए निदेशकों को नामित करने वाले जी. एन. सी. टी. डी. के आदेश

बिजली सुधार अधिनियम, *2000* को दिल्ली बिजली के साथ पढ़ा जाता है।

सुधार *(*हस्तांतरण योजना*)* नियम, *2001*, प्राप्त किए बिना

उपराज्यपाल की सहमति वैध है*?*

) पाँचवाँ मुद्दा जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा दायर *2017* की सिविल अपील संख्या *2362* और भारत संघ द्वारा दायर *2017* की सिविल अपील संख्या *2364* के लिए समान है, जिसमें मुद्दा यह है कि क्या जी. एन. सी. टी. डी. के राजस्व विभाग के पास इसे संशोधित करने की शक्ति है।

कृषि भूमि की न्यूनतम दरें *(*चक्र दरें*)*

भारतीय डाक टिकट अधिनियम, *1899* के प्रावधान*?*

) छठा मुद्दा, जो *2018* की आपराधिक अपील संख्या *277* का विषय है, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित है। , चाहे वह उपराज्यपाल हो या *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. एन. सी. टी. डी. जिसके पास विशेष जनता को नियुक्त करने की शक्ति है

Cr.P.C की धारा *24* के तहत अभियोजक।

2. अंक संख्या पर मेरे सम्मानित भाई द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। *2* , *3* , *4* , *5* और *6.* मैं उपरोक्त मुद्दों पर कुछ भी जोड़ने का इरादा नहीं रखता। अंक संख्या *1* पर, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ।

हालांकि, मैं अपने सम्मानित भाई की राय से सहमत हूं।

उनकी राय के साथ कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* दिल्ली विधानसभा के लिए उपलब्ध नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मुद्दा संख्या *1* पर विचार करने के लिए।

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अन्य सभी मुद्दों पर निर्णयों के संबंध में जैसा कि मेरे सम्मानित भाई की राय में दिया गया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

4. यह *2017 (*सरकार*)* का *C.A.No.2357* है। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ*)* ने *2015* की रिट याचिका *(*सी*) No.5888* में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक *04.08.2016* के फैसले के खिलाफ दायर किया जिसमें उपरोक्त मुद्दा उठा है। *2015* की रिट याचिका *(*सी*) No.5888 (*सरकार। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ*)* की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना *21.05.2015* और *23.07.2014* को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। भारत का गृह मंत्रालय

"सेवाओं" से संबंधित मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपराज्यपाल को सशक्त बनाना। *2015* की रिट याचिका *(*सी*) No.5888* में जिस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, वह निम्नलिखित प्रभाव से थीः

" गृह मंत्रालय

सूचना

नई दिल्ली, *21* मई, *2015*

एस. ओ. *1368 (*ई*)*। जबकि संविधान के अनुच्छेद *239* में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, उस हद तक, जो वह उचित समझे, एक प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, जिसे उसके द्वारा उस पदनाम के साथ नियुक्त किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट करे*;*

और जबकि संविधान द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद *239* एए *(*साठ*)*

नौवां संशोधन) अधिनियम, *1991* 'में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और अनुच्छेद *239* के तहत नियुक्त प्रशासक होगा -

लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नामित;

और जबकि अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* के उपखंड *(ए)* में कहा गया है कि विधान सभा को राज्य सूची या जीओवीटी में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

समवर्ती सूची जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* और उस सूची की प्रविष्टियों *64,65* और *66* के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं; और जबकि प्रविष्टि *1* 'लोक व्यवस्था' से संबंधित है, प्रविष्टि *2* 'पुलिस' से संबंधित है और प्रविष्टि *18* 'भूमि' से संबंधित है।

और जबकि अनुच्छेद *239* एए के खंड *(3)* का उपखंड *(ए)* भी राज्य सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों को योग्य बनाता है।

समवर्ती सूची जहाँ तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। इस प्रावधान के तहत, राज्य सूची की प्रविष्टि *41* का संदर्भ दिया जा सकता है जो राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूद नहीं है।

इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों के संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कर्मी शामिल हैं -

केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के लिए समान है जो गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित है और इसी तरह *DANICS* और *DANIPS* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामान्य सेवाएं हैं जो गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा भी प्रशासित हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अपनी राज्य लोक सेवाएँ नहीं हैं। इस प्रकार, 'सेवाएँ' इसके अंतर्गत आएंगी।

श्रेणी।

और जबकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहाँ कोई विधायी शक्ति नहीं है, वहाँ कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है क्योंकि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। और जबकि राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित मामले क्रमशः 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' हैं और उस सूची की प्रविष्टियां *64,65* और *66* जहां तक वे प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित हैं और 'सेवाएं' भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के दायरे से बाहर हैं और

परिणामस्वरूप दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार के पास नहीं होगा

उपरोक्त के संबंध में कार्यकारी शक्ति और *[2019] 3* एस. सी. आर. में उस शक्ति को आगे बढ़ाना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त विषयों का संबंध विशेष रूप से राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि यानी दिल्ली के उपराज्यपाल में निहित है।

अतः अब राष्ट्रपति *239* एए के अनुच्छेद *239* और खंड *(3)* के उपखंड *(ए)* में निहित प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा निर्देश देते हैं कि -

" (i) अपने नियंत्रण और आगे के आदेशों के अधीन, लेफ्टिनेंट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यपाल, 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' से संबंधित मामलों के संबंध में,

' भूमि 'और' सेवाएँ 'जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया है, का प्रयोग करें

केंद्र सरकार की शक्तियाँ और कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपी गई सीमा तक।

बशर्ते कि राष्ट्रीय राजधानी का उपराज्यपाल

दिल्ली क्षेत्र, अपने विवेकाधिकार में, के विचार प्राप्त कर सकता है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री

'सेवाओं' के मामले को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी वह इसे समझता है।

उचित है।

2. अधिसूचना संख्या एफ. *1/21/92*-होम *(*पी*)* एस्ट। *1750* दिनांक *8* नवंबर, *1993*, जैसा कि *23* जुलाई, *2014* की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसमें संख्या *14036/4/2014*-दिल्ली-*I (*पं. फाइल*)*, पैराग्राफ *2* के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" 2. यह अधिसूचना केवल अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन

संविधान के अनुच्छेद *239* एए में निहित प्रावधान।

पैराग्राफ *2* के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा,

अर्थात्:

" 3. भ्रष्टाचार रोधी शाखा पुलिस स्टेशन नहीं लेगा

अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अपराधों का कोई संज्ञान
केंद्र सरकार के पदाधिकारी "।

3. यह अधिसूचना पहले की अधिसूचना संख्या को हटा देती है।

एस. ओ. *853 (ई) [*एफ. नं. यू-*11030/2/98-*यू. टी. एल.*]* दिनांक *24* सितंबर, *1998* को पहले की गई या की जाने वाली चीजों को छोड़कर

इस तरह के अधिगमन।

[एफ. संख्या *14036/04/2014-*दिल्ली-*I (*भाग *1)*

फाइल*)]*

राकेश सिंह, जे. सिकरी "। जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

5. भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने उपरोक्त अधिसूचना इस आधार पर जारी की कि सूची *II* की प्रविष्टि *41* जो "राज्य लोक सेवाओं; राज्य लोक सेवा आयोग" से संबंधित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसे अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है। दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार *(*इसके बाद "जी. एन. सी. टी. डी". के रूप में संदर्भित*)*

अधिसूचना से व्यथित होकर दिल्ली उच्च न्यायालय में *2015* की रिट याचिका *(*सी*) No.5888* दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक *04.08.2016* के फैसले के माध्यम से अन्य रिट याचिकाओं के साथ *2015* की रिट याचिका *(C) No.5888* का फैसला किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित *04.08.2016* निर्णय के निष्कर्ष को पैराग्राफ *No.302* में संक्षेपित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ *No.302 (v)* में निम्नलिखित निर्धारित किया है:

" 302 (v) "सेवाओं" से जुड़े मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के दायरे से बाहर हैं। इसलिए, विवादित अधिसूचना एस. ओ. संख्या *1368 (*ई*)* दिनांक *21-5-2015* में निर्देश कि दिल्ली के एन. सी. टी. के उपराज्यपाल "सेवाओं" से जुड़े मामलों के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे -

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपी गई सीमा

न तो अवैध और न ही असंवैधानिक।

नतीजतन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका *(*सी*) No.5888* को खारिज कर दिया।

2015 से।

6. अपीलों के इस समूह की सुनवाई के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद *239* एए को दी जाने वाली व्याख्या के संबंध में मुद्दे उठे। दो-न्यायाधीश पीठ ने संविधान पीठ के गठन के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। उपरोक्त संदर्भ आदेश पर, पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया

गया था और मामले की सुनवाई पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की गई थी जिसने *04.07.2018* पर अपना फैसला सुनाया था। संविधान पीठ का मुख्य निर्णय था -

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा लिखित, सी. जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* अपने लिए और डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर के लिए। दो अन्य अलग-अलग राय भी दी गई, एक डॉ. जस्टिस डी. वाई. द्वारा।

चंद्रचूड़ और एक मैं, *(*न्यायमूर्ति अशोक भूषण*)*। संविधान पीठ के फैसले के बाद, इन सभी अपीलों पर निर्णय लेने के लिए मामले को इस पीठ के समक्ष रखा गया है।

7. इस पीठ के समक्ष कई प्रख्यात वकीलों द्वारा विस्तृत दलीलें दी गई हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुतियाँ *[2019] 3* एस. सी. आर. की गई हैं।

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने विस्तार से ध्यान दिया कि इस आदेश को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। संविधान पीठ ने अपने दिनांक *1* के फैसले के माध्यम से संदर्भ का जवाब देने के बाद, हमें संविधान पीठ की राय के अनुसार इन अपीलों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद *145* खंड *(3)* में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"अनुच्छेद *145 (3)* इस संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का निर्णय लेने के उद्देश्य से या अनुच्छेद *143* के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी:

बशर्ते कि, जहां अनुच्छेद *132* के अलावा इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के तहत अपील की सुनवाई करने वाले न्यायालय में पांच से कम न्यायाधीश होते हैं और अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय का समाधान होता है कि अपील में इस संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसका निर्धारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो ऐसा न्यायालय उस प्रश्न को राय के लिए इस खंड द्वारा गठित किसी न्यायालय को भेजेगा, जो इस प्रकार के किसी भी मामले पर निर्णय लेने के उद्देश्य से इस खंड द्वारा आवश्यक है।

एक प्रश्न और राय प्राप्त होने पर ऐसी राय के अनुरूप अपील का निपटारा करेगा।

8. अनुच्छेद के परंतुक में आने वाली अभिव्यक्ति "राय प्राप्त होने पर ऐसी राय के अनुरूप अपील का निपटारा करेगी" *145* खंड *(3)* इस पीठ को ऐसी राय के अनुरूप अपील का निपटारा करने के लिए बाध्य करता है। अतः हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि संविधान पीठ की क्या राय है जिसके अनुसार अपील का निपटारा किया जाना है।

से। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहले प्रश्न पर, अपील पर निर्णय लेने में इसे लागू करने के लिए संविधान पीठ की राय क्या है, इसका पता लगाना होगा। *9.* श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री मनिंदर सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल *(*जैसा कि उन्हें तब प्रस्तुत किया गया था*)*

कि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सी. जे. *(*जैसा कि वे उस समय थे*)* द्वारा लिखित संविधान पीठ के बहुमत निर्णय ने न तो इस निवेदन पर विचार किया है।

दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद *239* एए उपखंड *(3) (*ए*)* के अनुसार विधान सभा को निम्नलिखित के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी - राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों में से कोई भी "जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है"।

यह जीओवीटी है। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया कि संविधान पीठ के समक्ष जोर दिया गया था कि राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए सभी मामले दिल्ली की विधानसभा के लिए वास्तव में उपलब्ध नहीं होंगे और विधायी शक्ति केवल उन मामलों को दी गई है जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए लागू होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान पीठ ने उपरोक्त तर्क को विशेष रूप से नोट किया है, लेकिन न तो इस पर विचार किया है और न ही

इस मुद्दे पर निर्णय लिया, इसलिए इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए और इस पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

10. सूची *II* की प्रविष्टि *41*, जो विचार का विषय है, इस प्रकार हैः

*"41.*राज्य लोक सेवाएँ*;* राज्य लोक सेवाएँ

सेवा आयोग "।

11. हम सबसे पहले यह देख सकते हैं कि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सी. जे. *(*जैसा कि वे उस समय थे*)* के माध्यम से बोलने वाली संविधान पीठ के साथ-साथ दो अन्य रायों में कहा गया है कि व्यक्तिगत अपीलों में विवाद पर संविधान पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान पीठ को केवल संवैधानिक मुद्दों का जवाब देना है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की राय में, सी. जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* पैराग्राफ *13* में निम्नलिखित कहा गया थाः

"13. इस प्रकार प्रस्तुत करने के बाद, अब हम इस विवाद को संक्षेप में बताने के लिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि अपीलों के इस समूह में

संविधान पीठ को संदर्भित करते हुए, हमें उस मुद्दे का विज्ञापन करने की आवश्यकता है जो अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्तिगत अपील में शामिल तथ्यों और उठाए गए विवाद पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम केवल

संवैधानिक मुद्दे का जवाब देने का इरादा है।

12. निर्णय के पैराग्राफ *486* में *(*मेरी राय में*)* निम्नलिखित

कहा गया थाः

"486. इस प्रकार ये अपीलें इस संविधान पीठ के समक्ष रखी गई हैं। शुरुआत में, पक्षों के विद्वान वकील के बीच यह सहमति हुई कि यह संविधान पीठ केवल संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर दे सकती है और उसके बाद व्यक्तिगत अपीलों पर उचित नियमित पीठों द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

13. श्री राकेश द्विवेदी के साथ-साथ श्री मनिंदर सिंह द्वारा हमारे सामने जो प्रस्तुतियाँ रखी जा रही हैं, उन्हें भी *[2019] 3* एस. सी. आर. से पहले दबाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सातवीं अनुसूची की सूची *II* और *III* में प्रदान किए गए विषय पर दिल्ली की विधानसभा उसी अनुच्छेद द्वारा सीमित है जब इसका तात्पर्य है "जहाँ तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। यह ध्यान देना उपयोगी है कि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के फैसले के पैराग्राफ *39* में सी. जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* निम्नलिखित ध्यान दिया गया हैः

"39. उत्तरदाताओं का यह भी तर्क है कि हालांकि अनुच्छेद *239*-एए दिल्ली विधानसभा को सातवीं अनुसूची की सूची *II* और सूची *III* में प्रदान किए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, फिर भी उक्त शक्ति उसी अनुच्छेद द्वारा सीमित है जब यह वाक्यांश का उपयोग करता है "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" और विशेष रूप से विधानसभा की विधायी शक्ति से कुछ प्रविष्टियों को बाहर करके भी।

जैसा कि अनुच्छेद *239*-एए *(3) (ए)* में वर्णित है। इस प्रतिबंध के अनुसार

उत्तरदाता, विधान सभा की शक्ति को सीमित करते हैं

कानून बनाना और इस प्रतिबंध को इसके संदर्भ में समझना होगा

विशेष दर्जा प्रदान करना "।

14. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सी. जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* के माध्यम से बोलते हुए संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से इस स्थिति को स्वीकार किया है कि दिल्ली का एन. सी. टी. एक राज्य नहीं है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। इस संदर्भ में, पैराग्राफ संख्या। *196* और निम्नलिखित निर्णय का *201* निर्धारित किया गया हैः

"196. इस प्रकार, एन. डी. एम. सी. यह स्पष्ट करता है कि सभी संघ

हमारी संवैधानिक योजना के तहत क्षेत्र एक ही आधार पर नहीं हैं और जहां तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संबंध है, यह अनुच्छेद *246* या संविधान के भाग *VI* के अर्थ के भीतर एक राज्य नहीं है। यद्यपि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उनसठवें संशोधन के बाद एक अनूठा स्थान रखता है, फिर भी कुल और सार में, यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जो संविधान के अनुच्छेद *246 (4)* द्वारा शासित है और जिसे संसद ने अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" का नाम दिया है।

201. उपरोक्त विश्लेषण और एन. डी. एम. सी. में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में, यह दोपहर के रूप में स्पष्ट है कि किसी भी कल्पना के विस्तार से, दिल्ली के एन. सी. टी. को हमारी वर्तमान

संवैधानिक योजना के तहत एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और दिल्ली के उपराज्यपाल का दर्जा किसी जी. ओ. वी. टी. के राज्यपाल का नहीं है।

राज्य, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में एक प्रशासक बना रहता है,

लेफ्टिनेंट गवर्नर के पदनाम के साथ काम करना।

15. चर्चा केवल प्रदत्त विधायी शक्ति तक ही सीमित है

दिल्ली विधान सभा पर उपरोक्त संबंध में संविधान पीठ द्वारा व्यक्त की गई राय पर ध्यान देना उपयोगी है। पैराग्राफ संख्या में। *217* और *219* निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं:

"217. अनुच्छेद *239*-ए. ए. के खंड *(3)* का उपखंड *(ए)* दिल्ली विधानसभा के लिए कानून बनाने की शक्ति स्थापित करता है।

राज्य सूची और/या समवर्ती सूची में गिने गए मामलों के संबंध में दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* से संबंधित है।

219. इस प्रकार, अनुच्छेद *239*-ए. ए. के खंड *(3)* से यह स्पष्ट है कि संसद को राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए किसी भी मामले पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है और साथ ही, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए मामलों के संबंध में विधायी शक्ति भी है।

जिन प्रविष्टियों को अनुच्छेद *239* एए *(3) (ए)* से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

16. उपरोक्त पैराग्राफ में संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की विधानसभा की शक्ति इसके संबंध में है

राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए मामलों को छोड़कर जहां तक राज्य सूची की *1,2* और *18* प्रविष्टियों के संबंध में और उनसे संबंधित मामले हैं। अनुच्छेद संख्या *217* में जो देखा गया है वह संविधान के अनुच्छेद *239* एए *(3) (ए)* में सामान्य शब्दों में कहा गया है। संविधान पीठ ने इसके उद्देश्य और इरादे पर विचार नहीं किया है -

राज्य में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में "अभिव्यक्ति"

जहाँ तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू होता है, उसे समवर्ती सूची में सूचीबद्ध करें। कारण खोजना दूर की बात नहीं है। अलग-अलग अपीलों में उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत मुद्दों को संविधान पीठ द्वारा नहीं छुआ गया और इसके बाद इसे नियमित पीठ द्वारा तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया।

संवैधानिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। क्या "सेवाएँ" दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता के भीतर हैं, यह उन मुद्दों में से एक है जो *2017* के *C.A.No.2357* में सीधे सामने आए हैं। अतः ऐसा नहीं है कि

इस बारे में संविधान पीठ की राय कि क्या सूची *II* की प्रविष्टि *41* दिल्ली की विधानसभा के लिए उपलब्ध है या नहीं, एक सामान्य बयान के अलावा कि दिल्ली की विधानसभा को *[2019] 3* एस. सी. आर. के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी।

राज्य सूची की प्रविष्टियों *1,2* और *18* को छोड़कर सूची *I* और सूची *II* में सूचीबद्ध किसी भी मामले के लिए।

17. हम न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सी. जे. *(*जैसा कि वे उस समय थे*)* के माध्यम से संविधान पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर भी ध्यान दे सकते हैं।

अनुच्छेद *No.284*। अनुच्छेद सं. *284.13* में निष्कर्ष इस प्रकार हैः

" 284.13 . 69 वें संशोधन के आधार पर अनुच्छेद *239*-ए. ए. को शामिल करने के साथ, संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि रूप की परिकल्पना की। उक्त प्रावधान का उद्देश्य राजधानी के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधान सभा का प्रावधान करना है, जिसके पास राज्य सूची और समवर्ती सूची के भीतर आने वाले मामलों पर विधायी शक्तियां होंगी, सिवाय उन लोगों के जिन्हें छोड़ दिया गया है, और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने का जनादेश होगा, सिवाय इसके कि जब वह मामले को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय करता है।

18. जैसा कि अनुच्छेद *No.39* में संविधान पीठ के ऊपर देखा गया है।

ऊपर निकाले गए शब्दों में उत्तरदाताओं के लिए वकील की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया गया है कि अनुच्छेद *239* एए *(3) (*ए*)* में *"*जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है*"* शब्द की विधायी शक्ति को प्रतिबंधित करता है। दिल्ली की विधानसभा केवल उन प्रविष्टियों के लिए है जो केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होती हैं और सभी पर नहीं। इसके उत्तर पर विस्तृत चर्चा न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सी. जे. *(*जैसा कि वे उस समय थे*)* द्वारा व्यक्त बहुमत की राय में नहीं पाई जाती है। डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और मेरे द्वारा व्यक्त की गई अन्य दो रायों में संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रस्तुति पर विचार किया गया था, इसलिए यह ध्यान देना उपयोगी है कि संविधान पीठ में अन्य दो रायों में क्या कहा गया है।

19. डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी राय में निर्णय की शुरुआत में सूचकांक में क्रम संख्या के. *(*वी*)* में बताए गए अलग शीर्षक के तहत प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

*"*के *(*वी*) "*जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है*"*

20. डी. वाई. चंद्रचूड़ के निर्णय के पृष्ठ *736* और *737* में, उक्त निवेदन पर पैराग्राफ संख्या में विचार किया गया है। *461 , 462* और *463* और निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

" 461. अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*ए*)* विधान सभा को अनुमति देता है -

एन. सी. टी. को राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने के लिए, प्रविष्टियों के अलावा।

1 , *2* और *18 (*और प्रविष्टियाँ *64,65* और *66* जहां तक वे पहले की प्रविष्टियों से संबंधित हैं*)* और समवर्ती सूची में, "जहां तक ऐसी कोई बात है

एन. डी. एम. सी. में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद *246* में "राज्य" अभिव्यक्ति में संघ शामिल नहीं है। क्षेत्र। "जहाँ तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि -

एन. सी. टी. की विधानसभा के पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी

राज्य या समवर्ती सूचियों में किसी भी विषय पर, केवल उस विशेष प्रविष्टि में "राज्य" अभिव्यक्ति के उपयोग से। यह अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*ए*)* के उपरोक्त शब्दों का सही पठन नहीं है। जैसा कि हम नीचे देखते हैं, संसद ने उन्हें इस तरह से नहीं माना है ठीक है।

462. जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा *7 (5)* में प्रावधान है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन कानून द्वारा विधानसभा द्वारा तय किया जा सकता है। धारा *19*

कानून द्वारा सभा। धारा *43 (3)* इसी तरह प्रदान करती है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सभा। हालांकि, धारा *24* में प्रावधान है कि इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। संसद उपरोक्त प्रावधानों को तब तक अधिनियमित नहीं करती जब तक कि विधायी न हो।

उपर्युक्त विषय पर राज्यों में योग्यता निहित है। राज्य के विधानमंडल के सदस्यों *(*अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित*)* और राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित विषय राज्य सूची की प्रविष्टि *38* और प्रविष्टि *40* द्वारा शासित होते हैं। जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम इन विषयों पर कानून बनाने के लिए एन. सी. टी. की विधान सभा की विधायी क्षमता को मान्यता देता है। इन प्रविष्टियों में "राज्य" शब्द का उपयोग विधान सभा के अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करता है। न ही अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*ए*)* के शब्द बहिष्कृत या अक्षम करने वाले प्रकृति के हैं।

463. उपरोक्त कथन का उद्देश्य यह इंगित करना है कि

"राज्य" अभिव्यक्ति अपने आप में इस बात का निर्णायक नहीं है कि संविधान का कोई विशेष प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा या नहीं।

इसी तरह, यह भी कहा जा सकता है कि सामान्य खंड अधिनियम *(*जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है*)* की धारा *3 (58)* में अभिव्यक्ति राज्य की परिभाषा आवश्यक रूप से सभी संदर्भों को नियंत्रित नहीं करेगी -

"संविधान में "राज्य"। अगर कुछ ऐसा है जो अप्रिय है

विषय या संदर्भ में, धारा *3 (58)* में समावेशी परिभाषा लागू नहीं होगी। यह इस न्यायालय से निकले उदाहरण में स्पष्ट किया गया है। कुछ संदर्भों में, यह माना गया है कि "राज्य" अभिव्यक्ति में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं होंगे, जबकि अन्य संदर्भों में धारा *3 (58)* में परिभाषा लागू की गई है। इसलिए,

"जहाँ तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" अभिव्यक्ति बहिष्करण में से एक नहीं है और न ही इसे माना जा सकता है
इसलिए विषय या संदर्भ की परवाह किए बिना "।

21. डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए कहाः अनुच्छेद *239* ए. ए. *(3)* में निहित यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधान सभा की क्षमता उपरोक्त अभिव्यक्ति द्वारा सीमित है। संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ नंबर *316* में उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" *316.* अनुच्छेद *239* का खंड *(3)*-एए विधायी शक्तियों को परिभाषित करता है।

राज्य में निहित किसी भी मामले के संबंध में या
संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूचियाँ। विधान सभा की क्षमता सीमित है "जहाँ तक

किसी केंद्र शासित प्रदेश में। समान महत्व का अपवाद है जिसे तराशा गया हैः राज्य सूची की प्रविष्टियाँ *1,2* और *18 (*और प्रविष्टियाँ *64,65* और *66* जहाँ तक वे प्रविष्टियाँ *1,2* और *18* से संबंधित हैं*)* राज्य की विधानसभा की विधायी शक्तियों के बाहर हैं।
एनसीटी।

22. इस प्रकार, डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अभिनिर्धारित किया कि "राज्य" अभिव्यक्ति अपने आप में इस बात का निर्णायक नहीं है कि क्या इसका कोई विशेष प्रावधान है।

संविधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। उनके लॉर्डशिप ने राय दी कि अभिव्यक्ति "जहां तक ऐसा कोई भी मामला संघ पर लागू होता है।

क्षेत्र "बहिष्कृत नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जा सकता है।

चाहे विषय या संदर्भ कुछ भी हो।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

23. मैंने पैराग्राफ संख्या में उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पर भी चर्चा की थी। *551* और निम्नलिखित शब्दों में *552:*

" *500.* यह प्रस्तुत किया जाता है कि तब भी जब अनुच्छेद *239*-एए *(3) (*ए*)* निर्धारित करता है कि दिल्ली विधानसभा के पास शक्ति होगी

विषय के संबंध में कानून बनाना-सूची *II* में दिए गए मामले और

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *III*, यह

विशेष रूप से विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है

उन विषयों के लिए दिल्ली विधानसभा-ऐसे मामले जो लागू होते हैं

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए "। संविधान में यह परिकल्पना की गई है कि सूची-*II* और

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *III* में शामिल हैं:

कुछ विषय-ऐसे मामले जो संघ पर लागू नहीं होते हैं क्षेत्र। संविधान निर्माताओं का इरादा यह है कि

विधायी शक्तियाँ। *551.* प्रावधान बहुत स्पष्ट है जो विधायिका को सशक्त बनाता है।

विधानसभा किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाएगी

राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध, सिवाय बहिष्कृत प्रविष्टियों के। इन मुद्दों में से एक यह है कि कानून बनाने की शक्ति

राज्य सूची या समवर्ती सूची में वाक्यांश द्वारा हेज किया जाता है "जहाँ तक

ऐसा मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।

552. सूची *II* और सूची *III* में प्रविष्टियों पर एक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि केंद्र शासित प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है। सूची *II* और *III* का अवलोकन यह इंगित करता है कि हालांकि विभिन्न प्रविष्टियों में विशिष्ट उल्लेख है

"राज्य" शब्द का लेकिन "संघ" का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है

किसी भी प्रविष्टि में "क्षेत्र"। उदाहरण के लिए, सूची *II* प्रविष्टि *12* में,

26, *37*, *38*, *39*, *40*, *41*, *42* और *43*, "राज्य" शब्द का विशिष्ट उल्लेख है। इसी तरह, सूची *III* प्रविष्टि *3,4* और *43* में "राज्य" शब्द का उल्लेख है। उपरोक्त वाक्यांश "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है" अप्रासंगिक है। इसके दो कारण हैं। संविधान के प्रारंभ पर, कोई नहीं था

केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा और केवल भाग ए, बी, सी थे और डी राज्य। सातवें संविधान संशोधन के बाद, जहाँ

संविधान की पहली अनुसूची के साथ-साथ अनुच्छेद *2* थे

संशोधित जिसमें अनुच्छेद *[2019] 3* एस. सी. आर. दोनों में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख शामिल था।

1 साथ ही पहली अनुसूची में भी। इस प्रकार, उपरोक्त वाक्यांश का उपयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों सहित सभी मामलों पर दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्तियों को स्वचालित रूप

से प्रदान करने की सुविधा के लिए किया गया था, सिवाय इसके कि एक प्रविष्टि इंगित करती है कि केंद्र शासित प्रदेश में इसकी प्रयोज्यता निहितार्थ या किसी भी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान से बाहर है।

24. उपरोक्त पैराग्राफ में यह राय व्यक्त की गई है कि राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित सभी मामले दिल्ली की विधानसभा के लिए उपलब्ध हैं, सिवाय इसके कि जहां एक प्रविष्टि इंगित करती है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसकी प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है

निहितार्थ या किसी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान द्वारा। निष्कर्ष यह है कि,

इस प्रकार, सूची *II* और सूची *III* की सभी प्रविष्टियाँ विधायी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विधान सभा के लिए उपलब्ध हैं, सिवाय इसके कि जब किसी प्रविष्टि को निहितार्थ या किसी स्पष्ट प्रावधान द्वारा बाहर रखा गया हो। *25.* न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सी. जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* द्वारा दी गई बहुमत की राय "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" अभिव्यक्ति पर विचार नहीं करने के बाद, इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संविधान पीठ की बहुमत की राय में कोई राय व्यक्त नहीं की गई है, इसलिए *2017* के आई. डी. *1* को तय करने के लिए उक्त मुद्दे का विस्तृत उत्तर देने की आवश्यकता है।

26. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद *239* एए को इसके द्वारा जोड़ा गया है

1 फरवरी, *1992* से प्रभावी संविधान *69* वां संशोधन, *1991*। केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधान सभा को विधायी शक्तियाँ एक थी *69* वें संविधान *(*संशोधन*)* अधिनियम से पहले भी स्वीकार किए गए सिद्धांत। केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, *1963* को संसद द्वारा संविधान *14* वें संशोधन, *1962* द्वारा लाए गए अनुच्छेद *239* ए के संदर्भ में अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद *239* ए निम्नलिखित रूप में प्रदान करता हैः

"239 ए. स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का निर्माण या

दोनों कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए।

(1) संसद कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए बना सकती है -

पांडिचेरी *(क)* केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित, या

(ख) मंत्रिपरिषद, या दोनों ऐसे संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ, प्रत्येक मामले में, जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) खंड *(1)* में निर्दिष्ट कोई ऐसी विधि अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी।

368 इसके बावजूद कि इसमें कोई प्रावधान है जो संशोधन करता है

या इस संविधान में संशोधन का प्रभाव है।

27. अनुच्छेद *239* ए ने संसद को कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय बनाने का अधिकार दिया। ऐसा संघ

अधिनियम, *1963* के तहत गठित क्षेत्र के पास अधिनियम, *1963* की धारा *18* के तहत संसद द्वारा प्रदान की गई विधायी शक्ति थी। अधिनियम, *1963* की धारा *18* इस प्रकार है:

"*18.* विधायी शक्ति का विस्तार। *(1)* इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में पूरे या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है।

जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है, संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची।

(2) उप-धारा *(1)* की कोई भी बात शक्तियों का अवमूल्यन नहीं करेगी।

संविधान द्वारा संसद को केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

28. इस प्रकार, "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है" अभिव्यक्ति एक ज्ञात अवधारणा है जो घटित हो रही थी। केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, *1963* की धारा *18* में भी।

29. दिल्ली विधान सभा की विधायी शक्तियों को अर्हता प्राप्त करके सीमित करने के कारणों और उद्देश्यों को समझने के लिए "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है" अभिव्यक्ति के साथ, हमें संविधान *69* वें *(*संशोधन*)* अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और *69* वें संविधान संशोधन के उद्देश्य और उद्देश्य पर प्रकाश डालने वाली अन्य प्रासंगिक सामग्रियों पर गौर करने की आवश्यकता है।

30. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए, भारत सरकार ने बालकृष्णन समिति नामक एक समिति नियुक्त की है, जिसने गृह मंत्रालय को आई. डी. *1* पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। की रिपोर्ट

बालकृष्णन समिति *69* वें संविधान संशोधन को लागू करने का आधार थी। *69* वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है। *[2019] 3* एस. सी. आर. पर ध्यान देना उपयोगी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के *69* वें संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जो इस प्रकार हैं:

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

आम आदमी के लिए चिंता के मामलों से निपटना। द.
समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को संविधान में विशेष दर्जा देने के लिए व्यवस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

केंद्र शासित प्रदेश।

2. विधेयक उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

31. सरकार में इस न्यायालय का संविधान पीठ का निर्णय। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *(ऊपर)* का न्याय के माध्यम से बोलना

दीपक मिश्रा, सी. जे. *(*जैसा कि वे उस समय थे*)* ने भी बालकृष्णन की समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। फैसले के पैराग्राफ नंबर *16* में, बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के कई पैराग्राफ संविधान पीठ द्वारा निकाले गए हैं। संविधान पीठ ने आगे कहा है कि बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट लेखों की शुरुआत के संबंध में इतिहास और सार्वजनिक ज्ञान के संग्रह के रूप में कार्य करती है। *239* - एए और *239*-एबी और अनुच्छेद *239*-एए का अर्थ निकालने और अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए उपयोगी बाहरी सहायक होंगे। फैसले के पैराग्राफ नंबर *206* में निम्नलिखित टिप्पणी की गई हैः

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

" 206. यह स्पष्ट है कि संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष दर्जा देने की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद *239*-एए की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। उद्देश्यों और कारणों का विवरण और बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट, जिनके प्रासंगिक उद्धरण हम पहले ही इस निर्णय के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं, दोनों अनुच्छेद *239*-ए. ए. और *239*-ए. बी. की शुरूआत के संबंध में एक अधिनियमित इतिहास और सार्वजनिक ज्ञान के संग्रह के रूप में काम करते हैं और अनुच्छेद *239*-ए. ए. का अर्थ निकालने और अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए उपयोगी बाहरी सहायक होंगे।

32. पैरा संख्या *6.7* में बालकृष्णन की समिति की रिपोर्ट। *4* दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति पर उल्लेख किया गया है

संघ की संवैधानिक स्थिति और राज्य की संवैधानिक स्थिति के बीच अंतर का उपयोग। पैरा सं. *6.7*। *4* निम्नलिखित प्रभाव पड़ता हैः

" 6.7. 4 दिल्ली के लिए बनाई जाने वाली विधानसभा के संबंध में। इसे सौंपे गए मामलों के संबंध में पूर्ण विधायी शक्ति होनी चाहिए। अनुच्छेद *6.7* में निर्दिष्ट कुछ विषयों के विशिष्ट अपवर्जन के अधीन। *8* और नीचे *6.7.12*, ऐसी शक्तियों में राज्य सूची और राज्य की समवर्ती सूची के मामले शामिल होने चाहिए।

जहाँ तक ऐसे मामले केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होते हैं, संविधान। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की संवैधानिक स्थिति के बीच अंतर के कारण यह अंतिम सीमा आवश्यक है। ऐसी विधायी शक्तियों का प्रयोग, निश्चित रूप से, संविधान के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए और संसद के प्रासंगिक कानून "।

33. बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का विस्तार करते हुए

एस. एस. आई. एन. ने "जहां तक ऐसे मामले एन क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं" देखा है कि प्रविष्टियों के अलावा विशेष रूप से

हालाँकि, अन्य प्रविष्टियाँ हैं, जो वास्तव में दिल्ली विधान सभा के दायरे से बाहर हैं। निम्नलिखित में कहा गया है

ग्राफ सं. *6.7.12:*

" 6.7.12 ..... राज्य सूची में एक अन्य जुड़ी हुई प्रविष्टि प्रविष्टि *No.35* है जो "राज्य" में या उसके कब्जे में निहित कार्य, भूमि और भवन हैं। यह देखते हुए कि दिल्ली के लिए प्रस्तावित विधानसभा की शक्तियों का विस्तार राज्य सूची और संविधान की समवर्ती सूची के मामलों तक होगा "जहां तक ऐसे मामले केंद्र शासित प्रदेशों की प्रविष्टि *35 [2019] 3* एस. सी. आर. के संबंध में लागू हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तव में दिल्ली के लिए प्रस्तावित विधानसभा के दायरे से बाहर होगा क्योंकि वह प्रविष्टि राज्यों पर लागू होती है न कि

केंद्र शासित प्रदेश "।

34. संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची द्वितीय की प्रविष्टि *41* पर बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से विचार किया गया था और बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त प्रविष्टि लागू नहीं है

केंद्र शासित प्रदेश के लिए। उपरोक्त विषय पर, पैराग्राफ संख्या में रिपोर्ट में निम्नलिखित कहा गया था। *8.1. 2 8. 1. 3 :*

" 8.1. 2 राज्य सूची की प्रविष्टि *41* में उल्लेख किया गया है "राज्य लोक सेवाएँ: राज्य लोक सेवा आयोग "। जाहिर है, यह प्रविष्टि केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होती है क्योंकि इसमें केवल "राज्य" का उल्लेख है न कि "केंद्र शासित प्रदेशों" का। इस दृष्टिकोण को इस तथ्य से बल मिलता है कि यह संविधान भारत में सार्वजनिक सेवाओं को दो भागों में विभाजित करता है।
श्रेणियाँ, अर्थात्, के मामलों के संबंध में सेवाएं

राज्य के मामलों के संबंध में संघ और सेवाएँ जैसा कि संविधान के भाग *XIV* के विभिन्न प्रावधानों से स्पष्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं को कवर करने वाली सेवाओं की कोई तीसरी श्रेणी नहीं है। स्पष्ट कारण यह है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन अनुच्छेद *239* के तहत संघ की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इस तरह "संघ के मामलों" के तहत आता है। नतीजतन, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए सार्वजनिक सेवाओं को इस संबंध में सार्वजनिक सेवाओं का हिस्सा बनना चाहिए।

संघ के मामलों के साथ।
8.1. 3 इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश में सेवाओं के विषय को विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद के दायरे में लाना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है।

प्रस्तावित दिल्ली प्रशासन। इसी कारण से एक अलग लोक सेवा आयोग का प्रावधान करना संभव नहीं है।

दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्योंकि उपर्युक्त प्रविष्टि *41* में राज्य लोक सेवा आयोग का अर्थ केवल उसके लिए स्थापित निकाय है।

राज्यों "।

35. बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासन के संबंध में सेवाएं मंत्रिपरिषद के साथ एक विधान सभा की स्थापना के बाद भी केंद्र की सेवाओं का हिस्सा होंगी। पैराग्राफ नंबर *9.3* में निम्नलिखित कहा गया था। *4* "सेवाएँ" शीर्षक पर:

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *[*अशोक भूषण, जे.*]*

" सेवाएँ

9.3. 4 संविधान के प्रावधानों के आधार पर, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासन से संबंधित सेवाएं मंत्रिपरिषद के साथ एक विधान सभा की स्थापना के बाद भी संघ की सेवाओं का हिस्सा होंगी। यह

जब भी संभव हो, परामर्श का एक सम्मेलन होना चाहिए,
मुख्यमंत्री के साथ।

यह स्थिति कि सूची *II* की प्रविष्टि *41* दिल्ली विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर नहीं होगी, जो निष्कर्ष प्रशंसनीय था, क्योंकि दिल्ली विधान सभा की विधायी शक्ति थी अनुच्छेद *239* एए *(3)* में "जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है" अभिव्यक्ति द्वारा सीमित है। बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट में, समिति ने उन सेवाओं के अस्तित्व पर ध्यान दिया, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मौजूद थीं। संघ द्वारा गठित कई केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामान्य सेवाएँ थीं। आई. डी. *1* पर, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद *309* को प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी नियम, *1959* की सेवाओं की शर्तें नामक नियम बनाए हैं।

37. दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ मंत्रिस्तरीय/कार्यकारी सेवा नियम। , *1967* भारत के संविधान के अनुच्छेद *309* द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा भी तैयार किए गए थे। नियम *2 (*डी*)* में प्रावधान किया गया है कि "आयोग" का अर्थ है संघ लोक सेवा

आयोग। केंद्र शासित प्रदेशों के तहत सेवाओं के लिए बाद में नियम बनाए गए हैं। विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में संयुक्त सेवाओं के लिए भी नियम हैं। संसद उस समय अच्छी तरह से जानती थी जब संविधान *69* वां *(*संशोधन*)* अधिनियम लागू किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेशों में "सेवाएँ" शब्द संघ सेवाएँ हैं और कोई राज्य सेवाएँ नहीं हैं और सेवा आयोग का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को केंद्र शासित प्रदेश *[2019] 3* एस. सी. आर. में सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर मिला।

बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य, *(2018) 10* एस. सी. सी. *312*। उपरोक्त संविधान पीठ का निर्णय *30.08.2018* पर दिया गया था, यानी सरकार में संविधान पीठ के फैसले के बाद। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत संघ *(*ऊपर*)*। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई *(*जैसा कि वे उस समय थे*)* के माध्यम से बोलते हुए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं, केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं के विवरण पर ध्यान दिया है, हालांकि सेवाओं में आरक्षण के लागू होने के सवाल के संदर्भ में। दिल्ली के एन. सी. टी. के संदर्भ में सेवाओं को पैराग्राफ संख्या में देखा गया है। *64* "दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" शीर्षक के तहत *66* तक, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

64. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मामले में, विशेष रूप से,

तस्वीर को और भी स्पष्ट करें, "दिल्ली" का संदर्भ दिया जा सकता है।
प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियम, *1967* "। नियम *3*

उपरोक्त नियम निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैं:

इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से, गठित
एक केंद्रीय सिविल सेवा, जिसे के रूप में जाना जाता है

दिल्ली प्रशासन की अधीनस्थ सेवा।

(2) सेवा के चार ग्रेड होंगे, अर्थात्

ग्रेड *I* ग्रेड *II*

ग्रेड *III*

ग्रेड *IV*

(3) ग्रेड *I* में पद केंद्रीय सिविल पद, क्लास *II* होंगे।

समूह "बी" *(*राजपत्रित*)* और ग्रेड *II, III* और *IV* के लोग

केंद्रीय सिविल पद समूह "सी" *(*गैर-राजपत्रित*)* हो।

(4) सेवा के सदस्य, सामान्य रूप से पात्र होंगे।
सेवा के विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए जिसके लिए वे

अन्य सेवा से संबंधित हैं और नहीं।

(जोर दिया गया*)*

65. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधीनस्थ सेवाएँ

इसलिए, स्पष्ट रूप से केंद्रीय सिविल सेवाएँ हैं। का शपथ पत्र
भारत संघ भी इस विशेषता की ओर इशारा करते हुए कहता है कि, जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम भारत का संघ

[अशोक भूषण, जे।*]*

"सी. सी. एस. समूह सी में पद अधीनस्थ सेवाओं में हैं। द.

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसके बराबर दिल्ली है।

कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा *(*डी. ए. एस. एस.*)* और भर्ती एजेंसी दिल्ली है।

अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड *(*डीएसएसएसबी*)*। दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य केंद्रीय सिविल सेवा समूह बी *(*डी. ए. एन. आई. सी. एस.*)* के लिए फीडर कैडर हैं। यही कारण है कि नीति *(*अखिल भारतीय पात्रता की*)* लगातार बनी हुई है।

अपनाया गया "।

66. डी. ए. एस. एस. नियम, *1967* और सी. सी. एस. नियम, *1965* के इन प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन, इसलिए, दिल्ली के एन. सी. टी. में अधीनस्थ सेवाओं की प्रकृति को पर्याप्त रूप से समझाता है।

ये स्पष्ट रूप से सामान्य केंद्रीय सेवाएँ हैं और शायद इसी स्थिति के कारण भारत संघ ने अपने हलफनामे में कहा है

उन्होंने कहा कि,

"दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य केंद्रीय सिविल सेवा समूह बी *(*डी. ए. एन. आई. सी. एस.*)* के लिए फीडर कैडर हैं।

यही कारण है कि *(*अखिल भारतीय पात्रता की*)* नीति को लगातार अपनाया जाता है।

38. बीर सिंह *(*उपरोक्त*)* मामले में संविधान पीठ ने इस प्रकार राय दी है

कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाएं स्पष्ट रूप से केंद्रीय सिविल सेवाएँ हैं। संविधान पीठ द्वारा जो निर्णय दिया गया है, वह इस बात को भी पुष्ट करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कोई राज्य लोक सेवाएँ नहीं हैं। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, *2007* पर बहुत अधिक निर्भरता रखी है ताकि उनकी इस दलील को पुष्ट किया जा सके कि उपरोक्त अधिनियम द्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवा नामक राज्य सेवाएँ बनाई गई हैं, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि सूची *II* की प्रविष्टि *41* दिल्ली विधानसभा पर लागू होती है। दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, *2007* को अग्निशमन सेवा के रखरखाव के लिए पारित किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ इमारतों और परिसरों में आग की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान और उससे जुड़े मामले। *39.* हम सबसे पहले देख सकते हैं कि

अधिनियम में उपयोग किए गए "सेवा" शब्द का उपयोग आग की रोकथाम के लिए सेवाएं प्रदान करने के तरीके से किया गया है और

अग्नि सुरक्षा उपाय। "सेवा" शब्द का उपयोग किसी सेवा के गठन के अर्थ में नहीं किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अग्निशमन सेवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाने वाला एक नगरपालिका कार्य है। दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, *[2019] 3* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1957 इसमें आग आदि की रोकथाम से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं।

इसके अलावा अग्निशमन सेवाएँ नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक नगरपालिका कार्य है, जिसे भारत के संविधान में मान्यता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद *243 (*डब्ल्यू*)* के कार्यों से संबंधित है *12* वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में नगरपालिकाएँ। *12* वीं अनुसूची की प्रविष्टि *7* नगरपालिकाओं के कार्यों में से एक के रूप में "अग्निशमन सेवाओं" का प्रावधान करती है। अधिनियमन की प्रकृति और प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम सूची *II* की प्रविष्टि *5* के तहत आता है न कि सूची *II* की प्रविष्टि *41* के तहत।

40. राज्य की विधायी शक्तियों का वितरण और

संसद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद *245* और *246* के तहत किया गया है। अनुच्छेद *246* जो संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय-वस्तु का प्रावधान करता है, निम्नानुसार प्रदान करता हैः

"अनुच्छेद *246*। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय

और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। - *(1)* खंड *(2)* और *(3)* में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को सूची *I* में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

सातवीं अनुसूची *(*इस संविधान में संघ के रूप में संदर्भित*)*

सूची *")*। *(2)* खंड *(3)* में किसी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड *(1)* के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी, सातवीं अनुसूची *(*इस संविधान में निर्दिष्ट*)* में सूची *III* में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

"समवर्ती सूची *")*।
(3) खंड *(1)* और *(2)* के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

सूची *II* में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में

सातवीं अनुसूची *(*इस संविधान में "राज्य" के रूप में संदर्भित*)*

सूची ")।

(4) संसद के पास किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति है।

भारत के क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए जो किसी राज्य में शामिल नहीं है।

इसके बावजूद कि ऐसा मामला राज्य सूची में गिना गया है।

41. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि अनुच्छेद *246* खंड *(3)* जो ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है,

जी. ओ. वी. टी. में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में "अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

सातवीं अनुसूची में सूची *II* "। लेख में प्रयुक्त अभिव्यक्ति

239 ए. ए. *(3) (*ए*)* अर्थात "जहाँ तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" अलग अभिव्यक्ति को दर्शाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधायी शक्तियों के बीच अंतर है, जो संविधान में विभिन्न अभिव्यक्तियों के उपयोग से स्पष्ट है। जबकि

संविधान में अनुच्छेद *239* एए को शामिल करते हुए, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के कामकाज और संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली शक्तियों के विस्तार और नियंत्रण के बारे में अच्छी तरह से जानती थी।

42. मैंने यह अभिनिर्धारित किया है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची *II* की प्रविष्टि *41* जी. एन. सी. टी. डी. की विधान सभा के लिए उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में किसी भी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं है -

" जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा सेवाएं, क्योंकि अनुच्छेद *239* ए. ए. *(4)* के अनुसार जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्ति उन मामलों के संबंध में फैली हुई है जिनके संबंध में विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है। "सेवाओं" के संबंध में जी. एन. सी. टी. डी. केवल उन कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो

संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत उसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या वह उन कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो उसे सौंपी गई हैं। मुद्दा संख्या *1* का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।
43. 2017 का मुद्दा संख्या *1,* सिविल अपील संख्या *2357* के मेरे उपरोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए-सरकार। एन. सी. टी. दिल्ली बनाम। भारत संघ ने *2015* की रिट याचिका *(*सी*)* संख्या *5888* को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। अन्य अपीलों का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

मेरे सम्मानित भाई न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी द्वारा प्रस्तावित आदेश। *2016* की अवमानना याचिका *(*सी*)* संख्या *175* बंद हो गई है। दल अपना खर्च उठाएंगे।

लागतें।

देविका गुजराल

अपीलों का निपटारा किया गया।